



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 321]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 10, 2013/अग्रहायण 19, 1935

No. 321]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 10, 2013/AGRAHAYANA 19, 1935

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण**अधिसूचना**

हैदराबाद, 3 दिसंबर, 2013

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013

फा. सं. बी.वि.वि.प्रा./विनियम/25/83/2013.—बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) की धाराओं 14 और 26 के साथ पठित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धाराओं 42डी, 42ई और 114ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राधिकरण बीमा सलाहकार समिति के साथ परामर्श करने के बाद निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात् :—

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) ये विनियम बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 कहलाएँगे।

(2) ये विनियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे तथा ऐसी तारीख से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 का अधिक्रमण करेंगे।

2. **परिभाषाएँ** - (1) जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

क. 'अधिनियम' से समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) अभिप्रेत है;

ख. 'सलाहकार समिति' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 25 के अधीन गठित सलाहकार समिति अभिप्रेत है;

ग. 'आवेदक' से बीमा दलाल के रूप में पंजीकरण के लिए आवेदक अभिप्रेत है जैसा कि इन विनियमों में उल्लिखित है;

घ. 'प्राधिकरण' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन स्थापित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

ड. 'संमिश्र दलाल' से वह बीमा दलाल अभिप्रेत है जिसे इस प्रकार कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा फिलहाल लाइसेंस प्रदत्त है तथा जो पारिश्रमिक के लिए बीमा कंपनियों के पास अपने ग्राहकों के लिए बीमा की और/या अपने ग्राहक/ग्राहकों के लिए पुनर्बीमा की व्यवस्था करता है;

च. 'प्रत्यक्ष दलाल' से वह बीमा दलाल अभिप्रेत है जिसे इस प्रकार कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा फिलहाल लाइसेंस प्रदत्त है तथा जो पारिश्रमिक के लिए अपने ग्राहकों की ओर से जीवन बीमा अथवा साधारण बीमा अथवा दोनों के क्षेत्र में विनियम 4 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में कार्य करता है;

छ. इन विनियमों के प्रयोजन के लिए 'दूरस्थ विपणन' से बीमा उत्पादों अथवा सेवाओं की अपेक्षा अथवा बिक्री की वह प्रक्रिया अभिप्रेत है जहाँ अपेक्षा अथवा बिक्री अथवा बिक्री के निर्णय के स्थान पर उपभोक्ता स्वयं उपस्थित नहीं है, तथा प्रक्रिया टेलीफोन और/या संक्षिप्त संदेश सेवाओं (एसएमएस) और/या ई-मेल और/या इंटरनेट और/या वेब सेवाओं के माध्यम से पूरी की जाती है;

ज. 'जाँच अधिकारी' से प्राधिकरण का कोई अधिकारी, अथवा बीमा व्यवसाय में अनुभवप्राप्त कोई अन्य व्यक्ति अभिप्रेत है जो किसी बीमा दलाल के विरुद्ध जाँच करने के लिए विनियम 44 के अधीन प्राधिकरण द्वारा नियुक्त है;

झ. 'फार्म' से इन विनियमों के अंतर्गत विनिर्दिष्ट फार्म अभिप्रेत हैं;

ञ. 'निरीक्षण प्राधिकारी' से विनियम 39 में बताये गये कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा नियुक्त उसके एक अथवा अधिक अधिकारी अभिप्रेत हैं;

ट. 'बीमा दलाल' से वह व्यक्ति अभिप्रेत है जिसे विनियम 15 के अधीन प्राधिकरण द्वारा फिलहाल लाइसेंस प्रदत्त है तथा जो पारिश्रमिक के लिए अपने ग्राहकों की ओर से बीमा कंपनियों के साथ बीमा संविदाओं की व्यवस्था करता है ।

स्पष्टीकरण : 'बीमा दलाल' शब्द इन विनियमों में जहाँ भी प्रयुक्त है, वहाँ उसका अर्थ प्रत्यक्ष दलाल, पुनर्बीमा दलाल अथवा संमिश्र दलाल, जैसी स्थिति हो, के रूप में माना जाएगा जब तक कि स्पष्ट रूप से इसके विपरीत नहीं बताया गया हो;

ठ. 'व्यक्ति' से अभिप्रेत है-

(क) समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) के अधीन बनाई गई कंपनी; अथवा

(ख) सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1912 अथवा सहकारी समितियों के पंजीकरण के लिए किसी भी कानून के अंतर्गत पंजीकृत सहकारी समिति; अथवा

(ग) सीमित देयता भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) के अधीन बनाई गई सीमित देयता वाली भागीदारी जिसमें कोई भी भागीदार विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम, 1999 (1999 का 42) फेमा की धारा 2 के खंड (डब्ल्यू) में परिभाषित रूप में भारत के बाहर स्थित अनिवासी संस्था/व्यक्ति न हो, तथा उसके अधीन पंजीकृत विदेशी सीमित देयता वाली भागीदारी न हो; अथवा

(घ) बीमा दलाल के रूप में कार्य करने के लिए प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त कोई अन्य व्यक्ति;

ड. 'प्रधान अधिकारी' से अभिप्रेत है.—(i) निदेशक, जो निगमित निकाय के मामले में बीमा दलाल के कार्यकलापों के लिए जिम्मेदार है; अथवा

(ii) केवल बीमा दलाल के कार्य करने के लिए नियुक्त मुख्य कार्यपालक अधिकारी;

ढ. 'विनियम' से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 अभिप्रेत हैं;

ण. 'पुनर्बीमा दलाल' से वह बीमा दलाल अभिप्रेत है, जो पारिश्रमिक के लिए बीमा और पुनर्बीमा कंपनियों के साथ प्रत्यक्ष बीमा कंपनियों के लिए पुनर्बीमा की व्यवस्था करता है।

त. 'अपेक्षा'—(सेलिसिटेशन) इन विनियमों के प्रयोजन हेतु बीमा पॉलिसी खरीदने के लिए ग्राहक को मनवाने के उद्देश्य से बीमाकर्ता अथवा मध्यवर्ती द्वारा ग्राहक के साथ संपर्क के रूप में परिभाषित है;

थ. 'टेली कॉलर' - इन विनियमों के प्रयोजन के लिए दूरस्थ प्रणाली के माध्यम से ग्राहकों के साथ बातचीत करने के प्रयोजन हेतु दूरविपणनकर्ता (टेली-मार्केटर) द्वारा नियुक्त व्यक्ति है।

द. 'दूरविपणनकर्ता' (टेली-मार्केटर) इन विनियमों के प्रयोजन के लिए दूरसंचार वाणिज्यिक संचार ग्राहक अधिमान विनियम, 2010 (समय-समय पर यथासंशोधित) के अध्याय III के अंतर्गत भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण के पास पंजीकृत संस्था है।

(2) इन विनियमों में प्रयुक्त और अपरिभाषित, परंतु बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), अथवा जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 (1956 का 31) अथवा साधारण बीमा कारोबार (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम, 1972 (1972 का 57), अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) में परिभाषित शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ वही होंगे जो उन अधिनियमों अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों और विनियमों, जैसी स्थिति हो, में क्रमशः उनके लिए निर्धारित किये गये हैं।

3. बीमा दलालों की श्रेणियाँ - बीमा दलाल के लाइसेंस के लिए आवेदन निम्नलिखित किसी एक अथवा उससे अधिक श्रेणियों के लिए किया जाएगा, अर्थात् :

- (i) प्रत्यक्ष दलाल (जीवन)
- (ii) प्रत्यक्ष दलाल (साधारण)
- (iii) प्रत्यक्ष दलाल (जीवन और साधारण)
- (iv) पुनर्बीमा दलाल
- (v) संमिश्र दलाल

4. बीमा दलाल के कार्य :

प्रत्यक्ष दलाल, पुनर्बीमा दलाल और संमिश्र दलाल के कार्य इन विनियमों की अनुसूची I में दर्शायी गई हैं।

5. लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन का प्रस्तुतीकरण-

(i) बीमा दलाल के रूप में लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन प्राधिकरण को इन विनियमों की अनुसूची IX फार्म ए के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में आवेदन फार्म में प्रस्तुत किया जाएगा।

(ii) लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन उपर्युक्त विनियम 3 के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।

(iii) लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन इन विनियमों के अनुबंध I में विनिर्दिष्ट किये अनुसार अपेक्षित दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

(iv) लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन इन विनियमों की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट रूप में अपेक्षित शुल्क के साथ प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

6. आवेदन अपेक्षाओं के अनुरूप हो.—(1) ऐसा कोई भी आवेदन, जो सभी प्रकार से पूर्ण न हो तथा फार्म ए और इन विनियमों में विनिर्दिष्ट अनुदेशों के अनुरूप न हो एवं प्राधिकरण द्वारा अनिवार्य कर दी गई अपेक्षाओं और/या निदेशों का पालन नहीं करता हो, अस्वीकृत किया जाएगा ।

बशर्ते कि, ऐसे किसी आवेदन को अस्वीकृत करने से पहले आवेदक को सभीप्रकार से आवेदन को भरने और त्रुटियों, यदि कोई हों, को सुधारने के लिए उचित अवसर दिया जाएगा ।

(2) यदि कोई आवेदक प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट है तो वह ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर प्राधिकरण के अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(3) प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसे आवेदन पर विचार करेगा और उसकी प्राप्ति से पैंतालीस दिन के अंदर लिखित में आवेदक को उसपर अपने निर्णय की सूचना देगा।

(4) यदि प्राधिकरण का अध्यक्ष उपर्युक्त उप-विनियम (2) के अधीन किये गये आवेदन पर पुनर्विचार करने के बाद आवेदन को अस्वीकार करता है, तो आवेदक लाइसेंस प्रदान करने के लिए एक नया आवेदन ऐसी अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के बाद ही कर सकता है। प्राधिकरण ऐसे नये आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।

7. सूचना का प्रस्तुतीकरण, स्पष्टीकरण और वैयक्तिक निरूपण.—(1) प्राधिकरण आवेदक से आवेदन के निपटान के प्रयोजन से तथा उसके बाद प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझे जानेवाले किसी भी विषय के संबंध में कोई भी अतिरिक्त सूचना और/या स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है और/या कुछ अपेक्षाओं का पालन करने के लिए आवेदक को निदेश दे सकता है।

(2) प्राधिकरण आवेदक को प्राधिकरण द्वारा मांगी गई अपेक्षाएँ/स्पष्टीकरण/अतिरिक्त सूचना आदि प्रस्तुत करने के लिए प्राधिकरण से सूचना प्राप्त होने की तारीख से 30 दिन के अंदर प्रस्तुत करने का अवसर देगा ताकि प्राधिकरण आवेदन पर कार्रवाई कर सके।

(3) यदि अपेक्षित हो तो आवेदक अपने प्रधान अधिकारी के साथ आवेदन के संबंध में वैयक्तिक निरूपण के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित होगा।

(4) प्राधिकरण इस प्रकार उसे प्रस्तुत किये गये आवेदन के संबंध में कार्रवाई/निपटान के लिए आवश्यक होनेवाली कोई भी सूचना/आंकड़े/स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए आवेदक को निदेश दे सकता है।

(5) आवेदक ऐसी अतिरिक्त सूचना और/या स्पष्टीकरण स्वयं ही अविलंब प्राधिकरण की जानकारी में लाएगा, जो विनियम 8 के अनुसार उनके आवेदन पर विचार किये जाने से संबंधित हो।

8. आवेदन पर विचार — (1) लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन पर विचार करते समय प्राधिकरण बीमा दलाल द्वारा कार्य संचालित करने से संबंधित सभी विषयों को ध्यान में रखेगा।

(2) उपर्युक्त (1) के उपबंधों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्राधिकरण विशेष रूप से निम्नलिखित बातों का ध्यान रखेगा, अर्थात् :-

- क्या आवेदक अधिनियम की धारा 42डी की उप-धारा (5) के अंतर्गत विनिर्दिष्ट अनर्हताओं में से किसी भी अनर्हता से ग्रस्त तो नहीं है;
- क्या आवेदक के पास आवश्यक बुनियादी सुविधाएँ हैं, जैसे, पर्याप्त कार्यालय परिसर, उपकरण और प्रशिक्षित श्रमशक्ति ताकि वह अपने कार्यकलाप प्रभावी ढंग से संपन्न कर सके;
- क्या आवेदक के पास उसकी सेवा में कम से कम ऐसे दो व्यक्ति हैं जो अनुसूची II में विनिर्दिष्ट आवश्यक योग्यताएँ और बीमा दलाल का कारोबार संचालित करने के लिए अनुभव रखते हैं और यदि आवेदक के कुछ शाखा कार्यालय हैं तो प्रत्येक शाखा कार्यालय में एक व्यक्ति है जो इन विनियमों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट आवश्यक योग्यताएँ और बीमा दलाल का कारोबार संचालित करने के लिए अनुभव रखता है।

टिप्पणी : यदि बीमा दलाल जीवन और साधारण बीमा कारोबार संचालित करना चाहता है, तो प्रत्येक के विषय में जीवन और साधारण बीमे का संबंधित अनुभव तथा इन विनियमों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट आवश्यक अर्हताएँ रखनेवाला कम से कम एक व्यक्ति कंपनी में उपस्थित होना चाहिए। किसी भी शाखा से अर्हता-प्राप्त व्यक्ति के प्रस्थान की स्थिति में उक्त प्रभार तदर्थ आधार पर किसी अन्य अर्हता-प्राप्त व्यक्ति को दिया जा सकता है तथा बीमा दलाल यथासंभव शीघ्रतम समय में उपयुक्त रूप से अर्हता-प्राप्त व्यक्ति को नियुक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठाएगा। तथापि, ऐसी व्यवस्था की सूचना प्राधिकरण को देना आवश्यक होगा। यदि बीमा दलाल अपने नियंत्रणाधीन किसी भी शाखा कार्यालय में इस शर्त का पालन नहीं करते, तो वे उस शाखा में कोई कारोबार तब तक नहीं करेंगे जब तक इन विनियमों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट रूप में आवश्यक अर्हताओं से युक्त व्यक्ति नियुक्त नहीं किया जाता।

iv. क्या आवेदक के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किसी व्यक्ति को प्राधिकरण द्वारा पूर्व में लाइसेंस प्रदान करने से इनकार किया गया है।

स्पष्टीकरण : - इस उप-खंड के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध" से अभिप्रेत है, किसी व्यक्ति के मामले में रिश्तेदार तथा किसी फर्म अथवा कंपनी अथवा निगमित निकाय के मामले में आवेदक का कोई सहयोगी, सहायक, परस्पर संबद्ध उपक्रम अथवा समूह कंपनी। इसके द्वारा यह स्पष्ट किया जाता है कि इन शब्दों के अर्थ वही होंगे जो समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) अथवा प्रतियोगिता अधिनियम, 2002, जैसी स्थिति हो, में उनके लिए माने गये हैं।

v. क्या आवेदक विनियम 9 में यथाविनिर्दिष्ट पूँजीगत अपेक्षाएँ; विनियम 11 में यथाविनिर्दिष्ट निवल मालियत (नेट वर्थ) संबंधी मानदंड तथा विनियम 12 में यथाविनिर्दिष्ट जमा संबंधी अपेक्षाएँ पूरी करता है।

vi. क्या आवेदक का प्रधान अधिकारी इन विनियमों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट रूप में आवश्यक अर्हता रखता है। (इन विनियमों के अनुबंध II-ए के अंतर्गत अपेक्षित सूचना आवेदक के प्रधान अधिकारी के अतिरिक्त निदेशक(निदेशकों)/शेयरधारक(शेयरधारकों)/प्रवर्तक(प्रवर्तकों)/ साझेदार(साझेदारों)/मुख्य प्रबंध कार्मिकों द्वारा भी प्रस्तुत की जाएगी)।

vii. क्या प्राधिकरण की राय में आवेदक का प्रधान अधिकारी अधिमानतः बीमा क्षेत्र में उसके अनुभव को देखते हुए इस प्रकार नियुक्त किये जाने के लिए उपयुक्त है।

viii. क्या प्रधान अधिकारी/निदेशक/प्रवर्तक/शेयरधारक/साझेदार/मुख्य प्रबंध कार्मिक इन विनियमों के अनुबंध II-बी में विवरण के आधार पर योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) हैं।

ix. क्या प्रधान अधिकारी/निदेशक/प्रवर्तक/शेयरधारक/साझेदार प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) दिशानिर्देशों का पालन करते हैं।

x. क्या बीमा दलाल के प्रधान अधिकारी और/या किसी अन्य अधिकारी ने इन विनियमों की अनुसूची VI-ए और अनुसूची VI-बी, जैसा लागू हो, में विनिर्दिष्ट रूप में आचरण-संहिता का उल्लंघन किया है;

xi. क्या आवेदक अपने मुख्य उद्देश्य खंड के अलावा किसी अन्य कारोबार में तो लिप्त नहीं है;

xii. प्राधिकरण का अभिमत है कि लाइसेंस प्रदान करना पॉलिसीधारकों के हित में होगा;

xiii. क्या आवेदक के प्रवर्तक/शेयरधारक/साझेदार आवेदक संस्था में निवेश करने के लिए सुदृढ़ वित्तीय स्थिति रखते हैं।

xiv. बीमा दलाल की ओर से बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने और प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी किसी कर्मचारी को भी इन विनियमों की अनुसूची-II में उल्लिखित अपेक्षाएँ पूरी करनी होंगी तथा ऐसे कर्मचारियों की एक सूची प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी।

9. पूँजीगत अपेक्षाएँ

(1) इन विनियमों के अंतर्गत बीमा दलाल बनने की अपेक्षा करनेवाले किसी भी आवेदक के लिए नीचे उल्लिखित रूप में न्यूनतम चुकता पूँजी/अंशदान रखना होगा :

श्रेणी	न्यूनतम पूँजी/अंशदान (रुपये)
प्रत्यक्ष दलाल	पचास लाख
पुनर्बीमा दलाल	दो सौ लाख
संमिश्र दलाल	दो सौ पचास लाख

(2) शेयरों द्वारा सीमित कंपनी के मामले में पूँजी ईक्विटी शेयरों के रूप में होगी तथा सहकारी समिति के मामले में पूँजी ईक्विटी शेयरों के रूप में होगी;

(3) एलएलपी के मामले में साझेदारों का अंशदान केवल नकदी में होगा;

(4) आवेदक इन विनियमों के अंतर्गत लाइसेंसीकृत रूप में केवल बीमा दलाल का कारोबार ही संचालित करेगा।

(5) विदेशी कंपनी द्वारा स्वयं अथवा उसकी सहायक कंपनियों अथवा उसके नामितियों के माध्यम से धारित कुल राशि किसी भी समय ऐसे आवेदक की चुकता ईक्विटी पूँजी के छब्बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी। इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का परिकलन उसी तरीके से किया जाएगा जैसा कि समय-समय पर यथासंशोधित बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (भारतीय बीमा कंपनियों का पंजीकरण) विनियम, 2000 में बीमाकर्ता के लिए विनिर्दिष्ट है।

(6) पूँजी के रूप में धारित बीमा दलाल के शेयर ऋण अथवा किसी अन्य सुविधा को सुरक्षित रखने के लिए किसी भी रूप में गिरवी नहीं रखे जाएँगे तथा हर समय भार-रहित होंगे।

10. स्वामित्व का अंतरण :

1) बीमा दलाल शेयरों अथवा अंशदान, जैसी स्थिति हो, का कोई भी अंतरण प्राधिकरण के पूर्व लिखित अनुमोदन के बिना पंजीकृत नहीं करेगा जहाँ अंतरण के बाद अंतरिती की कुल चुकता ईक्विटी धारिता अथवा अंशदान उनकी चुकता पूँजी अथवा अंशदान के पाँच प्रतिशत से अधिक होने की संभावना हो।

2) इसी प्रकार, जहाँ किसी व्यक्ति, फर्म, समूह, एक ही प्रबंधन के अंतर्गत समूह अथवा कंपनी निकाय के घटकों द्वारा संयुक्त रूप से अथवा पृथक् रूप से अंतरण किये जाने के लिए अभीष्ट शेयरों का अभिहित मूल्य चुकता पूँजी अथवा अंशदान के पाँच प्रतिशत से अधिक है वहाँ प्राधिकरण का पूर्व लिखित अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा।

3) शेयरों अथवा अंशदान का हितकारी स्वामित्व और नियंत्रण सर्वथा और संपूर्ण रूप से प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित संस्था/व्यक्ति के पास होगा।

4) शेयरधारिता के अंतरण के लिए प्राधिकरण का अनुमोदन माँगने के लिए अपेक्षित दस्तावेज इन विनियमों के अनुबंध-VII में निर्दिष्ट हैं।

11. निवल मालियत (नेट वर्थ) की न्यूनतम राशि का अनुरक्षण

(1) बीमा दलाल की निवल मालियत लाइसेंस की अवधि के दौरान किसी भी समय विनियम 9 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम पूँजी अथवा अंशदान के 100 प्रतिशत से कम नहीं होगी।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) का पालन न होने की स्थिति में बीमा दलाल विनियम 9 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम पूँजी अथवा अंशदान के 100 प्रतिशत तक निवल मालियत को पुनः बहाल करने के लिए अपने द्वारा उठाये गये कदमों के संबंध में प्राधिकरण को सूचित करेगा।

टिप्पणी :

बीमा दलाल से अपेक्षित है कि वह निर्धारित फार्म में प्रत्येक छमाही में सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा विधिवत् प्रमाणित एक निवल मालियत प्रमाणपत्र प्राधिकरण को प्रस्तुत करे।

12. जमा संबंधी अपेक्षाएँ -

(1) प्रत्येक बीमा दलाल अपना व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले किसी भी अनुसूचित बैंक के पास मीयादी जमाराशि के रूप में न्यूनतम पूँजी/अंशदान (उपर्युक्त विनियम 9(1) में यथापरिभाषित) के 20 प्रतिशत की समतुल्य राशि जमा करेगा और इतनी जमाराशि को बनाये रखेगा जो प्राधिकरण की पूर्व लिखित अनुमति के बिना उन्हें अदा नहीं की जाएगी। बशर्ते कि प्राधिकरण विनियम 2(1)(ठ)(घ) द्वारा सम्मिलित व्यक्ति के लिए, किसी भी स्थिति में एक सौ लाख रुपये से अनधिक जमाराशि की एक अलग सीमा लागू कर सकता है।

(2) प्राधिकरण के पास इस जमाराशि का ग्रहणाधिकार (लियन) होगा ।

(3) ऐसी जमाराशि बीमा दलाल द्वारा कोई ऋण अथवा ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए गिरवी नहीं रखी जाएगी।

(4) जब भी माँगा जाएगा तब प्रत्येक बीमा दलाल प्राधिकरण को उस अनुसूचित बैंक से प्राप्त भार-रहितता विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें ऐसी मीयादी जमाराशि रखी गई है।

13. व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमे की अपेक्षा -

(1) प्रत्येक बीमाकर्ता इन विनियमों की अनुसूची III में विनिर्दिष्ट रूप में एक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा रक्षा प्राप्त करेगा तथा उसे प्राधिकरण द्वारा उन्हें प्रदत्त लाइसेंस की वैधता की सारी अवधि के दौरान हर समय चालू रखेगा। बशर्ते कि प्राधिकरण उपयुक्त मामलों में नये लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल को इस बात की अनुमति देगा कि वह लाइसेंस जारी करने की तारीख से बारह महीने के अंदर ऐसी गारंटी प्रस्तुत करे।

14. शुल्क का भुगतान और शुल्क अदा न करने के परिणाम.—(1) लाइसेंस प्रदान करने और लाइसेंस के नवीकरण के लिए पात्र प्रत्येक आवेदक ऐसा शुल्क ऐसे तरीके से और ऐसी अवधि के अंदर अदा करेगा जैसा कि इन विनियमों की अनुसूची IV में विनिर्दिष्ट किया गया है।

(2) जहाँ बीमा दलाल उप-विनियम (1) के अंतर्गत देय वार्षिक शुल्क अदा नहीं करता, वहाँ प्राधिकरण लाइसेंस निलंबित कर सकता है, जिसके बाद बीमा दलाल उस अवधि के लिए कारोबार करना बंद करेगा जिस अवधि के दौरान ऐसा निलंबन जारी रहेगा।

15. लाइसेंसीकरण की प्रक्रिया - (1) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि आवेदक लाइसेंस प्रदान करने के लिए विनिर्दिष्ट सभी शर्तें पूरी करता है, इन विनियमों की अनुसूची IX-फार्म बी में निर्धारित रूप में लाइसेंस प्रदान करेगा तथा इसकी सूचना आवेदक को उस श्रेणी का उल्लेख करते हुए प्रेषित करेगा जिसके लिए प्राधिकरण ने लाइसेंस प्रदान किया है। लाइसेंस समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट रूप में शर्तों और आचरण-संहिता का पालन बीमा दलाल द्वारा किये जाने के अधीन जारी किया जाएगा।

(2) एक विनिर्दिष्ट श्रेणी के लिए इन विनियमों के अंतर्गत लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल इन विनियमों की अपेक्षाएँ पूरी करते हुए किसी अन्य श्रेणी हेतु प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिए भी आवेदन कर सकता है। तथापि, इस प्रकार का आवेदन पहले लाइसेंस प्रदान किये जाने से एक वर्ष पूरा होने के बाद ही किया जाएगा।

(3) यदि इन विनियमों के विनियम 5 के अंतर्गत जारी किया गया अथवा इन विनियमों की अधिसूचना से पहले प्रचलित किन्हीं अन्य विनियमों के अंतर्गत जारी किया गया लाइसेंस निरस्त/अभ्यर्पित किया जाता है अथवा नवीकरण प्राधिकरण द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट किये गये कारणों से अस्वीकृत किया जाता है, तो आवेदक लाइसेंस प्रदान करने के लिए लाइसेंस के इस प्रकार के निरसन/अभ्यर्पण अथवा नवीकरण के अस्वीकरण की प्रभावी तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के बाद ही प्राधिकरण के विचारार्थ नये सिरे से आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।

16. लाइसेंस की वैधता.—(1) एक बार जारी किया गया लाइसेंस उसके निर्गम की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा, जब तक उसे इन विनियमों के अनुसरण में लंबित अथवा निरस्त नहीं किया जाता।

(2) किसी भी बीमा दलाल को वैध और प्रचलित लाइसेंस के बिना कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

17. आवेदन का अस्वीकरण.—(1) जहाँ विनियम 5 के अंतर्गत लाइसेंस प्रदान करने के लिए आवेदन विनियम 8 में निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करता, वहाँ प्राधिकरण लाइसेंस प्रदान करने से इनकार कर सकता है।

बशर्ते कि कोई भी आवेदन आवेदक को अपनी बात कहने के लिए सुनवाई का उचित अवसर दिये बिना अस्वीकृत नहीं किया जाएगा।

(2) लाइसेंस प्रदान करने से अस्वीकरण की सूचना प्राधिकरण द्वारा ऐसे अस्वीकरण से तीस दिन के अंदर आवेदक को उसमें वे कारण बताते हुए दी जाएगी जिनके आधार पर आवेदन को अस्वीकार किया गया है।

(3) प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी आवेदक ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर प्राधिकरण के अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(4) प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसे आवेदन पर विचार करेगा तथा उसपर अपने निर्णय की सूचना उसकी प्राप्ति से पैंतालीस दिन के अंदर आवेदक को लिखित में देगा।

(5) यदि प्राधिकरण का अध्यक्ष उपर्युक्त उप-विनियम (3) के अंतर्गत किये गये आवेदन पर पुनर्विचार करने के बाद आवेदन को अस्वीकार करता है, तो आवेदक अंतिम अस्वीकृति की तारीख से एक वर्ष के बाद ही लाइसेंस प्रदान करने के लिए नया आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।

18. लाइसेंस का नवीकरण - (1) लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन बीमा दलाल द्वारा प्राधिकरण को लाइसेंस की समाप्ति से कम से कम तीस दिन पहले इन विनियमों की अनुसूची IX फार्म ए में प्रस्तुत किया जाएगा।

परंतु शर्त यह है कि यदि आवेदन प्राधिकरण को उपर्युक्त उप-विनियम (1) में उल्लिखित अवधि के बाद, लेकिन वर्तमान लाइसेंस की वास्तविक समाप्ति से पहले प्राप्त होता है, तो आवेदक द्वारा प्राधिकरण को केवल एक सौ रुपये का अतिरिक्त शुल्क देय होगा।

आगे यह भी शर्त है कि यदि आवेदक विलंब के लिए पिछले परंतुक द्वारा आवृत न किये गये कारण लिखित रूप में प्रस्तुत करता है, और यदि प्राधिकरण उन कारणों से संतुष्ट है, तो वह लाइसेंस की समाप्ति की तारीख के बाद लाइसेंस की समाप्ति से 60 दिन की अवधि तक नवीकरण के लिए प्रस्तुत आवेदन को आवेदक द्वारा केवल सात सौ पचास रुपये का अतिरिक्त शुल्क अदा करने पर स्वीकार कर सकता है।

आगे यह भी शर्त है कि लाइसेंस की समाप्ति से 60 दिन के बाद नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पर विलंब से आवेदन प्रस्तुत करने की तारीख से 12 महीने व्यतीत होने के बाद ही विचार किया जाएगा। तथापि, इस अंतराल के दौरान बीमा दलाल के लाइसेंस की विद्यमानता समाप्त होगी तथा वे केवल संविदा की समाप्ति तक मौजूदा पॉलिसियों के संबंध में सर्विसिंग को छोड़कर किसी नये व्यवसाय की अपेक्षा नहीं करेंगे।

टिप्पणी : बीमा दलाल को नवीकरण के लिए आवेदन लाइसेंस की समाप्ति से नब्बे दिन पहले प्रस्तुत करने की अनुमति है।

(2) किसी भी बीमा दलाल को लाइसेंस की समाप्ति के बाद मौजूदा पॉलिसीधारकों के संबंध में सर्विसिंग को छोड़कर कोई नया बीमा कारोबार करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(3) बीमा दलाल के बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने के लिए उत्तरदायी प्रधान अधिकारी और कर्मचारियों के लिए आवश्यक होगा कि वे लाइसेंस के नवीकरण की अपेक्षा करने से पहले प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था द्वारा प्रदत्त कम से कम पच्चीस घंटों का सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण पूरा कर लें।

(4) उप-विनियम (1) के अधीन नवीकरण के लिए प्राप्त आवेदन के संबंध में कार्रवाई उसी तरीके से की जाएगी जैसा कि विनियम 8 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किया गया है।

(5) प्राधिकरण आवेदन पर कार्रवाई करते समय बीमा दलाल द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण/आंकड़े माँग सकता है।

(6) बीमा दलाल उपर्युक्त उप-विनियम (5) के अंतर्गत अपेक्षित रूप में ऐसी जानकारी प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने से 21 दिन के अंदर प्रस्तुत करेगा।

बशर्ते कि यदि आवेदक उपर्युक्त उप-विनियम (5) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित सूचना प्रस्तुत करने के लिए विनिर्दिष्ट कारणों से अतिरिक्त समय की अपेक्षा करता है, तो ऐसे अनुरोध पर प्राधिकरण द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा।

(7) उपर्युक्त उप-विनियम (6) का पालन न करने पर बीमा दलाल का लाइसेंस तब तक लंबित रखा जा सकता है जब तक उपर्युक्त उप-विनियम (5) के अधीन अपेक्षित सूचना प्राधिकरण द्वारा प्राप्त नहीं की जाती।

(8) प्राधिकरण इस बात से संतुष्ट होने पर कि लाइसेंस के नवीकरण के लिए विनिर्दिष्ट सभी शर्तों को आवेदक पूरा करता है, लाइसेंस का नवीकरण फार्म सी में तीन वर्ष की अवधि के लिए करेगा तथा आवेदक को इस आशय की सूचना प्रेषित करेगा ।

(9) यदि यह पाया जाता है कि संमिश्र दलाल ने लाइसेंस की प्रत्यक्ष श्रेणी अथवा पुनर्बीमा श्रेणी में विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन किया है, तो प्राधिकरण केवल उसी श्रेणी के लिए लाइसेंस का नवीकरण करने पर विचार कर सकता है जिसमें कोई बड़ा उल्लंघन नहीं पाया गया हो।

(10) यदि पाया जाता है कि दोनों जीवन और साधारण श्रेणियों में लाइसेंसप्राप्त प्रत्यक्ष दलाल ने कारोबार की जीवन अथवा साधारण श्रेणी में विनियमों का उल्लंघन किया है तो प्राधिकरण केवल उसी श्रेणी के लिए लाइसेंस का नवीकरण करने पर विचार कर सकता है जिसमें कोई बड़ा उल्लंघन नहीं पाया गया हो।

(11) यदि दोनों जीवन और साधारण श्रेणियों में लाइसेंसप्राप्त प्रत्यक्ष दलाल जीवन अथवा साधारण श्रेणी में कोई कारोबार नहीं कर रहा है, तो प्राधिकरण केवल उसी श्रेणी के लिए लाइसेंस का नवीकरण करने पर विचार कर सकता है जिसमें दलाल ने व्यवसाय को दर्ज कराया है।

टिप्पणी : बीमा दलालों द्वारा लाइसेंस के नवीकरण के आवेदन के साथ अनुबंध-III-ए, III-बी और III-सी के अनुसार दस्तावेज संलग्न करने होंगे।

19. प्रक्रिया जहाँ लाइसेंस का नवीकरण प्रदान नहीं किया गया है।—(1) जहाँ विनियम 18 के अधीन लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन विनियम 8 में निर्धारित शर्तें पूरी नहीं करता, वहाँ प्राधिकरण लाइसेंस प्रदान करने से इनकार कर सकता है-

बशर्ते कि जब तक आवेदक को सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया जाता, तब तक कोई भी आवेदन अस्वीकृत नहीं किया जाएगा ।

(2) लाइसेंस प्रदान करने से अस्वीकृति की सूचना प्राधिकरण द्वारा आवेदक को उसमें वे कारण जिनके आधार पर आवेदन को अस्वीकृत किया गया है, दर्शाते हुए ऐसी अस्वीकृति से तीस दिन के अंदर दी जाएगी ।

(3) प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट कोई भी आवेदक ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर प्राधिकरण के अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन कर सकता है ।

(4) प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसे अनुरोध पर विचार करेगा तथा उक्त आवेदन की प्राप्ति से पैंतालीस दिन के अंदर उसपर अपना निर्णय लिखित में आवेदक को सूचित करेगा ।

20. लाइसेंस प्रदान करने से अस्वीकृति का प्रभाव - कोई भी आवेदक, जिसका विनियम 18 के अधीन लाइसेंस का नवीकरण करने के लिए आवेदन प्राधिकरण द्वारा अस्वीकृत किया गया है, विनियम 19(2) के अधीन सूचना प्राप्त होने की तारीख को और उस तारीख से बीमा दलाल के रूप में कार्य करना समाप्त करेगा । तथापि, वह पहले से अपने द्वारा की गई संविदाओं के संबंध में सेवाएँ प्रदान करने के लिए लगातार बाध्य रहेगा । इस प्रकार की सेवा केवल उन वर्तमान संविदाओं के समाप्त होने की अवधि तक ही जारी रहेगी, जिसका विवरण विनियम 19 के अधीन सूचना प्राप्त होने पर प्राधिकरण को प्रकट किया जाएगा ।

21. लाइसेंस की अनुलिपि (ड्रॉप्लिकेट) का निर्गम - (1) लाइसेंस के खो जाने अथवा नष्ट किये जाने अथवा कटे-फटे होने की स्थिति में बीमा दलाल प्राधिकरण को लाइसेंस की अनुलिपि जारी करने का अनुरोध करते हुए एक हजार रुपये के शुल्क के साथ तथा लाइसेंस के निर्गम और उसके खो जाने अथवा नष्ट किये जाने अथवा कटे-फटे होने के संबंध में पूरा विवरण देते हुए एक घोषणा सहित आवेदन प्रस्तुत करेगा ।

(2) प्राधिकरण इस बात से स्वयं संतुष्ट होने पर कि मूल लाइसेंस खो गया है, नष्ट किया गया है अथवा कटा-फटा है, फार्म आर में लाइसेंस की एक अनुलिपि (ड्रॉप्लिकेट) उस पर पृष्ठांकन करते हुए कि यह अनुलिपि है, जारी करेगा ।

22. बीमे की ऑनलाइन बिक्री।—(1) बीमा दलाल बीमाकर्ताओं के वेब पोर्टलों के साथ संबद्ध होने के द्वारा बीमा उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए बीमाकर्ताओं के साथ करार कर सकते हैं।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) के प्रयोजन के लिए बीमा दलाल को इन विनियमों की अनुसूची VIII में निर्धारित क्रियाविधियों का अनुसरण करना होगा।

23. दूरस्थ विपणन (टेली-मार्केटिंग) पद्धति से बीमे की बिक्री.—(1) बीमा दलाल जो विभिन्न बीमा कंपनियों के बीमा उत्पादों के वितरण के प्रयोजन के लिए किसी दूरविपणनकर्ता (टेलीमार्केटर) की सेवाएँ लेना चाहता है, के लिए आवश्यक होगा कि वह दिनांक 05/04/2011 के परिपत्र सं. आईआरडीए/एडीएमएन/जीडीएल/एमआईएससी/059/04/2011 द्वारा जारी किये गये बीमा उत्पादों के दूरस्थ विपणन संबंधी दिशानिर्देशों और/या इस विषय में समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किन्हीं अन्य विनियमों/दिशानिर्देशों/परिपत्रों का पालन करे।

(2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बीमा दलाल को दूरविपणनकर्ता की सेवाएँ प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित अतिरिक्त शर्तों का पालन करना होगा:

(i) बीमा दलाल द्वारा नियुक्त दूरस्थ विक्रेता इस विषय में भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विभिन्न परिपत्रों/मार्गदर्शी सिद्धांतों अथवा किसी अन्य निदेश का पालन करेगा;

(ii) बीमा दलाल द्वारा नियुक्त दूरविपणनकर्ता किसी अन्य बीमाकर्ता अथवा बीमा संबंधी संस्था के साथ संबद्ध नहीं होगा;

(iii) यदि बीमा दलाल ट्राई (टीआरएआई) के पास दूरविपणनकर्ता के रूप में पंजीकृत है, तो बीमा दलाल केवल उनकी बीमा दलाल संस्था के प्रयोजन के लिए ही दूरस्थ विपणन करता रहेगा और किसी अन्य संस्था के लिए दूरविपणनकर्ता के रूप में कार्य नहीं करेगा;

(iv) दूरविपणनकर्ता/बीमा दलाल द्वारा नियुक्त प्राधिकृत सत्यापकों को इन विनियमों की अनुसूची II में विनिर्दिष्ट रूप में बीमा दलाल के लिए अपेक्षित सांविधिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा तथा परीक्षा उत्तीर्ण करनी होगी;

(v) दूरविपणनकर्ता को नियुक्त करनेवाला बीमा दलाल दूरविपणनकर्ता के साथ एक करार करेगा, जिसकी एक प्रतिलिपि इन विनियमों के अनुबंध-IV-ए और अनुबंध-IV-बी के अनुसार निर्धारित फॉर्मेट में वचनपत्रों के साथ प्राधिकरण के पास दाखिल की जाएगी। ऐसे वचनपत्रों की प्रतिलिपियाँ प्राधिकरण तथा अन्य विनियामक निकायों द्वारा भी निरीक्षण के लिए बीमा दलाल के कब्जे में होंगी;

(vi) प्राधिकरण के पास दूरविपणनकर्ता के परिसर अथवा किसी अन्य परिसर, जो प्राधिकरण अभिलेखों/प्रलेखों के सत्यापन के लिए आवश्यक समझता है, का निरीक्षण करने तथा दूरविपणनकर्ता के किसी भी कर्मचारी के किसी प्रलेख/अभिलेख, अभिलेख विवरण की अपेक्षा करने अथवा अपने विवेकानुसार किसी भी प्रलेख/अभिलेख की प्रतियाँ लेने का अधिकार होगा;

(vii) दूरविपणनकर्ता को इस विषय में समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जानेवाली किन्हीं अन्य शर्तों का पालन करना होगा।

24. वैध लाइसेंस के बिना बीमा दलाल के रूप में कार्य करने वाले व्यक्ति के विरुद्ध कार्रवाई—

(1) ऐसे किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध, जो इन विनियमों के अधीन जारी किये गये वैध लाइसेंस को धारण किये बिना बीमा दलाल के रूप में कार्य करता है, कोई आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ करने के बावजूद और उस पर विपरीत प्रभाव डाले बिना प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध अधिनियम के अधीन दंडात्मक कार्रवाई की अपेक्षा कर सकता है।

(2) जहाँ उप-विनियम (1) के अंतर्गत आने वाला व्यक्ति एक कंपनी, फर्म अथवा निगमित निकाय है, वहाँ उक्त कंपनी, फर्म अथवा निगमित निकाय के विरुद्ध प्राधिकरण के द्वारा की जाने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना उक्त कंपनी अथवा निगमित निकाय का प्रत्येक निदेशक, प्रबंधक, सचिव अथवा अन्य अधिकारी और फर्म का प्रत्येक भागीदार जो इस प्रकार के उल्लंघन का जान-बूझकर पक्षकार है, भी उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाने के लिए जिम्मेदार होगा।

25. पारिश्रमिक -

(1) जीवन और साधारण बीमे के लिए- किसी भी बीमा दलाल को पारिश्रमिक (रायल्टी अथवा लाइसेंस शुल्क अथवा प्रशासन प्रभार अथवा किसी अन्य रूप में भुगतान सहित) के रूप में प्राधिकरण द्वारा इस संबंध में जारी किये गये तथा समय-समय पर यथासंशोधित परिपत्रों/विनियमों में विनिर्दिष्ट/अधिसूचित सीमाओं से अधिक कोई राशि अदा नहीं की जाएगी अथवा अदा करने के लिए कोई संविदा नहीं की जाएगी ।

स्पष्टीकरण : बीमे के संबंध में कोई दलाली अदा नहीं की जा सकती जहाँ एजेंसी कमीशन देय हो और इसी प्रकार जहाँ दलाली देय हो वहाँ बीमे के संबंध में किसी एजेंसी कमीशन का भुगतान नहीं किया जा सकता ।

(2) पुनर्बीमा व्यवसाय के लिए-

i) समय-समय पर प्रचलित बाजार-प्रथाओं के अनुसार।

ii) किसी विशिष्ट मामले के लिए प्रभारित दलाली, बाध्यकारी रक्षा से पहले बीमाकर्ता को अनुरोध करने पर प्रकट की जा सकती है।

टिप्पणी : उपर्युक्त उप-खंड (ii) के प्रयोजन के लिए विशिष्ट खाते के संबंध में सभी प्रकार के भुगतान, जैसे जोखिम निरीक्षण शुल्क अथवा जोखिम प्रबंधन शुल्क अथवा प्रशासन प्रभार, आदि का कुल योग किया जाएगा।

(3) बीमा दलालों के पारिश्रमिक के संबंध में बीमाकर्ताओं द्वारा लेखों का निपटान मासिक आधार पर किया जाएगा तथा यह अवश्य सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि बकाया शेषों का कोई प्रति-निपटान न किया जाए ।

26. एकल ग्राहक से कारोबार संबंधी उच्चतम सीमा.—(1) बीमा दलाल का कारोबार इस प्रकार से किया जाएगा कि प्रीमियम (प्रमात्रा, प्राप्ति आदि, जैसी स्थिति हो) के 50 प्रतिशत से अधिक एक वित्तीय वर्ष में किसी एक ग्राहक से उत्पन्न नहीं होगा ।

टिप्पणी : इस विनियम के प्रयोजनों के लिए "ग्राहक" शब्द में किसी फर्म अथवा कंपनी के मामले में सहयोगी अथवा सहायक संस्था अथवा एक ही प्रबंधन के अंतर्गत समूह प्रतिष्ठान शामिल होगा । "समूह" की परिभाषा का अर्थ वही होगा जैसा कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश)(5वाँ संशोधन) विनियम, 2013 में परिभाषित है।

(2) अपने समूह के अंदर बीमा कंपनी से युक्त कारपोरेट घरानों द्वारा प्रवर्तित बीमा दलालों के लिए, किसी वित्तीय वर्ष में बीमा दलाल द्वारा किये गये बीमों का 25 प्रतिशत से अनधिक भाग प्रवर्तक समूह में बीमा कंपनी के पास जीवन व्यवसाय और साधारण बीमा व्यवसाय के लिए अलग-अलग रखा जाएगा । इस श्रेणी के अंतर्गत आने वाले बीमा दलालों को प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये दिनांक 18.3.2008 के परिपत्र सं. 063/आईआर डीए/मेमो/07-08 तथा इस विषय में समय-समय पर जारी किये गये किसी अन्य परिपत्र/दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।

(3) उप-विनियम (1) में यथाविनिर्दिष्ट प्रीमियम के प्रतिशत में पुनर्बीमा प्रीमियम एवं किसी सरकारी निकाय अथवा सरकारी क्षेत्र के उपक्रम से उत्पन्न होनेवाले बीमा व्यवसाय से संबंधित प्रीमियम शामिल नहीं होंगे।

(4) क्या कोई कंपनी, व्यवसाय अथवा संगठन एक ही प्रबंधन के अंतर्गत है अथवा नहीं, इस विषय में प्राधिकरण का निर्णय अंतिम होगा ।

(5) बीमा दलाल लेखा-परीक्षित खातों के साथ प्रति वर्ष इस विनियम के अनुपालन की पुष्टि करते हुए सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा विधिवत् प्रमाणित एक प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करेगा।

27. बीमा राशि का वियोजन.—(1) अधिनियम की धारा 64बीबी (64VB) के उपबंध बीमाकर्ता द्वारा जोखिम-ग्रहण के प्रश्न का निर्धारण करना जारी रखेंगे।

(2) पुनर्बीमा संविदाओं के मामले में पक्षकारों के बीच विशिष्ट रूप से अथवा अंतरराष्ट्रीय बाजार प्रथाओं के भाग के रूप में यह समझौता कर लिया जाए कि लाइसेंसप्राप्त पुनर्बीमा दलाल अथवा संमिश्र दलाल प्रीमियम वसूल कर सकता है तथा पुनर्बीमाकर्ता को प्रेषित कर सकता है और/या बीमाकृत व्यक्ति को आगे भेजने के लिए पुनर्बीमाकर्ता से प्राप्य दावों की राशि वसूल कर सकता है। इन परिस्थितियों में लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल द्वारा वसूल की गई धनराशि के संबंध में कार्रवाई इन विनियमों की अनुसूची V में विनिर्दिष्ट तरीके से की जाएगी।

28. बीमा दलालों के लिए आचरण संहिता - प्रत्येक बीमा दलाल इन विनियमों की अनुसूची VI-ए में विनिर्दिष्ट रूप में आचरण-संहिता का पालन करेगा। संमिश्र दलाल अथवा पुनर्बीमा दलाल के मामले में वह इन विनियमों की अनुसूची VI-बी में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त आचरण-संहिता का पालन करेगा।

29. खाता-बहियाँ, अभिलेखाँ, आदि का अनुरक्षण.—(1) प्रत्येक बीमा दलाल प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए निम्नलिखित को तैयार करेगा -

- (i) प्रत्येक लेखांकन अवधि की समाप्ति पर तुलन-पत्र अथवा स्थिति विवरण;
- (ii) उस अवधि के लिए लाभ-हानि लेखा;
- (iii) नकदी/निधि प्रवाह का विवरण;
- (iv) बीमा दलाल व्यवसाय संबंधी अतिरिक्त विवरण जैसे कि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित किये जा सकते हैं।

टिप्पणी : इस विनियम के प्रयोजनों के लिए, वित्तीय वर्ष 12 महीने (अथवा कम जहाँ व्यवसाय 1 अप्रैल के बाद प्रारंभ किया गया हो) की अवधि का होगा जो वर्ष के अप्रैल के पहले दिन प्रारंभ होगा और अनुवर्ती वर्ष के मार्च के 31वें दिन समाप्त होगा, तथा खातों का अनुरक्षण उपचय के आधार पर किया जाएगा।

(2) प्रत्येक बीमा दलाल प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर से पहले उप-विनियम (1) में बताये गये रूप में लेखा-परीक्षित वित्तीय विवरणों की प्रतिलिपि उन पर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट के साथ प्राधिकरण को कारोबार के संचालन, खातों की स्थिति आदि के संबंध में लेखा-परीक्षकों की अभ्युक्तियों अथवा टिप्पणियों, यदि कोई हों, सहित प्रस्तुत करेगा तथा प्राधिकरण के पास दाखिल किये गये ऐसे खातों के साथ इस प्रकार की टिप्पणियों पर उपयुक्त स्पष्टीकरण दिया जाएगा।

(3) प्रत्येक बीमा दलाल लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट की तारीख से नब्बे दिन के अंदर लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट में बताई गई कमियाँ यदि कोई हों तो उन्हें सुधारने के लिए कदम उठाएगा और तदनुसार प्राधिकरण को सूचित करेगा।

(4) सभी खाता-बहियाँ, विवरणों, दस्तावेजों, आदि का अनुरक्षण बीमा दलाल के प्रधान कार्यालय अथवा उसके द्वारा नामित और प्राधिकरण को सूचित ऐसे किसी अन्य शाखा कार्यालय में किया जाएगा तथा उन्हें प्राधिकरण के उन अधिकारियों को सभी कार्यदिवसों पर उपलब्ध कराया जाएगा जो निरीक्षण के लिए उसके द्वारा इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत किये जाएँगे।

(5) इस विनियम में उल्लिखित और बीमा दलाल द्वारा अनुरक्षित सभी बहियाँ और दस्तावेजों, विवरणों, संविदा नोटों आदि को उनके संबंधित वर्ष की समाप्ति से कम से कम दस वर्ष की अवधि के लिए रखा जाएगा। तथापि, उन मामलों से संबंधित दस्तावेज जहाँ दावे सूचित किये गये हैं और निर्णय न्यायालयों के फैसले के लिए लंबित है, यह अपेक्षित है कि ऐसे दस्तावेज न्यायालय द्वारा मामले का निपटान होने तक रखे जाएँ। पुनर्बीमा दलालों के मामले में अन्य सभी दस्तावेजों के संबंध में यह अपेक्षित है कि वे उनकी स्वाभाविक समाप्ति तक रखे जाएँ।

(6) विभिन्न विनियमों के अनुपालन की पुष्टि करने वाला प्रमाण-पत्र भी लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट का भाग बनेगा।

(7) प्रत्येक बीमा दलाल प्राधिकरण को अपने द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखा-परीक्षकों का विवरण इन विनियमों के अनुबंध V के अनुसार लेखा-परीक्षित खातों के साथ प्रस्तुत करेगा।

30. छमाही परिणामों की प्रस्तुति.—(1) प्रत्येक बीमा दलाल प्रत्येक वर्ष 31 अक्टूबर और 30 अप्रैल से पहले कार्यनिष्पादन, वित्तीय स्थिति, आदि के ब्योरे से युक्त, लेखा-परीक्षित न किया गया एक छमाही वित्तीय विवरण प्राधिकरण को एक अर्हताप्राप्त सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित निम्नलिखित प्रमाण-पत्रों के साथ प्रस्तुत करेगा।

- (i) इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कि बीमा दलाल अपेक्षित पूँजी रख रहा है, बीमा दलाल बीमा दलाली को छोड़कर किसी अन्य व्यवसाय में लिस नहीं है तथा इन विनियमों के अनुबंध VI-ए के अनुसार विनियम 9 और 11 के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक निवल मालियत (नेट वर्थ) भी बनाये रखता है;

- (ii) इस आशय का एक प्रमाण-पत्र कि बीमा दलाल इन विनियमों के अनुबंध VI-बी के अनुसार विनियम 12 के अनुपालन में एक जमाराशि रखता है;
- (iii) इस आशय का एक प्रमाणपत्र कि इन विनियमों के अनुबंध VI-सी के अनुसार विनियम 13 के अनुपालन में एक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी प्रचलित है;
- (iv) इस बात की पुष्टि करनेवाला एक प्रमाणपत्र कि बीमा दलाल ने इन विनियमों के अनुबंध VI-डी के अनुसार विनियम 25 में निर्धारित सीमाओं के अनुसार पारिश्रमिक प्राप्त किया है;
- (v) पुनर्बीमा दलाल अथवा संमिश्र दलाल के मामले में इस आशय का प्रमाणपत्र कि बीमा दलाल विनियम 27 के उपबंधों का पालन कर रहा है तथा एक अलग बीमा बैंक खाता रख रहा है और उक्त खाते में निहित धनराशियों का उपयोग इन विनियमों के अनुबंध VI-ई के अनुसार विनियमों में यथाविनिर्दिष्ट प्रयोजनों को छोड़कर किन्हीं अन्य प्रयोजनों के लिए नहीं किया गया है।

31. आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ.—(1) प्रत्येक बीमा दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि आंतरिक लेखा-परीक्षा की उपयुक्त प्रणाली लागू है तथा उसके आंतरिक नियंत्रण और प्रणालियाँ उसके व्यवसाय के आकार, स्वरूप और जटिलता के लिए पर्याप्त हैं।

(2) पुनर्बीमा और संमिश्र दलालों के मामले में यह अनिवार्य है कि बीमा दलाल के पास आंतरिक लेखा-परीक्षा प्रणालियाँ होंगी तथा वह एक अनुपालन अधिकारी को नामित करेगा जो बीमा दलाल का एक कर्मचारी होगा।

(3) उपर्युक्त पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना ऐसे बीमा दलाल के लिए यह अनिवार्य है जिसका व्यवसाय एक वित्तीय वर्ष में प्रीमियम के 10 करोड़ रुपये से अधिक है, कि वह अपने पास इस विषय में एक नामित अनुपालन अधिकारी रखेगा जो आंतरिक नियंत्रणों और प्रणालियों के लिए उत्तरदायी होगा।

32. दावा परामर्श कार्य

(1) प्राधिकरण निम्नलिखित शर्तों के अधीन बीमा दलालों द्वारा सीमित दावा परामर्श कार्य की अनुमति देता है:

- (क) 1 करोड़ रुपये से अनधिक दावों के लिए बशर्ते कि इस प्रकार का दावा ऐसी पॉलिसी से उत्पन्न नहीं होता, जो उसी बीमा दलाल अथवा किसी अन्य बीमा दलाल द्वारा रखी गयी हो।
- (ख) परामर्श कार्य प्रदान करने से पहले बीमा दलाल उस दावे के लिए संबंधित बीमाकर्ता के पास ग्राहक का प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राहक से एक लिखित अधिदेश प्राप्त करेगा, जिसके लिए ग्राहक द्वारा परामर्श माँगा गया है और बीमा दलाल द्वारा परामर्श दिया गया है।
- (ग) बीमा दलाल ऐसी सेवाओं के लिए प्रभार वसूल कर सकता है जैसा कि बीमा दलाल और ग्राहक के बीच आपस में तय किया जा सकता है। तथापि, ऐसा शुल्क दावे के प्रतिशत के रूप में अभिव्यक्त नहीं किया जाएगा।
- (घ) बीमा दलाल ऐसे ग्राहकों के साथ अपने सभी लेनदेनों में इन विनियमों की अनुसूचियों VI-ए और VI-बी, जैसा लागू हो, में यथाविनिर्दिष्ट आचरण संहिता के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होगा।
- (ङ) इस प्रकार के परामर्श कार्य की व्यवस्थाओं से दो या उससे अधिक बीमा दलालों के बीच उत्पन्न होने वाले किसी भी विवाद पर पहले भारतीय बीमा दलाल संघ (आईबीएआई) द्वारा विचार किया जाएगा तथा उसके बाद आईबीएआई ऐसे विवाद का सारांश अपनी सिफारिश के साथ अंतिम निपटान के लिए प्राधिकरण के पास प्रेषित करेगा।
- (च) प्राधिकरण समय-समय पर दावा परामर्श कार्य के संबंध में मानदंडों की समीक्षा करेगा और उनका निर्धारण करेगा।

33. सह-दलाली

(1) ग्राहक इस बात के लिए मुक्त है कि वह कार्यकलाप में प्रयुक्त किये जाने वाले बीमा दलालों के कौशल के आधार पर अपनी बीमा संबंधी आवश्यकताओं की दलाली का कार्य संयुक्त रूप से करने के लिए एक से अधिक बीमा दलालों को लिखित रूप में नियुक्त करे तथा उनके बीच उक्त कार्य के विषय में देय दलाली को बाँटने का तरीका

निर्धारित करे। किसी भी स्थिति में सबको मिलाकर बीमा दलालों के बीच बाँटी गई दलाली की कुल राशि विनियम 25 में विनिर्दिष्ट सीमाओं से अधिक नहीं होगी।

(2) सभी प्रत्यक्ष बीमा सह-दलाल ऐसे बीमा दलाल होंगे जो संबंधित व्यवसाय की श्रेणी में दलाली करने के लिए लाइसेंसप्राप्त हैं तथा प्रत्येक सह-दलाल दिनांक 15 सितंबर 2006 के दिशानिर्देश सं. 020/एनएल/आईआरडीए/06 सहित समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये सह-दलाली संबंधी उपबंधों और मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होगा।

(3) सह-दलालों के बीच जिस तरीके से दलाली की राशि बाँटी जाती है वह अनुरोध करने पर बीमाकर्ता को प्रकट की जाएगी। प्रत्येक सह-दलाल को उनके हिस्से के लिए अथवा अग्रणी सह-दलाल, जो आगे अन्य सह-दलालों को भुगतान करने के लिए जिम्मेदार होगा, दलाली के भुगतान के संबंध में बीमाकर्ता ग्राहक के अनुदेशों से मार्गदर्शन प्राप्त करेगा।

(4) पुनर्बीमा स्थापन पर स्थित प्रत्येक सह-दलाल यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा कि इन विनियमों का पालन स्वयं करे तथा अपने द्वारा प्रयुक्त किन्हीं विदेशी दलालों द्वारा भी किया जाए।

34. जोखिमों के स्थापन के लिए विदेशी दलाल के साथ पुनर्बीमा/संमिश्र दलालों द्वारा दलाली की हिस्सेदारी—

- (1) यदि भारत में लाइसेंसप्राप्त कोई बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता विदेश में पुनर्बीमे के स्थापन के लिए किसी पुनर्बीमा दलाल की सेवाओं का उपयोग करता है, तो ऐसा स्थापन केवल प्राधिकरण द्वारा लाइसेंसप्राप्त पुनर्बीमा अथवा संमिश्र दलाल के माध्यम से ही होगा।
- (2) उपर्युक्त उप-विनियम (1) के प्रयोजनों के लिए लाइसेंसप्राप्त पुनर्बीमा अथवा संमिश्र दलाल भारत के बाहर बीमाकर्ताओं अथवा पुनर्बीमाकर्ताओं के पास पुनर्बीमे के स्थापन के लिए किसी विदेशी दलाल की सेवाएँ प्राप्त कर सकता है।
- (3) उपर्युक्त उप-विनियम (2) के प्रयोजनों के लिए प्राधिकरण से लाइसेंसप्राप्त पुनर्बीमा/संमिश्र दलाल विदेशी दलाल से प्राप्त सेवाओं के लिए उनके साथ दलाली के 50 प्रतिशत से अधिक हिस्सा नहीं लेगा।
- (4) भारत में बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं को विदेशी आवक पुनर्बीमा व्यवसाय के मामले में यदि ऐसा स्थापन किसी बीमा दलाल से संबद्ध है, तो वह केवल प्राधिकरण से लाइसेंसप्राप्त पुनर्बीमा/संमिश्र दलाल के माध्यम से ही होगा। तथापि, विदेशी दलाल विदेशी आवक पुनर्बीमे के स्थापन के लिए प्राधिकरण से लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल के साथ उपयुक्त व्यवस्था कर सकता है तथा दलाली की हिस्सेदारी इस प्रकार की व्यवस्था द्वारा नियंत्रित होगी।

35. एक कारपोरेट समूह को एकल दलाली लाइसेंस तथा समूह कंपनियों के साथ व्यवहार

(1) प्राधिकरण किसी कारपोरेट समूह को प्रत्यक्ष दलाल (जीवन) और/या प्रत्यक्ष दलाल (साधारण) और/या पुनर्बीमा दलाल या संमिश्र दलाल की श्रेणियों में केवल एक ही बीमा दलाली लाइसेंस जारी करेगा। इन विनियमों के प्रयोजनों के लिए समूह का अर्थ वही होगा जैसा कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (निवेश) (5वाँ संशोधन) विनियम, 2013 में परिभाषित है।

(2) बीमा दलाल की प्रवर्तक कंपनी यह वचनपत्र देगी कि प्रवर्तक समूह के अंदर किसी भी ग्राहक को उनकी बीमा संबंधी आवश्यकताओं के लिए विवश नहीं किया जाएगा। सभी सूचनाओं में एक ही प्रवर्तक समूह के अंदर उनके एक समूह कंपनी होने का सुस्पष्ट प्रकटीकरण किया जाएगा।

(3) आईसीएआई के लेखांकन मानक 18 के अनुसार प्रवर्तक समूह के साथ संबंधित पक्षकार संबंधी लेनदेनों के प्रकटीकरण उनके लेखा-परीक्षित खातों एवं तुलन-पत्र में अनिवार्यतः होंगे।

36. बीमा दलालों के नाम

(1) बीमा दलालों के पास बीमा दलाल के नाम में शब्द बीमा 'दलाल'/'बीमा दलाली' होगा जिससे उनके कार्यकलाप की दिशा प्रतिबिंबित हो सके तथा परामर्शदाताओं, जोखिम प्रबंधकों और इस प्रकार के अन्य लाइसेंस-रहित बीमा संबंधी संस्थाओं से आईआरडीए द्वारा लाइसेंस-प्राप्त बीमा दलालों का अंतर जनसाधारण के लिए स्पष्ट हो सके। दलाली लाइसेंस की अपेक्षा करने वाले नये आवेदकों के आवेदन पर नाम संबंधी अपेक्षा के पालन के अभाव में विचार नहीं किया जाएगा।

(2) प्रत्येक लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल हितधारकों के साथ अपने समस्त पत्र-व्यवहार में प्राधिकरण के पास पंजीकृत अपना नाम, पंजीकृत और कारपोरेट कार्यालय का पता, आईआरडीए से प्राप्त लाइसेंस संख्या, वह श्रेणी जिसके लिए बीमा दलाल को लाइसेंस प्रदान किया गया है, लाइसेंस की वैधता अवधि प्रदर्शित करेगा। बीमा दलालों को प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के बिना अपने पत्र-व्यवहार/साहित्य/पत्र-शीर्षों में किसी अन्य नाम का प्रयोग करने की अनुमति नहीं है।

37. कुछ उल्लंघनों के लिए वित्तीय दंड

(1) यदि कोई लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 तथा उनके अंतर्गत बनाये गये किन्हीं नियमों और विनियमों के उपबंधों, समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये किसी भी परिपत्र/दिशानिर्देशों/आदेशों का उल्लंघन करता है, तो प्राधिकरण उल्लंघन के स्वरूप/गंभीरता के आधार पर उपयुक्त दंड लगाते हुए आदेश जारी कर सकता है।

(2) बीमा दलाल यदि प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट है, तो ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए प्राधिकरण के अध्यक्ष को आवेदन कर सकता है।

(3) प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसे आवेदन पर विचार करेगा तथा उसकी प्राप्ति के पैंतालीस दिन के अंदर उस पर अपने निर्णय की सूचना आवेदक को लिखित में देगा।

(4) यदि प्राधिकरण का अध्यक्ष उपर्युक्त उप-विनियम (2) के अंतर्गत किये गये आवेदन पर पुनर्विचार करने के बाद आवेदन को अस्वीकार करता है, तो बीमा दलाल उपर्युक्त उप-विनियम (1) के अंतर्गत लागू किया गया अर्थदंड प्राधिकरण के अध्यक्ष के निर्णय की प्राप्ति से 15 दिन के अंदर अदा करेगा तथा ऐसा न करने पर उनका लाइसेंस निलंबित अथवा निरस्त किया जा सकता है।

38. प्राधिकरण को प्रकटीकरण.—(1) बीमा दलाल प्राधिकरण को ऐसे किसी भी महत्वपूर्ण परिवर्तन का प्रकटीकरण, जिसका संबंध उनके लाइसेंस से हो, स्वयं ही ऐसा परिवर्तन होने के 30 दिन के अंदर करेगा;

(2) बीमा दलाल प्राधिकरण को जब भी उसके द्वारा अपेक्षित किया जाता है तब ऐसी अपेक्षा करने से लेकर किसी भी स्थिति में तीस दिन से अनधिक अवधि में निम्नलिखित सूचना प्रकट करेगा, अर्थात्—

- (i) किसी बीमा संविदा के स्थापन के संबंध में उनकी जिम्मेदारियाँ;
- (ii) पूर्व में प्रस्तुत की गई सूचना अथवा विवरण में कोई भी परिवर्तन, जिसका संबंध उन्हें प्रदान किये गये लाइसेंस से हो;
- (iii) उन ग्राहकों के नाम जिनके बीमा संविभाग का प्रबंध वे कर रहे हैं अथवा पहले कर चुके हैं;
- (iv) समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट कोई भी अन्य अपेक्षा।

बशर्ते कि विनियम 2(1)(ठ)(घ) में विनिर्दिष्ट व्यक्ति के मामले में प्राधिकरण ऐसी सूचना माँग सकता है और प्राप्त कर सकता है जिसे वह उचित समझता है।

(3) किसी भी स्थिति में बीमा दलाल को निम्नलिखित के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना होगा:

- (i) प्रधान अधिकारी का परिवर्तन;
- (ii) निदेशक (निदेशकों)/साझेदार (साझेदारों) में परिवर्तन;
- (iii) कंपनी के नाम में परिवर्तन;

- (iv) कारपोरेट/पंजीकृत कार्यालय के स्थान में परिवर्तन;
- (v) कारोबार के प्रधान स्थान में परिवर्तन।

(4) बीमा दलाल प्राधिकरण को पूर्व में प्रस्तुत सूचना में जब भी कोई परिवर्तन/संवर्धन हो तब प्राधिकरण को निम्नलिखित सूचना प्रस्तुत करेगा

- (i) शाखा कार्यालयों का प्रारंभ/समापन;
- (ii) दलाल अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों की सूची;
- (iii) व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी के अंतर्गत दावे के संबंध में;
- (iv) अचल संपत्ति का अभिग्रहण करने पर;

(5) प्राधिकरण समय-समय पर बीमा दलाल से अपेक्षा कर सकता है कि वह संबंधित विषय में विनिर्दिष्ट तरीके से सूचना/आंकड़े/दस्तावेज प्रस्तुत करे।

(6) इस विनियम का पालन न करने पर इसके परिणामस्वरूप बीमा दलाल के विरुद्ध विनियम 41 के उपबंधों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

स्पष्टीकरण : (1) इस विनियम के प्रयोजन के लिए, 'महत्वपूर्ण परिवर्तन' से ऐसा कोई परिवर्तन अभिप्रेत है जिसका संबंध इन विनियमों के विनियम 8 के अंतर्गत उनके आवेदन पर विचार करने से है।

(2) इस विनियम के प्रयोजन के लिए, 'कारोबार के प्रधान स्थान' से व्यवसाय के प्रधान कार्यालय का स्थान अभिप्रेत है जहाँ खाता बहियाँ और दस्तावेज रखे जाते हैं और/या प्रबंधन कार्य करता है।

39. प्राधिकरण का निरीक्षण करने का अधिकार.—(1) बीमा दलाल के परिसर का निरीक्षण करने के लिए प्राधिकरण "निरीक्षण प्राधिकारी" के रूप में अपने एक अथवा अधिक अधिकारियों को नियुक्त कर सकता है जिससे यह पता लगाया जा सके और देखा जा सके कि कारोबार कैसे संचालित किया जा रहा है तथा उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट किसी भी प्रयोजन के लिए बीमा दलाल की खाता-बहियाँ, अभिलेखों और दस्तावेजों का निरीक्षण भी किया जा सके।

(2) उप-विनियम (1) में उल्लिखित प्रयोजन निम्नानुसार हो सकते हैं, अर्थात् :-

- (i) यह सुनिश्चित करना कि खाता-बहियों का अनुरक्षण अपेक्षित तरीके से किया जा रहा है;
- (ii) यह सुनिश्चित करना कि अधिनियम, नियमों, विनियमों के उपबंधों का पालन किया जा रहा है;
- (iii) बीमा दलाल के कार्यकलापों से संबंध रखनेवाले किसी भी विषय पर किसी बीमाकृत व्यक्ति, किसी बीमाकर्ता, अन्य बीमा दलालों अथवा किसी अन्य व्यक्ति से प्राप्त शिकायतों की जाँच-पड़ताल करना; तथा
- (iv) बीमा व्यवसाय के समुचित विकास के हित में अथवा पॉलिसीधारकों के हित में अथवा पॉलिसीधारकों के हित में अपने आप बीमा दलाल के कार्यों की जाँच-पड़ताल करना।

(3) जिस तरीके से निरीक्षण संचालित किया जाएगा, वह इन विनियमों की अनुसूची VII में विनिर्दिष्ट है।

40. प्राधिकरण द्वारा अन्वेषक की नियुक्ति.—(1) प्राधिकरण बीमा दलाल की खाता-बहियों अथवा उसके कार्यकलापों की जाँच-पड़ताल करने के लिए किसी सनदी लेखाकार अथवा बीमांकिक अथवा बीमे के क्षेत्र में अर्हताप्राप्त और अनुभव रखनेवाले किसी व्यक्ति को नियुक्त कर सकता है।

बशर्ते कि इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति के पास निरीक्षण अधिकारी के वही अधिकार होंगे जो विनियम 39 में उल्लिखित हैं तथा विनियम 39 में बताये गये बीमा दलाल के दायित्व इस विनियम के अंतर्गत जाँच-पड़ताल के लिए लागू होंगे।

स्पष्टीकरण — इस विनियम के प्रयोजनों के लिए अभिव्यक्ति "सनदी लेखाकार" (चार्टर्ड अकाउंटेंट) का अर्थ वही होगा जो समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 2013 (2013 का 18) की धारा 141 में दिया गया है, तथा अभिव्यक्ति 'बीमांकिक' का अर्थ वही होगा जो बीमांकिक अधिनियम, 2006 (2006 का 35) की धारा 2(1)(क) में दिया गया है।

(2) ऐसी जाँच-पड़ताल के व्ययों और लागतों की वसूली प्राधिकरण द्वारा उस बीमा दलाल से की जाएगी जिसके कार्यकलापों की जाँच-पड़ताल करने की आवश्यकता उत्पन्न हुई थी ।

41. सूचना के साथ लाइसेंस का निरस्तीकरण अथवा निलंबन — (1) किसी बीमा दलाल का लाइसेंस उचित सूचना और उनको अपनी बात कहने के लिए उचित अवसर देने के बाद निरस्त अथवा निलंबित किया जा सकता है यदि वे-

- (क) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41) अथवा उनके अधीन बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के समय-समय पर यथासंशोधित उपबंधों का उल्लंघन करते हैं;
- (ख) प्राधिकरण द्वारा की गई अपेक्षानुसार बीमा दलाल के रूप में अपने कार्यकलापों से संबंधित कोई सूचना प्रस्तुत नहीं करते;
- (ग) प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निदेशों का पालन नहीं करते;
- (घ) लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत आवेदन में अथवा लाइसेंस की वैधता-अवधि के दौरान गलत या झूठी सूचना प्रस्तुत करते हैं; अथवा महत्वपूर्ण तथ्यों को छिपाते हैं अथवा प्रकट नहीं करते हैं;
- (ङ) प्राधिकरण की अपेक्षानुसार आवधिक विवरणियाँ प्रस्तुत नहीं करते हैं;
- (च) प्राधिकरण द्वारा संचालित किसी निरीक्षण अथवा जाँच में सहयोग नहीं करते हैं;
- (छ) पॉलिसीधारकों की शिकायतों का समाधान नहीं करते हैं अथवा इस संबंध में प्राधिकरण को संतोषजनक उत्तर नहीं देते हैं;
- (ज) किसी ग्राहक अथवा ग्राहक के किसी भी निदेशक अथवा अन्य कर्मचारियों अथवा परिचयकर्ता के रूप में कार्य करनेवाले किसी व्यक्ति को छूटें अथवा नकद या वस्तु रूप में प्रलोभन देने में लिप्त हैं;
- (झ) कदाचार के दोषी पाये गये हैं अथवा उनका आचरण अनुसूची VI-ए और VI-बी, जो भी लागू है, में विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता के अनुरूप नहीं है;
- (ञ) विनियम 9 के उपबंधों के अनुसार पूँजीगत अपेक्षाओं का अनुरक्षण नहीं करते हैं;
- (ट) इन विनियमों के अधीन शुल्क, लागू किये गये अर्थदंड का भुगतान अथवा व्ययों की प्रतिपूर्ति नहीं करते;
- (ठ) लाइसेंस की शर्तों का उल्लंघन करते हैं;
- (ड) विनियमों में विनिर्दिष्ट रूप में अपने दायित्वों को पूरा नहीं करते;
- (ढ) ऐसे प्रधान अधिकारी के साथ व्यवसाय का संचालन करते हैं जो विनियम 8 में विनिर्दिष्ट रूप में निर्धारित अवधि के अंदर व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त नहीं करता और परीक्षा उत्तीर्ण नहीं करता ।
- (ण) प्राधिकरण यह महसूस करता है कि बीमा दलाल की स्थापना केवल कंपनियों के समूह अथवा उनकी सहयोगी संस्थाओं के अंदर निधियों का विपथन करने के लिए है, तथा यह तथ्य प्राधिकरण द्वारा की गई उचित जाँच के बाद प्रमाणित हो चुका है।

42. सूचना दिये बिना लाइसेंस का निरस्तीकरण अथवा निलंबन.—(1) बीमा दलाल का लाइसेंस सूचना दिये बिना निरस्त अथवा निलंबित किया जा सकता है, यदि वे—

- (क) अनुसूची VI-ए और VI-बी, जो भी लागू है, में विनिर्दिष्ट आचरण-संहिता के अंतर्गत किसी एक अथवा उससे अधिक अपेक्षाओं का उल्लंघन करते हैं;
- (ख) धोखाधड़ी करने के दोषी पाये गये हैं अथवा दंडनीय अपराध के दोषी ठहराये गये हैं;
- (ग) ऐसी चूकें करते हैं जिनके लिए प्राधिकरण की राय में तत्काल कार्रवाई अपेक्षित है, बशर्ते कि प्राधिकरण ने निरस्तीकरण के लिए कारण लिखित में सूचित कर दिये हों;
- (घ) बीमा दलाल ने लाइसेंस प्रदान करने के बाद छह महीने के अंदर कारोबार प्रारंभ नहीं किया है ।

(2) यदि बीमा दलाल का लाइसेंस सूचना दिये बिना निलंबित किया गया है, तो इस प्रकार का लाइसेंस तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा जब तक विनियम 44 में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार जाँच नहीं की जाती।

43. निलंबन के आदेश का प्रकाशन.—विनियम 41 और विनियम 42 के अंतर्गत जारी किये गये लाइसेंस के निलंबन का आदेश प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा बीमाकर्ताओं को सूचित किया जाएगा, ताकि निलंबित बीमा दलाल द्वारा नये कारोबार का पंजीकरण बीमाकर्ताओं द्वारा तत्काल रोका जा सके।

- (1) बीमा दलाल लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की तारीख को और उस तारीख से बीमा दलाल के रूप में कार्य करना समाप्त करेगा।
- (2) तथापि, बीमा दलाल अपने द्वारा पहले से की गई संविदाओं के संबंध में सेवा प्रदान करना छह महीने की अवधि के लिए जारी रखेगा जिसके अंदर उक्त संविदाओं के संबंध में एक अन्य लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगा।

44. बीमा दलाल के लाइसेंस के निलंबन के बाद जाँच आयोजित करने की विधि -

- (1) बीमा दलाल का लाइसेंस तब तक निरस्त नहीं किया जाएगा जब तक इस विनियम में विनिर्दिष्ट क्रियाविधि के अनुसार जाँच आयोजित नहीं की जाती।
- (2) इस विनियम के अधीन जाँच आयोजित करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण निलंबन आदेश जारी करने के 15 दिन के अंदर एक जाँच अधिकारी को नियुक्त कर सकता है;
- (3) जाँच अधिकारी बीमा दलाल के पंजीकृत कार्यालय अथवा व्यवसाय के प्रधान स्थान, जैसी स्थिति हो, में बीमा दलाल को ऐसी सूचना/आंकड़े माँगते हुए एक नोटिस जारी करेगा जो जाँच का संचालन करने के लिए वह आवश्यक समझता है तथा माँगी गई सूचना/आंकड़े प्रस्तुत करने के लिए बीमा दलाल को ऐसी नोटिस प्राप्त होने की तारीख से पंद्रह दिन की समय-सीमा देगा;
- (4) बीमा दलाल ऐसी नोटिस प्राप्त करने की तारीख से पंद्रह दिन के अंदर जाँच अधिकारी को उक्त नोटिस का उत्तर उनके लिए आधारभूत अथवा जाँच अधिकारी द्वारा माँगे गये दस्तावेजी या अन्य साक्ष्य की प्रतियों के साथ प्रस्तुत कर सकता है;
- (5) जाँच अधिकारी बीमा दलाल को अपनी बात कहने के लिए एक उचित अवसर देगा ताकि वह उपर्युक्त उप-विनियम (4) के अधीन दिये गये अपने उत्तर के समर्थन में प्रस्तुति कर सके;
- (6) बीमा दलाल या तो स्वयं उपस्थित हो सकता है अथवा अपने द्वारा विधिवत् प्राधिकृत किसी व्यक्ति के माध्यम से अपना मामला प्रस्तुत कर सकता है, तथापि शर्त यह होगी कि उक्त 'प्राधिकृत व्यक्ति' की उपस्थिति के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया जाएगा;
- (7) यदि आवश्यक समझा जाता है तो जाँच अधिकारी प्राधिकरण से अपना मामला अपने एक अधिकारी के माध्यम से प्रस्तुत करने की अपेक्षा कर सकता है;
- (8) यदि आवश्यक समझा जाता है तो जाँच अधिकारी जाँच के दौरान बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य संबंधित संस्था से प्रतिसूचना/जानकारी माँग सकता है;
- (9) यदि आवश्यक समझा जाता है तो जाँच अधिकारी बीमा दलाल से अतिरिक्त कागज-पत्रों की माँग कर सकता है;
- (10) जाँच अधिकारी शीघ्रतिशीघ्र, परंतु किसी भी स्थिति में जाँच प्रारंभ करने से 60 दिन के अंदर कार्यवाही पूरी करने के लिए सभी आवश्यक प्रयास करेगा बशर्ते कि यदि उपर्युक्त (9) में उल्लिखित रूप में 60 दिन की निर्धारित समय-सीमा के अंदर जाँच पूरी नहीं की जा सकती; तो जाँच अधिकारी इसके लिए कारण बताते हुए अध्यक्ष से अतिरिक्त समय की अपेक्षा कर सकता है;
- (11) जाँच अधिकारी सभी संबंधित तथ्यों और बीमा दलाल द्वारा की गई प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद जाँच की कार्यवाही पूरी करने के 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को एक रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

45. जाँच रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद की जानेवाली कार्रवाई.—(1) जाँच अधिकारी से रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद प्राधिकरण उस रिपोर्ट पर विचार करेगा तथा यदि रिपोर्ट की विषय-वस्तु से बीमा दलाल को प्रदान किये गये लाइसेंस को निरस्त करने की आवश्यकता उत्पन्न हो तो बीमा दलाल को एक कारण-बताओ नोटिस जारी करेगा;

बशर्त कि यदि विनियम 42 के उपबंध लागू होते हैं तो ऐसी कोई नोटिस अपेक्षित नहीं होगी।

(2) बीमा दलाल उक्त कारण बताओ नोटिस प्राप्त करने की तारीख से इक्कीस दिन के अंदर प्राधिकरण को उत्तर प्रेषित करेगा।

(3) प्राधिकरण कारण बताओ नोटिस के उत्तर पर विचार करने के बाद यथाशीघ्र, परंतु उक्त उत्तर प्राप्त करने से तीस दिन के अंदर ऐसा आदेश जारी करेगा जो वह उचित समझेगा।

तथापि, शर्त यह होगी कि जहाँ बीमा दलाल इस विनियम के अंतर्गत नोटिस देने पर कथित अवधि के अंदर कोई उत्तर नहीं देता, वहाँ प्राधिकरण ऐसी समयावधि के समाप्त होने के बाद मामले में गुण-दोष के आधार पर निर्णय करने के लिए आगे बढ़ सकता है तथा ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझता है।

(4) प्राधिकरण उप-विनियम (3) के अंतर्गत बनाया गया 'प्राधिकरण का अंतिम आदेश' बीमा दलाल को भेजेगा।

(5) कोई भी बीमा दलाल यदि प्राधिकरण के आदेश से असंतुष्ट है तो ऐसी सूचना मिलने की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर प्राधिकरण के अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(6) प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसे आवेदन पर विचार करेगा और उस पर अपना निर्णय बीमा दलाल को उसकी प्राप्ति से पैंतालीस दिन के अंदर लिखित में सूचित करेगा।

46. लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए क्रियाविधि—

(1) प्राधिकरण बीमा दलाल के लाइसेंस के निरस्तीकरण के लिए अंतिम आदेश जारी करेगा तथा उक्त अंतिम आदेश की तारीख से वे बीमा दलाल के रूप में कार्य करना समाप्त करेंगे।

(2) बीमा दलाल के लाइसेंस के निरस्तीकरण की अधिसूचना की प्रक्रिया विनियम 47 में दी गई है।

(3) प्राधिकरण इस प्रकार होने की स्थिति में विनियम 12 के अधीन रखी गई बीमा दलाल की जमाराशि के निपटान के लिए ऐसा आदेश पारित कर सकता है जैसा कि वह उचित समझता है।

(4) बीमा दलाल जिसका लाइसेंस निरस्त किया गया है, लाइसेंस के निरस्तीकरण के आदेश से छह महीने की अवधि के लिए उनके द्वारा पहले से की गई संविदाओं के संबंध में सेवा प्रदान करना जारी रखेगा, जिस अवधि के दौरान उक्त संविदाओं के संबंध में आवश्यक सेवा किसी अन्य लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल द्वारा प्रदान करने के लिए वे आवश्यक व्यवस्था करेंगे।

(5) लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल जो उस बीमा दलाल से पॉलिसी सेवा के दायित्वों का भार लेने के लिए सहमत है जिसका लाइसेंस निरस्त किया गया है, उक्त पूरी अवधि के दौरान पॉलिसियों / संविदाओं संबंधी सेवा प्रदान करने के लिए बीमाकर्ता को अपना अनुरोध प्रस्तुत करेगा।

(6) लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल पॉलिसी संबंधी सेवा के दायित्वों का भार लेने के लिए बीमाकर्ता से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद संविदाओं की सेवा की तारीख से भावी प्रभाव के साथ प्रचलित वर्तमान संविदाओं पर दलाली वसूल कर सकता है।

(7) बीमा दलाल, जिसे बीमाकर्ता ने प्राधिकार दिया है, को संविदाओं की सेवा के आबंटन की तारीख से भावी प्रभाव के साथ प्रचलित वर्तमान संविदाओं पर बीमाकर्ता दलाली/ पॉलिसी सेवा का भुगतान करेगा।

47. लाइसेंस के निरस्तीकरण के आदेश का प्रकाशन.—विनियम 45 के उप-विनियम (3) के अधीन दिये गये लाइसेंस के निरस्तीकरण का आदेश प्राधिकरण की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने के अतिरिक्त एक अंग्रेजी भाषा के दैनिक समाचारपत्र और एक क्षेत्रीय भाषा के समाचारपत्र, जैसा कि प्राधिकरण उचित समझे, में प्रकाशित किया जाएगा।

48. लाइसेंस के निरस्तीकरण का प्रभाव.—(1) लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण की तारीख को और उस तारीख से बीमा दलाल, एक बीमा दलाल के रूप में कार्य करना बंद करेगा।

(2) तथापि, बीमा दलाल पहले से अपने माध्यम से की गई संविदाओं की तामील छह महीने की अवधि के लिए जारी रखेगा जिसके अंदर उसके द्वारा उक्त संविदाओं के संबंध में अन्य लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल द्वारा आवश्यक कार्रवाई करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।

(3) अन्य लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल जो पॉलिसी सेवा के दायित्वों का भार ग्रहण करने के लिए सहमत है, वर्तमान संविदाओं पर दलाली वसूल कर सकता है जो पूर्व में बीमाकर्ताओं से वसूल नहीं की गई हो, बशर्ते कि बीमा दलाल पॉलिसियों की सेवा उसकी पूरी अवधि के दौरान करने के लिए वचन देता हो।

49. लाइसेंस का स्वैच्छिक अभ्यर्पण : विनियम 5 के अधीन लाइसेंसप्राप्त बीमा दलाल अपना लाइसेंस अभ्यर्पित करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है। प्राधिकरण ऐसे आवेदन पर गुण-दोष के आधार पर विचार कर सकता है।

(2) अभ्यर्पण के लिए बीमा दलाल द्वारा प्रस्तुत किये गये आवेदन को स्वीकार करने पर प्राधिकरण लाइसेंस के अभ्यर्पण के लिए एक आदेश पारित कर सकता है।

(3) बीमा दलाल, जिसका लाइसेंस अभ्यर्पित किया गया है तथा प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत किया गया है, को विनियम 48 में विनिर्दिष्ट रूप में व्यवस्था करनी होगी।

(4) लाइसेंस के अभ्यर्पण हेतु प्रस्तुत करने के लिए अपेक्षित दस्तावेज/सूचना इन विनियमों के अनुबंध VIII के अनुसार है।

50. स्पष्टीकरण आदि जारी करने के लिए प्राधिकरण का अधिकार- इन विनियमों को लागू करने अथवा इनका अर्थ लगाने में किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए प्राधिकरण परिपत्रों के रूप में स्पष्टीकरण, निदेश और मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर सकता है।

51. सामान्य - (1) इन विनियमों के प्रारंभ होने की तारीख से कोई भी व्यक्ति बीमा दलाल के रूप में तब तक कार्य नहीं कर सकता, जब तक इन विनियमों के अधीन अथवा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के अधीन प्राधिकरण द्वारा उसको लाइसेंस प्रदान नहीं किया जाता।

क) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के अधीन लाइसेंसप्राप्त बीमा दलालों सहित बीमा दलाल इन विनियमों की अधिसूचना की तारीख से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के उपबंधों से नियंत्रित होंगे।

ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन जारी किये गये लाइसेंस, लाइसेंस की समाप्ति तक निरंतर वैध होंगे बशर्ते कि विनियमों की अधिसूचना की तारीख से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के किसी भी उपबंध का कोई उल्लंघन नहीं किया जाए।

ग) इन विनियमों की अधिसूचना से पहले लाइसेंस प्रदान करने के लिए अथवा लाइसेंस के नवीकरण के लिए प्राधिकरण में प्राप्त आवेदन तब तक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होंगे जब तक ऐसे आवेदनों पर अंतिम रूप से विचार नहीं किया जाता/उनका निपटान नहीं किया जाता।

घ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के उपबंधों के अधीन बीमा दलाल के विरुद्ध प्रारंभ की गई कार्यवाही / विभागीय जाँच / विभागीय निरीक्षण उनका अंतिम निपटान किये जाने तक बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2002 के उपबंधों द्वारा नियंत्रित होंगे।

(2) बीमा दलाल और बीमाकर्ता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के बीच बीमा दलाल के रूप में उनकी नियुक्ति के दौरान अथवा अन्य प्रकार से उत्पन्न होनेवाले किसी भी विवाद को इस प्रकार प्रभावित व्यक्ति द्वारा प्राधिकरण के पास भेजा जा सकता है;

तथा शिकायत अथवा अभ्यावेदन के प्राप्त होने पर प्राधिकरण शिकायत की जाँच कर सकता है और यदि आवश्यक पाया जाता है तो इन विनियमों के अनुसार जाँच अथवा निरीक्षण अथवा अन्वेषण संचालित करने के लिए प्राधिकरण अग्रसर हो सकता है।

अनुसूची I

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

प्रत्यक्ष दलाल/पुनर्बीमा दलाल/संमिश्र दलाल के कार्य

(विनियम 4 देखें)

1. **प्रत्यक्ष दलाल के कार्य.**—प्रत्यक्ष दलाल के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे :
 - (क) ग्राहक के व्यवसाय और जोखिम प्रबंध दर्शन की विस्तृत जानकारी प्राप्त करना;
 - (ख) ग्राहक के व्यवसाय और जोखिम अंकन संबंधी सूचना से स्वयं परिचित होना ताकि यह बीमाकर्ता और अन्यो को स्पष्ट किया जा सके;
 - (ग) उपयुक्त बीमा रक्षा और शर्तों के संबंध में परामर्श देना;
 - (घ) जैसा लागू हो, उपलब्ध बीमा बाजारों की विस्तृत जानकारी का अनुरक्षण करना;
 - (ङ) बीमाकर्ता/ओं से प्राप्त भाव (कोटेशन) ग्राहक के विचारार्थ प्रस्तुत करना;
 - (च) रक्षा के लिए कीमत-निर्धारण की शर्तें तय करने के लिए जोखिम का निर्धारण करने में बीमाकर्ता द्वारा अपेक्षित रूप में जोखिम अंकन की आवश्यक सूचना उपलब्ध कराना;
 - (छ) ग्राहक से अनुदेश प्राप्त होने पर उनके संबंध में तत्परतापूर्वक कार्रवाई करना तथा उसको लिखित रूप में प्राप्ति-सूचनाएं और प्रगति की रिपोर्टें उपलब्ध कराना;
 - (ज) बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 64वीबी (64VB) के अधीन प्रीमियम का भुगतान करने में ग्राहकों की सहायता करना;
 - (झ) बीमा परामर्श कार्य और जोखिम प्रबंध से संबंधित सेवाएँ प्रदान करना;
 - (ञ) दावों के संबंध में बातचीत में सहायता करना; तथा
 - (ट) दावों के उचित अभिलेखों का अनुरक्षण करना;
2. **पुनर्बीमा दलाल के कार्य** – पुनर्बीमा दलाल के कार्यों में निम्नलिखित शामिल होंगे :
 - (क) ग्राहक के व्यवसाय और जोखिम प्रतिधारण दर्शन से स्वयं परिचित होना;
 - (ख) पुनर्बीमाकर्ता(ओं) अथवा अन्यो की सहायता करने के लिए बीमाकर्ता के व्यवसाय के स्पष्ट अभिलेखों का अनुरक्षण करना;
 - (ग) अंतरराष्ट्रीय बीमा और पुनर्बीमा बाजारों में उपलब्ध पुनर्बीमा रक्षाओं से संबंधित तकनीकी आंकड़ों के आधार पर परामर्श देना;
 - (घ) वैयक्तिक पुनर्बीमाकर्ताओं की शोधक्षमता रेटिंगों सहित, उपलब्ध पुनर्बीमा बाजारों के डेटाबेस का अनुरक्षण करना;
 - (ङ) पुनर्बीमे के लिए परामर्श कार्य और जोखिम प्रबंध सेवाएँ प्रदान करना;
 - (च) एक पुनर्बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ताओं के समूह का चयन करना और उनकी सिफारिश करना;
 - (छ) ग्राहक की ओर से पुनर्बीमाकर्ता के साथ बातचीत करना;
 - (ज) उनके पास रखी गई पुनर्बीमा संविदाओं के संराशीकरण की स्थिति में सहायता करना;
 - (झ) ग्राहक से अनुदेश प्राप्त होने पर उनके संबंध में तत्परतापूर्वक कार्रवाई करना तथा उसको लिखित रूप में प्राप्ति-सूचनाएँ और प्रगति रिपोर्टें उपलब्ध कराना;
 - (ञ) सहमत समय के अंदर प्रीमियम और दावे प्राप्त करना तथा प्रेषित करना;
 - (ट) दावों के संबंध में वार्ता और निपटान में सहायता करना;
 - (ठ) दावों के उचित अभिलेखों का अनुरक्षण करना;

- (ड) पुनर्बीमाकर्ताओं और अंतरराष्ट्रीय बीमा दलालों का चयन उनकी संबंधित सुरक्षा रेटिंगों को ध्यान में रखते हुए करते समय एवं उनकी सेवाओं का निर्धारण करते हुए संबंधित दायित्व स्थापित करते समय उचित सावधानी और सतर्कता बरतना;
- (ढ) दोनों प्रत्यक्ष बीमाकर्ताओं और पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए तथा उनसे नये, दबावग्रस्त, उभरते और वर्तमान व्यवसाय व परिसंपत्ति वर्ग हेतु बाजार क्षमता और सुविधा का निर्माण करना;
- (ण) उचित समय के अंदर प्रारंभिक हानि सूचना (पीएलए) देना;
- (त) व्यवसाय के स्वरूप को देखते हुए आवक और जावक व्यवसाय के लिए अलग-अलग मानदंडों का अनुसरण करने की आवश्यकता होगी;
- क. आवक व्यवसाय
- i. दलाल को उस देश की पर्याप्त विशिष्ट जानकारी रखनी होगी जिसका व्यवसाय प्रस्तावित किया जा रहा है, जैसे :
राजनैतिक स्थिरता, आर्थिक स्थिति, स्थानीय विनियम, कर संबंधी कानून, आदि।
- ii. पुनर्बीमाकर्ताओं की व्यावसायिक योजना और जोखिम-वहन क्षमता के आधार पर नये व्यवसाय/ उत्पाद आरंभ करना
- ख. जावक व्यवसाय
- i. पुनर्बीमाकर्ता की रेटिंग और बाजार संबंधी विश्वसनीयता
- (थ) निधियों के तत्परतापूर्वक संग्रहण और प्रेषण को सुनिश्चित करने के लिए निधियों के लिए अनुवर्तन जैसा संगत हो, अध्यक्षणकर्ता से पुनर्बीमाकर्ता को तथा पुनर्बीमाकर्ता से अध्यक्षणकर्ता को निपटान के लिए नियत तारीखों से पर्याप्त समय पहले प्रारंभ करना होगा;
3. **संमिश्र दलाल के कार्य** - संमिश्र दलाल उपर्युक्त खंड 1 और 2 में उल्लिखित कार्य करेगा।

अनुसूची II

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 8 देखें)

प्रधान अधिकारी तथा बीमे की अपेक्षा करने के लिए उत्तरदायी किसी भी अन्य व्यक्ति के लिए योग्यता, प्रशिक्षण और परीक्षा उत्तीर्ण करने की आवश्यकता

खंड 1 : न्यूनतम शैक्षिक योग्यताएँ—

- (क) किसी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था/विश्वविद्यालय से प्राप्त कला, विज्ञान, अथवा सामाजिक विज्ञान अथवा वाणिज्य में स्नातक उपाधि अथवा उसकी समकक्ष योग्यता; अथवा
- (ख) किसी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था/विश्वविद्यालय से प्राप्त इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि अथवा उसकी समकक्ष योग्यता; अथवा
- (ग) किसी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था/विश्वविद्यालय से प्राप्त विधि में स्नातक उपाधि अथवा उसकी समकक्ष योग्यता; अथवा
- (घ) किसी राज्य सरकार अथवा केंद्र सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त व्यवसाय-प्रशासन में मास्टर की उपाधि अथवा उसकी समकक्ष योग्यता; अथवा
- (ङ) भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई का एसोसिएट/फेलो; अथवा
- (च) जोखिम प्रबंध संस्थान, मुंबई का एसोसिएट/फेलो; अथवा
- (छ) बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान, हैदराबाद की कोई स्नातकोत्तर अर्हता; अथवा
- (ज) भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान, नई दिल्ली का एसोसिएट/फेलो; अथवा

- (झ) इन्स्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट एण्ड वर्क्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया, कोलकाता का एसोसिएट/फेलो; अथवा
 (ञ) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान, नई दिल्ली का एसोसिएट/फेलो; अथवा
 (ट) भारतीय बीमांकिक संस्थान का एसोसिएट/फेलो; अथवा
 (ठ) चार्टर्ड इन्श्यूरेंस इन्स्टीट्यूट, लंदन का एसोसिएट/फेलो; अथवा
 (ड) भारतीय सनदी वित्तीय विश्लेषक संस्थान का सनदी वित्तीय विश्लेषक; अथवा
 (ढ) भारतीय बैंकर संस्थान, मुंबई का सर्टिफाइड एसोसिएटशिप; अथवा
 (ण) इन विनियमों के अंतर्गत प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट कोई अन्य योग्यता;

खंड 2 : व्यावसायिक प्रशिक्षण और परीक्षा द्वारा प्रमाणीकरण :

- (क) आवेदक के प्रधान अधिकारी को समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी संस्था से निर्धारित पचास घंटों का सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण प्राप्त पूरा कर लेना चाहिए तथा प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे अथवा प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य परीक्षक निकाय द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण करनी चाहिए।
- (ख) उपर्युक्त (क) में उल्लिखित रूप में समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त संस्था से सैद्धांतिक और व्यावहारिक प्रशिक्षण निम्न स्थितियों में पच्चीस घंटे का होगा जहाँ आवेदक का प्रधान अधिकारी :
- (i) इस प्रकार आवेदन जिस वर्ष में किया गया है, उससे पहले लगातार सात वर्ष की अवधि के लिए पुनर्बीमा संबंधी कार्यकलाप अथवा बीमा परामर्श कार्य करता रहा है; अथवा
- (ii) प्राधिकरण को आवेदन करने से पहले कम से कम सात वर्ष की अवधि के लिए प्रधान जोखिम-अंकनकर्ता रहा है अथवा भारत में किसी राष्ट्रीयकृत बीमा कंपनी में प्रबंधक के पद पर कार्य करता रहा है; अथवा
- (iii) भारतीय बीमा संस्थान, मुंबई का एसोसिएट/ फेलो; अथवा जोखिम प्रबंध संस्थान, मुंबई का एसोसिएट/ फेलो; अथवा भारतीय बीमांकिक संस्थान का एसोसिएट/ फेलो; अथवा बीमा और जोखिम प्रबंध संस्थान, हैदराबाद की कोई स्नातकोत्तर अर्हता प्राप्त; अथवा चार्टर्ड इन्श्यूरेंस इन्स्टीट्यूट, लंदन का एसोसिएट/ फेलो है;
- (ग) जो उम्मीदवार उपर्युक्त (ख) के अंतर्गत आता है, उससे यह अपेक्षित होगा कि वह प्रशिक्षण की अवधि की समाप्ति पर राष्ट्रीय बीमा अकादमी, पुणे अथवा प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त किसी अन्य परीक्षक निकाय द्वारा संचालित परीक्षा उत्तीर्ण करे।

अनुसूची III

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 13 देखें)

व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमे का अनुरक्षण—

- (1) उक्त बीमा रक्षा अवश्य निम्नलिखित के संबंध में बीमा दलाल को क्षतिपूर्ति प्रदान करेगी
- (क) उनकी ओर से अथवा उनके कर्मचारियों और निदेशकों की ओर से कोई भी त्रुटि अथवा चूक अथवा असावधानी;
- (ख) धन अथवा अन्य संपत्ति की कोई भी हानि जिसके लिए दलाल किसी वित्तीय अथवा कपटपूर्ण कार्य अथवा चूक के परिणामस्वरूप कानूनी तौर पर बाध्य है;
- (ग) दस्तावेजों की कोई हानि तथा इस प्रकार के दस्तावेजों को प्रतिस्थापित करने अथवा पुनःप्रचलित करने में लागतें और किये गये व्यय;
- (घ) बीमा दलाल के कर्मचारियों अथवा भूतपूर्व कर्मचारियों द्वारा बेईमान और कपटपूर्ण कार्य अथवा चूकें ।
- (2) उक्त क्षतिपूर्ति रक्षा—
- (क) लाइसेंस की पूरी अवधि के लिए वार्षिक आधार पर होगी;

(ख) इस आशय की किसी शर्त से युक्त नहीं होगी कि दावों के भुगतान बीमा दलाल द्वारा पहले देयता पूरी करने के आधार पर होंगे;

(ग) इस बात का विचार किये बिना बीमे की अवधि के दौरान किये गये सभी दावों के संबंध में क्षतिपूर्ति करेगी कि दावा उत्पन्न करनेवाली घटना किस समय घटित हुई है।

बशर्ते कि पूर्णतः उपर्युक्त अपेक्षाओं के अनुरूप न होनेवाली क्षतिपूर्ति बीमा रक्षा के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमति उसके द्वारा लिखित रूप में दर्ज किये जानेवाले कारणों के लिए विशेष मामलों में दी जाएगी।

(3) बीमा दलालों के मामले में किसी एक दावे के लिए अथवा वर्ष के लिए कुल मिलाकर क्षतिपूर्ति की सीमा निम्नानुसार होगी :

बीमा दलाल की श्रेणी	क्षतिपूर्ति की सीमा
(क) प्रत्यक्ष दलाल	पचास लाख रुपये की न्यूनतम सीमा के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त पारिश्रमिक की तीन गुनी।
(ख) पुनर्बीमा दलाल	दो करोड़ और पचास लाख रुपये की न्यूनतम सीमा के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त पारिश्रमिक की तीन गुनी।
(ग) संमिश्र दलाल	पाँच करोड़ रुपये की न्यूनतम सीमा के अधीन प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर प्राप्त पारिश्रमिक की तीन गुनी।

(4) प्रत्येक दावे के संबंध में अ-बीमाकृत आधिक्य बीमा दलाल द्वारा व्यवसाय में नियोजित पूँजी के पाँच प्रतिशत से अधिक नहीं होगा।

(5) बीमा पॉलिसी भारत में किसी भी पंजीकृत बीमाकर्ता से प्राप्त की जाएगी जिसने

निम्नलिखित के लिए सहमति दी हो—

(क) इस बात के प्रमाण के रूप में कि उक्त रक्षा प्राधिकरण की अपेक्षाएँ पूरी करती हैं, बीमा दलाल की लाइसेंस संख्या, पॉलिसी संख्या, क्षतिपूर्ति की सीमा, आधिक्य और बीमाकर्ता के नाम सहित, नाम और पते से युक्त एक वार्षिक प्रमाणपत्र बीमा दलाल को उपलब्ध कराना;

(ख) बीमा दलाल को उक्त प्रमाणपत्र जारी करते समय प्राधिकरण को उक्त प्रमाणपत्र की एक अनुलिपि (ड्रॉप्लिकेट) प्रेषित करना; तथा

(ग) रक्षा के अमान्यकरण, उसका नवीकरण न कराने अथवा मध्यावधि में उसे निरस्त करने के किसी भी मामले की सूचना तत्काल बीमाकर्ता को देना।

(6) प्रत्येक बीमा दलाल—

(क) यदि कोई रक्षा निरस्त की गई हो अथवा अमान्य की गई हो अथवा किसी पॉलिसी का नवीकरण नहीं किया गया हो तो प्राधिकरण को तत्काल सूचित करेगा;

(ख) उसके द्वारा अथवा उसके विरुद्ध किये गये किसी भी दावे के संबंध में बीमाकर्ता को लिखित में तत्काल सूचित करेगा;

(ग) उन सभी परिस्थितियों अथवा घटनाओं की सूचना बीमाकर्ता को तत्काल देगा जो पॉलिसी के अंतर्गत दावा उत्पन्न कर सकती हों; तथा

(घ) जैसे ही कोई बीमाकर्ता सूचित करता है कि वह पॉलिसी के अंतर्गत दावे के संबंध में क्षतिपूर्ति को अस्वीकार करना चाहता है, तत्काल इसकी सूचना प्राधिकरण को देगा।

अनुसूची IV

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

शुल्क (विनियम 14 देखें)

1. प्रत्येक बीमा दलाल लाइसेंस के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के समय नीचे दर्शाये अनुसार वापस न करने योग्य आवेदन शुल्क अदा करेगा :

बीमा दलाल की श्रेणी	देय आवेदन शुल्क की राशि
प्रत्यक्ष दलाल	20,000 रुपये
पुनर्बीमा दलाल	25,000 रुपये
संमिश्र दलाल	40,000 रुपये

2. प्रत्येक बीमा दलाल नीचे निर्धारित किये अनुसार वार्षिक लाइसेंस शुल्क का भुगतान करेगा :

बीमा दलाल की श्रेणी	प्रति वर्ष देय लाइसेंस शुल्क की राशि
प्रत्यक्ष दलाल	न्यूनतम 25,000 रुपये और अधिकतम 1,00,000 रुपये के अधीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अर्जित पारिश्रमिक के 0.50% की दर से परिकलित राशि।
पुनर्बीमा दलाल	न्यूनतम 75,000 रुपये और अधिकतम 3,00,000 रुपये के अधीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अर्जित पारिश्रमिक के 0.50% की दर से परिकलित राशि।
संमिश्र दलाल	न्यूनतम 1,25,000 रुपये और अधिकतम 5,00,000 रुपये के अधीन पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष में अर्जित पारिश्रमिक के 0.50% की दर से परिकलित राशि।

3. उक्त लाइसेंस शुल्क प्रत्येक वर्ष 30 सितंबर से पहले अदा किया जाएगा।
4. प्रत्येक बीमा दलाल लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन के साथ 1000 रुपये (केवल एक हजार रुपये) का नवीकरण शुल्क अदा करेगा ।
5. उक्त शुल्क हैदराबाद में देय "बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण" के नाम आदाता खाता ड्राफ्ट द्वारा देय होगा ।

अनुसूची V

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 27 देखें)

पुनर्बीमा संविदाओं के मामले में पुनर्बीमा दलाल अथवा संमिश्र दलाल द्वारा संगृहीत धनराशियों के व्यवहार का तरीका बीमा दलाल द्वारा संग्रहण की गई धनराशि के संबंध में निम्नलिखित तरीके से व्यवहार किया जाएगा :

- (क) वह बीमा धनराशि के न्यासी के रूप में कार्य करेगा जोकि पुनर्बीमा दलाल के रूप में अपना कार्य संपन्न करने के लिए उससे अपेक्षित है तथा इस विनियम के प्रयोजनों के लिए यह माना जाएगा कि पुनर्बीमा दलाल को किया गया भुगतान पुनर्बीमाकर्ता को किया गया भुगतान समझा जाएगा;
- (ख) वह सुनिश्चित करेगा कि 'बीमा धनराशि' एक या उससे अधिक अनुसूचित बैंकों के पास अथवा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य संस्थाओं के पास एक 'बीमा बैंक खाते' में रखी जाएगी;

- (ग) वह बैंक अथवा अन्य संस्था को लिखित रूप में सूचना देगा तथा उनसे लिखित रूप में पुष्टि प्राप्त करेगा कि वह उक्त खाते को किसी अन्य खाते के साथ सम्मिलित करने अथवा उस खाते में स्थित धनराशि के संबंध में समंजन (सेट-ऑफ़) करने के अधिकार, ऋण-भार या ग्रहणाधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं है;
- (घ) वह सुनिश्चित करेगा कि बीमाकृत व्यक्ति से अथवा उसकी ओर से प्राप्त समस्त धनराशि 'बीमा बैंक खाते' में अदा की जाएगी और तब तक जमाराशि के अंतर्गत रहने के लिए उक्त 'बीमा बैंक खाते' में रखी जाएगी जब तक उसका अंतरण आगे पुनर्बीमाकर्ता को अथवा प्रत्यक्ष बीमाकर्ता को नहीं किया जाएगा।
- (ङ) वह सुनिश्चित करेगा कि पॉलिसी के निरस्तीकरण अथवा उसकी शर्तों में परिवर्तन अथवा अन्यथा के कारण प्रत्यक्ष बीमाकर्ता को देय हो सकने वाली प्रीमियम की कोई भी धन-वापसी की राशि पुनर्बीमाकर्ता द्वारा सीधे प्रत्यक्ष बीमाकर्ता को अदा की जाएगी।
- (च) वह सुनिश्चित करेगा कि प्राप्त वसूली/भुगतान पर ब्याज प्रत्यक्ष बीमाकर्ता अथवा पुनर्बीमाकर्ता के हित के लिए होगा।
- (छ) वह उक्त 'बीमा बैंक खाते' से केवल प्रभार, शुल्क अथवा अर्जित कमीशन निकालेगा तथा इन्हें किसी अन्य खाते में अंतरित किया जा सकेगा;
- (ज) वह सुनिश्चित करेगा कि 'बीमा बैंक खाते' से इस विनियम में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों को छोड़कर अन्य प्रयोजनों के लिए किसी प्रकार का अन्य भुगतान नहीं किया जाएगा;
- (झ) वह सुनिश्चित करेगा कि 'बीमा बैंक खाते' में धारित धनराशियाँ बीमा दलाल द्वारा मीयादी जमाराशियों के रूप में नहीं रखी जाएँगी तथा अन्यत्र उनका निवेश नहीं किया जाएगा;
- (ञ) यदि किसी समय, अपेक्षित "वियोजित राशि" में किसी भी कमी का उसे पता चलता है तब वह अपेक्षित स्थिति को पुनः प्रचलित करने के लिए तत्काल कदम उठायेगा।

टिप्पणी : बीमा दलाल को प्रत्येक छमाही में इन विनियमों के प्रत्येक उपबंध के अनुपालन के संबंध में सनदी लेखाकार (चार्टर्ड अकाउंटेंट) द्वारा विधिवत् प्रमाणित एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना होगा। इसके अतिरिक्त, बीमा दलाल प्रत्येक छमाही में प्रभारों, शुल्क अथवा उक्त अवधि के दौरान अर्जित दलाली/कमीशन की राशि तथा किसी अन्य खाते में किये गये किसी भी अंतरण के संबंध में सनदी लेखाकार द्वारा विधिवत् प्रमाणित एक प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेगा।

अनुसूची VI-ए

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

आचरण संहिता - बीमा दलाल

[विनियम 28 देखें]

1. प्रत्येक बीमा दलाल व्यावसायिक आचरण के मान्यताप्राप्त मानकों का अनुसरण करेगा तथा पॉलिसीधारकों के हित में अपने कार्यों का निर्वाह करेगा।
2. **ग्राहक-संबंध से संबंधित मामलों में आचरण - प्रत्येक बीमा दलाल :**
 - (क) हर समय अपने ग्राहकों से सर्वाधिक सद्भावना और सत्यनिष्ठा के साथ व्यवहार करेगा;
 - (ख) सावधानी और कर्मठता के साथ कार्य करेगा;
 - (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक यह समझे कि बीमा दलाल के साथ उसका क्या संबंध है और बीमा दलाल किसकी ओर से कार्य कर रहा है;
 - (घ) भावी ग्राहकों द्वारा उपलब्ध कराई गई सारी सूचना को पूर्णतः अपने तक और बीमाकर्ता(ओं) तक गोपनीय रखेगा जिन्हें व्यवसाय का प्रस्ताव किया जा रहा हो;
 - (ङ) अपने कब्जे में स्थित गोपनीय दस्तावेजों की सुरक्षा को बनाये रखने के लिए उपयुक्त कदम उठायेगा;
 - (च) संबंध विकसित करने के लिए ग्राहक के विशिष्ट अधिकार को सुरक्षित रखेगा;

- (छ) जिस ग्राहक के साथ वह व्यवहार कर रहा है, उसके प्रकार को तथा जोखिम और बीमे के संबंध में ग्राहक की जानकारी की सीमा को समझेगा;
- (ज) बीमाकर्ता के पास ग्राहक का प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राहक से लिखित आदेश प्राप्त करेगा तथा बीमे को लागू करने के बाद ग्राहक को रक्षा प्रदान करने की सूचना देगा;
- (झ) बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता के पास ग्राहक का प्रतिनिधित्व करने के लिए ग्राहक से लिखित आदेश प्राप्त करेगा; तथा पुनर्बीमे को लागू करने के बाद बीमाकर्ता को रक्षा की पुष्टि करेगा, एवं संबंधित पुनर्बीमा स्वीकृति और स्थापन की पर्चियाँ प्रस्तुत करेगा;
- (ञ) हितों के संघर्ष से बचेगा;
- (ट) अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) संबंधी मानदंडों के अंतर्गत अपेक्षित आवश्यक दस्तावेज प्राप्त करेगा ।

3. विक्रय प्रथाओं से संबंधित मामलों में आचरण - प्रत्येक बीमा दलाल :-

- (क) इस बात की पुष्टि करेगा कि वह भारतीय बीमा दलाल संघ अथवा प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित ऐसे दलालों के निकाय का सदस्य है जिसका प्राधिकरण के साथ सहमति ज्ञापन है;
- (ख) यह पुष्टि करेगा कि वह व्यवसाय उत्पन्न करने के लिए एजेंटों अथवा अनुयायकों को नियुक्त नहीं करेगा;
- (ग) स्वयं की पहचान करेगा तथा प्रस्ताव पर स्थित उत्पादों में विकल्प की श्रेणी को यथाशीघ्र स्पष्ट करेगा;
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि वह जिस सेवा का प्रस्ताव कर सकता है उसके प्रकार को ग्राहक समझता है;
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रस्तावित पॉलिसी भावी ग्राहक की आवश्यकताओं के लिए उपयुक्त है;
- (च) केवल उन्हीं विषयों में सलाह देगा जिनका वह जानकार है तथा जब आवश्यकता होगी तब परामर्श के लिए अन्य विशेषज्ञ से अपेक्षा करेगा अथवा उसकी सिफारिश करेगा;
- (छ) किसी बीमाकर्ता अथवा भारतीय बीमा दलाल संघ के किसी सदस्य अथवा प्राधिकरण द्वारा यथाअनुमोदित बीमा दलालों के ऐसे निकाय के सदस्य की अयथार्थ या अनुचित आलोचना नहीं करेगा;
- (ज) यह स्पष्ट करेगा कि किसी पॉलिसी अथवा पॉलिसियों का प्रस्ताव क्यों किया गया है तथा जहाँ उत्पादों का विकल्प है वहाँ मूल्य, रक्षा अथवा सेवा के तौर पर तुलना उपलब्ध कराएगा;
- (झ) यदि प्रस्तावित रक्षा तुरंत लागू नहीं की गई हो तो रक्षा की वह अवधि स्पष्ट करेगा जब तक भाव (कोटेशन) वैध रहेगा;
- (ञ) यह स्पष्ट करेगा कि प्रीमियम कब और कैसे देय है तथा ऐसे प्रीमियम का संग्रहण कैसे किया जाएगा, जहाँ प्रीमियम का पूर्णतः या अंशतः वित्तपोषण दूसरा पक्षकार कर रहा है वहाँ उस पक्षकार के प्रति ग्राहक की संभावित देनदारी सहित ग्राहक को पूरा विवरण दिया जाएगा; तथा
- (ट) हानि होने की स्थिति में अनुसरण की जानेवाली प्रक्रियाएँ स्पष्ट करेगा ।
- (ठ) धन शोधन (मनी लांडरिंग) की किसी भी प्रकार की गतिविधियों में लिप्त नहीं होगा ।
- (ड) यह सुनिश्चित करेगा कि बीमा दलाल भ्रमजनक कॉलों या अप्रामाणिक कॉलों द्वारा स्वयं अथवा कॉल सेंटरों के माध्यम से व्यवसाय प्राप्त करने में लिप्त नहीं है।

4. सूचना प्रस्तुत करने से संबंधित आचरण - प्रत्येक बीमा दलाल -

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि प्रकटीकरण न करने और अयथार्थताओं के परिणाम भावी ग्राहक को बताये जाएँगे;
- (ख) भावी ग्राहक को प्रभावित करने से बचेगा तथा यह स्पष्ट कर देगा कि दिये गये सभी उत्तरों अथवा वक्तव्यों की जिम्मेदारी ग्राहक की स्वयं की होगी। दस्तावेजों में दी गई सूचना के ब्योरे की जाँच सावधानीपूर्वक करने के लिए ग्राहक से कहेगा तथा उस स्थिति में ग्राहक से निवेदन करेगा कि वह सही, उचित और पूरा प्रकटीकरण करे जहाँ उसे यकीन है कि ग्राहक ने ऐसा नहीं किया है एवं यदि आगे का प्रकटीकरण प्राप्त नहीं हो रहा हो तो उसे आगे की कार्यवाई करने से इनकार करने पर विचार करना चाहिए;
- (ग) पॉलिसी की पूरी अवधि के दौरान बीमे को प्रभावित कर सकने वाले सभी परवर्ती परिवर्तनों के प्रकटीकरण का महत्व ग्राहक को स्पष्ट करेगा; तथा

(घ) अपनी जानकारी में स्थित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का प्रकटीकरण ग्राहक की ओर से करेगा तथा जोखिम का एक उचित प्रस्तुतीकरण करेगा ।

5. बीमा संविदा के स्पष्टीकरण से संबंधित आचरण – प्रत्येक बीमा दलाल :

- (क) बीमा संविदा के अंतर्गत सहभागिता करनेवाले बीमाकर्ता(ओं) की सूची उपलब्ध कराएगा तथा उसके बाद होनेवाले किसी भी परिवर्तन की सूचना देगा;
- (ख) अपने द्वारा सिफारिश की गई पॉलिसी द्वारा दी जानेवाली रक्षा के सभी आवश्यक प्रावधानों के बारे में स्पष्ट करेगा ताकि भावी ग्राहक यथासंभव समझ सके कि क्या खरीदा जा रहा है;
- (ग) बीमाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराये गये रूप में शर्तों को ठीक-ठीक उद्धृत करेगा;
- (घ) पॉलिसी के अंतर्गत लगाई गई किसी भी वारंटी, प्रमुख अथवा असाधारण प्रतिबंधों, पॉलिसी के अंतर्गत अपवर्जन की ओर ध्यान आकर्षित करेगा तथा यह स्पष्ट करेगा कि संविदा को कैसे निरस्त किया जा सकता है;
- (ङ) तत्परतापूर्वक लिखित रूप में ग्राहक को इस बात की पुष्टि उपलब्ध कराएगा कि बीमे को लागू किया गया है । यदि इस पुष्टि के साथ अंतिम पॉलिसी वाक्यरचना सम्मिलित नहीं है तो इसे यथाशीघ्र प्रेषित किया जाएगा;
- (च) किसी भी बीमा संविदा की शर्तों में होनेवाले परिवर्तन सूचित करेगा तथा किसी परिवर्तन के लागू होने से पहले उचित रूप से नोटिस देगा;
- (छ) अपने ग्राहकों को उनकी ओर से प्रस्तावित किसी भी बीमे की सूचना देगा जो भारत से बाहर किसी बीमाकर्ता के साथ लागू किया जाएगा जहाँ अनुमति दी गई हो, तथा यदि उचित हो तो संबद्ध संभावित जोखिमों के बारे में सूचित करेगा; तथा

6. पॉलिसियों के नवीकरण से संबंधित आचरण – प्रत्येक बीमा दलाल :-

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसका ग्राहक बीमे के समाप्त होने की तारीख जानता है, भले ही वह ग्राहक को आगे और रक्षा न देने के प्रस्ताव के विकल्प का चयन करता हो;
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि पॉलिसी के प्रारंभ अथवा अंतिम नवीकरण की तारीख से घटित हो चुके ऐसे परिवर्तन जो पॉलिसी को प्रभावित करते हों, सूचित करने की आवश्यकता सहित, नवीकरण की सूचनाओं में प्रकटीकरण के कर्तव्य के बारे में एक चेतावनी निहित हो;
- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि नवीकरण की सूचनाओं में संविदा के नवीकरण के प्रयोजन के लिए बीमाकर्ता को उपलब्ध कराई गई समस्त सूचना का अभिलेख (पत्रों की प्रतियों सहित) रखने की अपेक्षा निहित हो;
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक को समाप्ति की तारीख से काफी पहले बीमाकर्ता की ओर से नवीकरण का निमंत्रण प्राप्त हो ।

7. ग्राहक द्वारा दावे के संबंध में आचरण – प्रत्येक बीमा दलाल :-

- (क) ग्राहकों को तत्परतापूर्वक अपने दावे सूचित करने तथा सभी महत्वपूर्ण तथ्य प्रकट करने और परवर्ती घटनाओं की सूचना यथाशीघ्र देने का उनका दायित्व स्पष्ट करेगा;
- (ख) ग्राहक से सही, उचित और पूर्ण प्रकटीकरण करने का अनुरोध करेगा जहाँ उसे विश्वास हो कि ग्राहक ने ऐसा नहीं किया है । यदि आगे का प्रकटीकरण प्राप्त नहीं हो रहा हो तो वह ग्राहक के लिए आगे और कार्य करने से इनकार करने पर विचार करेगा;
- (ग) दावे से संबंधित किसी भी अपेक्षा के बारे में ग्राहक को तत्काल सूचित करेगा;
- (घ) किसी दावे अथवा दावा उत्पन्न करनेवाली किसी घटना के संबंध में ग्राहक से प्राप्त कोई भी सूचना अविलंब, तथा किसी भी स्थिति में तीन कार्यदिवसों के अंदर प्रेषित करेगा;
- (ङ) किसी दावे के संबंध में बीमाकर्ता के निर्णय अथवा अन्यथा स्थिति के संबंध में ग्राहक को अविलंब सूचित करेगा; तथा अपने दावे के संबंध में अनुसरण करने में ग्राहक की हर प्रकार से यथोचित सहायता करेगा ।

बशर्ते कि बीमा दलाल ऐसी किसी पॉलिसी संविदा के संबंध में वसूली का कार्य हाथ में नहीं लेगा जिसके संबंध में उसके माध्यम से व्यवस्था नहीं की गई है तथा विनियम 32 के अंतर्गत अनुमति-प्राप्त दावों को छोड़कर उसे ऐसी किसी पॉलिसी के संबंध में दावा परामर्शदाता के रूप में कार्य नहीं करना चाहिए जिसके संबंध में उसके द्वारा व्यवस्था नहीं की गई है ।

8. शिकायतें प्राप्त करने से संबंधित आचरण - प्रत्येक बीमा दलाल :-

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि अनुदेश पत्रों, पॉलिसियों और नवीकरण दस्तावेजों में शिकायतों के निपटान की प्रक्रियाएँ निहित होंगी;
- (ख) शिकायतें फोन पर अथवा लिखित में स्वीकार करेगा;
- (ग) शिकायत प्राप्त होने की सूचना पत्राचार की प्राप्ति से चौदह दिनों के अंदर भेजेगा तथा शिकायत के संबंध में कार्रवाई करनेवाले स्टाफ-सदस्य को उस पर कार्रवाई करने के लिए समय-सारणी के साथ सूचित करेगा;
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि जवाबी पत्र भेजे जाएँगे तथा शिकायतकर्ता को सूचित करेगा कि यदि जवाबी पत्र से वह असंतुष्ट है तो वह क्या कर सकता है;
- (ङ) यह सुनिश्चित करेगा कि शिकायतों पर उचित रूप से वरिष्ठ स्तर पर कार्रवाई की जाएगी;
- (च) शिकायतों को दर्ज करने और उनपर निगरानी रखने के लिए उसके पास एक प्रणाली विद्यमान होगी ।

9. प्रलेखीकरण के संबंध में आचरण - प्रत्येक बीमा दलाल :-

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि जारी किये गये कोई भी दस्तावेज समय-समय पर प्रचलित सभी सांविधिक और विनियामक अपेक्षाओं के अनुसार होंगे;
- (ख) पॉलिसी प्रलेख परिहार्य विलंब के बिना भेजेगा;
- (ग) पॉलिसी प्रलेखों के साथ यह सूचना उपलब्ध कराएगा कि ग्राहक द्वारा प्रलेखों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाएगा और उन्हें सँभालकर रखा जाएगा;
- (घ) ग्राहकों की सहमति के बिना उनसे प्राप्त प्रलेखों को रोक नहीं रखेगा जब तक कि ग्राहक को पर्याप्त और उचित कारण लिखित में और अविलंब प्रकट न किये जाएँ। जहाँ प्रलेखों को रोक रखा जाता है, वहाँ भी ग्राहक को बीमा संविदा संबंधी पूरा विवरण अवश्य प्राप्त होना चाहिए;
- (ङ) बीमा पॉलिसी के संबंध में प्राप्त सभी धनराशियों की प्राप्ति-सूचना भेजेगा;
- (च) यह सुनिश्चित करेगा कि उत्तर तत्परतापूर्वक भेजे जाएँ तथा सभी पत्रों के लिए त्वरित उत्तर प्राप्त होने के लिए अपनी ओर से सर्वोत्तम प्रयास करेगा; तथा
- (छ) यह सुनिश्चित करेगा कि सभी लिखित शर्तें उचित विषय-वस्तु से युक्त होंगी तथा उनमें ग्राहकों के अधिकार और दायित्व स्पष्ट रूप से और सरल भाषा में निर्दिष्ट होंगी; तथा
- (ज) अपने को देय किसी भी धनराशि के भुगतान के अधीन, ग्राहक द्वारा बताये गये किसी नये बीमा दलाल को वे सभी प्रलेख उपलब्ध कराएगा जिनके लिए ग्राहक हकदार है तथा ग्राहक की ओर से कार्य करने के लिए नये बीमा दलाल को जिनकी आवश्यकता है ।

10. विज्ञापन से संबंधित मामलों में आचरण.—प्रत्येक बीमा दलाल बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा विज्ञापन और प्रकटीकरण) विनियम, 2000 के संबंधित उपबंधों के अनुरूप होगा, तथा :-

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि दिये गये वक्तव्य भ्रमजनक और अतिरंजक नहीं हैं;
- (ख) जहाँ उपयुक्त हो वहाँ संविदागत लाभों जिन्हें प्रदान करने के लिए बीमा पॉलिसी बाध्य है तथा गैर-संविदागत लाभों जिन्हें प्रदान किया जा सकता है, के बीच भेद दिखलायेगा;
- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापन केवल एक बीमाकर्ता की पॉलिसियों तक ही सीमित नहीं होंगे, उस स्थिति को छोड़कर जहाँ ऐसे प्रतिबंध के लिए कारण उस बीमाकर्ता के पूर्व-अनुमोदन से पूरी तरह स्पष्ट नहीं किये जाते हों;
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापनों में ऐसा कुछ भी निहित नहीं होगा जिससे कानून का उल्लंघन होता है अथवा कानून द्वारा अपेक्षित कोई बात उनमें से नहीं छूटेगी;

- (ड) यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापन से कानून की अवज्ञा अथवा उल्लंघन को प्रोत्साहन या छूट नहीं मिलती;
- (च) यह सुनिश्चित करेगा कि आम तौर पर औचित्य और मर्यादा के प्रचलित मानकों के आलोक में विज्ञापनों के अंतर्गत ऐसा कुछ भी नहीं होगा जिनके कारण गंभीर और व्यापक अपराध अथवा अव्यवस्था के उत्पन्न होने की संभावना हो;
- (छ) यह सुनिश्चित करेगा कि विज्ञापन इस प्रकार तैयार नहीं किये जाएँगे जिससे ग्राहकों के विश्वास का दुरुपयोग हो सके अथवा उनके पास अनुभव और जानकारी न होने का अनुचित लाभ उठाया जा सके;
- (ज) यह सुनिश्चित करेगा कि वस्तुनिष्ठ रूप से जानने योग्य तथ्यों के मामलों से संबंधित सभी विवरण, दावे और तुलनाएँ प्रमाणीकरण के लिए सक्षम होंगी ।

11. पारिश्रमिक की प्राप्ति से संबंधित मामलों में आचरण.—प्रत्येक बीमा दलाल :-

- (क) यह प्रकट करेगा कि क्या वह इन विनियमों के अंतर्गत निर्धारित पारिश्रमिक के अतिरिक्त ग्राहक से प्रभार वसूल करने का प्रस्ताव करता है, और यदि ऐसा है तो किस प्रकार से;
- (ख) ग्राहक को बीमा प्रीमियम और किसी शुल्क अथवा प्रभार तथा किसी संबंधित सेवा के प्रयोजन के विषय में अलग से लिखित में सूचित करेगा;
- (ग) यदि ग्राहक द्वारा अनुरोध किया जाता है तो पारिश्रमिक की राशि अथवा उस ग्राहक के लिए बीमा लागू करने के परिणामस्वरूप प्राप्त की जानेवाली अन्य पारिश्रमिक की राशि प्रकट करेगा । इसमें बीमा संविदा की व्यवस्था के अतिरिक्त ग्राहक की ओर से सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए प्रदान की गई किसी भी सेवा के परिणामस्वरूप प्राप्त कोई भी भुगतान शामिल होगा; तथा
- (घ) बीमा लागू करने से पहले, ग्राहक के लिए वसूल की गई दावे की राशि में से कोई कटौती करने के लिए ग्राहकों की इच्छा उन्हें सूचित करेगा, जहाँ संबंधित बीमे के प्रकार के लिए यह मान्यताप्राप्त प्रथा हो ।

12. प्रशिक्षण संबंधी मामलों से संबंधित आचरण - प्रत्येक बीमा दलाल :-

- (क) यह सुनिश्चित करेगा कि उसका स्टाफ इस संहिता द्वारा उनसे प्रत्याशित मानकों को जानता है और उनका पालन करता है;
- (ख) यह सुनिश्चित करेगा कि स्टाफ सक्षम और उपयुक्त हैं तथा उन्हें पर्याप्त प्रशिक्षण दिया गया है;
- (ग) यह सुनिश्चित करेगा कि उसके स्टाफ द्वारा दिये गये परामर्श की गुणवत्ता की निगरानी करने के लिए प्रणाली विद्यमान है;
- (घ) यह सुनिश्चित करेगा कि स्टाफ के सदस्य अपने कार्यकलापों को प्रभावित करनेवाले एजेंसी के कानून सहित कानूनी अपेक्षाओं के जानकार हैं; तथा वे केवल उन्हीं श्रेणियों के व्यवसाय को संभालेंगे जिनमें वे सक्षम हैं;
- (ड) अधिनियम की धारा 41 की ओर ग्राहक का ध्यान आकर्षित करेगा जो कमीशन में छूट और हिस्सेदारी को प्रतिबंधित करती है ।

13. प्रत्यक्ष और पुनर्बीमा दलालों के लिए सामान्य सूचना और शिक्षा

(क) बीमा दलाल उद्योग की शिक्षा संबंधी पहलों को समर्थन देगा जिनका उद्देश्य उपभोक्ताओं और समुदाय को बीमे के विषय में स्पष्ट करना हो।

(ख) बीमा दलाल ग्राहक के लिए निम्नलिखित को शीघ्र उपलब्ध कराएगा :

- (i) बीमे से संबंध में अद्यतन जानकारी;
- (ii) बीमाकृत व्यक्तियों हेतु आवश्यक बीमे के स्तर का निर्धारण करने के लिए उनके सहायतार्थ सूचना; तथा
- (iii) बीमा उत्पादों और सेवाओं, तथा इस आचरण संहिता के बारे में सूचना।

14. प्रत्येक बीमा दलाल ऐसे प्रत्येक कार्यालय में जहाँ वह कारोबार संचालित कर रहा है और जहाँ जनसाधारण की पहुँच है, इस आशय की एक नोटिस प्रदर्शित करेगा कि अनुरोध करने पर आचरण-संहिता की प्रति उपलब्ध है

तथा यदि जनता का कोई सदस्य कोई शिकायत करना चाहता है अथवा किसी विवाद का समाधान करने में प्राधिकरण से सहायता की अपेक्षा करता है तो वह प्राधिकरण को लिख सकता है।

15. इन विनियमों में यथापरिभाषित बीमा दलाल अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत किसी बीमाकर्ता के बीमा दलाल के रूप में कार्य नहीं करेगा।
16. प्रत्येक बीमा दलाल बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4), बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 41), उनके अंतर्गत बनाये गये नियमों और विनियमों के उपबंधों का पालन करेगा जो बीमा दलालों के रूप में उनके द्वारा किये जानेवाले कार्यकलापों पर लागू हो सकते हैं और उनके लिए संगत हैं।

अनुसूची VI-बी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 28 देखें)

पुनर्बीमा दलाल और संमिश्र दलाल के लिए अतिरिक्त आचरण-संहिता

1. सामान्य (पुनर्बीमा की सभी संविदाओं पर लागू)

- क) संमिश्र बीमा दलाल अथवा पुनर्बीमा दलाल जोखिम का बीमा करनेवाले बीमाकर्ता अथवा उस बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता जिसे जोखिम के लिए शर्तें बताने के लिए कहा गया है, के विशिष्ट लिखित प्राधिकरण के बिना किसी भी जोखिम के संबंध में पुनर्बीमा रक्षा के लिए शर्तें विकसित करने अथवा पुनर्बीमा का स्थापन करने के लिए पुनर्बीमा बाजारों में प्रवेश नहीं करेगा।
- ख) पुनर्बीमा दलाल अथवा संमिश्र दलाल पुनर्बीमा का स्थापन करने के लिए आदेश प्राप्त करने की प्रत्याशा में पुनर्बीमा क्षमता को अवरुद्ध नहीं करेगा।
- ग) बीमा दलाल बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को बाजार में प्रवेश करने से पहले, प्रयुक्त की जानेवाली पुनर्बीमा स्थापन पर्ची की एक सही और पूर्ण प्रतिलिपि उपलब्ध कराएगा। बीमा दलाल उक्त स्थापन पर्ची में बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित कोई भी आशोधन अथवा सुधार सम्मिलित करेगा।
- घ) बीमा दलाल बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को अपने द्वारा विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त सभी शर्तें (अनुमत पुनर्बीमा कमीशन और दलाली सहित) प्रस्तुत करेगा तथा वह हिस्सा जो अग्रणी पुनर्बीमाकर्ता उन शर्तों पर लिखना चाहता है और स्वीकार्य पुनर्बीमा सुरक्षा के साथ, बताई गई शर्तों पर अपेक्षित पुनर्बीमा के स्थापन के बारे में बीमा दलाल की प्रत्याशा निर्दिष्ट करेगा।
- ङ) बीमा दलाल बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को, शर्तें बताते हुए अग्रणी पुनर्बीमाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित स्थापन पर्ची की एक सही प्रतिलिपि उसपर पुनर्बीमाकर्ता की हस्ताक्षरित लाइन निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत करेगा।
- च) जहाँ जोखिम पर पुनर्बीमा विभिन्न शर्तों पर विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं के पास रखने का प्रस्ताव किया जाता है, वहाँ यह तथ्य उपयुक्त रूप से पुनर्बीमाकर्ताओं को प्रकट किया जाएगा कि सभी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए शर्तें एकसमान नहीं हैं।
- छ) बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता ने जब बताई गई पुनर्बीमा शर्तें स्वीकार कर ली हैं, तब बीमा दलाल अपेक्षित पुनर्बीमा रक्षा स्थापित करेगा तथा समय-समय पर स्थापन की प्रगति के बारे में बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को सूचित करता रहेगा। जोखिम जिन पुनर्बीमाकर्ताओं को प्रस्तावित किया जाता है, उनका चयन करने में बीमा दलाल केवल ऐसे ही पुनर्बीमाकर्ताओं का उपयोग करने की आवश्यकता के संबंध में सतर्क रहेगा जो किसी मान्यताप्राप्त रेटिंग एजेंसी द्वारा बीबीबी अथवा उससे उच्चतर रेटिंग प्राप्त हैं, जैसा कि बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (साधारण बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013 के विनियम 3(9) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (जीवन बीमा - पुनर्बीमा) विनियम, 2013 के विनियम 8(क) द्वारा अपेक्षित है। जहाँ पुनर्बीमा का अधिस्थापन किया जाता है, वहाँ अच्छी बाजार प्रथा के साथ सुसंगत तरीके से बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता के साथ परामर्श करने के बाद हस्ताक्षर किये जाएँगे।

- ज) पुनर्बीमा का स्थापन पूरा करने के तत्काल बाद बीमा दलाल रक्षा की शर्तों और पुनर्बीमाकर्ताओं के नाम तथा उनमें से प्रत्येक के साथ स्थापित हिस्सों की सूचना देते हुए बीमा दलाल का रक्षा नोट जारी कर सकता है। उक्त कवर नोट के अंतर्गत पुनर्बीमा के लिए लागू सभी महत्वपूर्ण खंडों और शर्तों की सूचीबद्धता निहित हो सकती है तथा जहाँ खंडों की वाक्यरचना/शब्दावली बाजार मानक के अनुरूप नहीं है, वहाँ पुनर्बीमा संविदा में प्रयुक्त की जानेवाली वाक्यरचना/ शब्दावली बीमा दलाल के रक्षा नोट के साथ संलग्न की जाएगी।
- झ) बीमा दलाल पुनर्बीमा प्रीमियम प्राप्त करने के बाद एक महीने के अंदर एक औपचारिक हस्ताक्षरित पुनर्बीमा पॉलिसी प्रलेख अथवा संबंधित पुनर्बीमाकर्ताओं द्वारा हस्ताक्षरित पुनर्बीमा संविदा के अन्य स्वीकार्य प्रमाण के द्वारा उक्त रक्षा नोट का अनुवर्तन करेगा।
- ञ) बीमा दलाल के पास एक आंतरिक सुरक्षा जाँच प्रक्रिया होगी अथवा वह मान्यताप्राप्त साख-श्रेणी-निर्धारण एजेंसियों द्वारा दी गई साख रेटिंग का अनुसरण करेगा तथा एक या उससे अधिक पुनर्बीमाकर्ताओं की साख रेटिंग के बारे में बीमाकर्ता द्वारा उठाये गये किसी भी प्रश्न का उत्तर अविलंब देगा। जहाँ बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता किसी भी कारण से किसी विशिष्ट पुनर्बीमाकर्ता को स्वीकार करने से इनकार करता है तथा जोखिम के प्रारंभ से पहले सुरक्षा को बदलने के लिए बीमा दलाल से कहता है वहाँ बीमा दलाल तत्परतापूर्वक इस प्रकार करेगा और रक्षा के संबंध में लाये गये नये पुनर्बीमाकर्ता के संबंध में उक्त बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को सूचित करेगा।

2. आनुपातिक समझौते अथवा गैर-आनुपातिक समझौते का स्थापन

- क) आनुपातिक समझौते का स्थापन करने के लिए आमंत्रित संमिश्र बीमा दलाल अथवा पुनर्बीमा दलाल पुनर्बीमाकर्ता के सहयोग से समझौता प्रस्ताव पर्ची तैयार करेगा तथा बाजार में प्रवेश करने से पहले उक्त पर्ची और सूचना के प्रति बीमाकर्ता की सहमति प्राप्त करेगा।
- ख) जहाँ पुनर्बीमा समझौते का स्थापन विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं के पास अलग-अलग शर्तों पर किया जाता है, वहाँ इस तथ्य की जानकारी कि इस प्रकार की प्रथा विद्यमान है, सभी पुनर्बीमाकर्ताओं को उपयुक्त रूप से दी जाएगी।
- ग) जहाँ कोई पुनर्बीमाकर्ता एक हिस्सा किसी शर्त के अधीन स्वीकार करता है, वहाँ स्थापन को बाध्यकारी बनाने से पहले, अध्यर्पण करनेवाले बीमाकर्ता को इन शर्तों की जानकारी दी जाएगी और उसकी सहमति प्राप्त की जाएगी।
- घ) बीमा दलाल समझौते के स्थापन की प्रगति समय-समय पर सूचित करेगा। स्थापन को पूरा करने के तत्काल बाद बीमा दलाल समझौते की शर्तें निर्धारित करनेवाला रक्षा नोट तथा पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची उनके हिस्सों के साथ जारी करेगा। जहाँ किसी समझौते का अधिस्थापन किया जाता है, वहाँ बीमा दलाल बीमाकर्ता के साथ परामर्श करने के बाद अच्छी बाजार प्रथा के अनुरूप सुसंगत तरीके से हिस्सों को कम संकेतित करेगा।
- ङ) बीमा दलाल स्थापन को पूरा करने के तीन महीने के अंदर औपचारिक समझौते की वाक्यरचना/शब्दावली अथवा अन्य औपचारिक पुनर्बीमा संविदा प्रलेखीकरण के संबंध में हस्ताक्षर प्राप्त करेगा।
- च) बीमा दलाल के पास एक आंतरिक सुरक्षा जाँच प्रक्रिया होगी अथवा वह मान्यताप्राप्त साख-श्रेणी-निर्धारण एजेंसियों द्वारा दी गई साख रेटिंग का अनुसरण करेगा तथा एक या उससे अधिक पुनर्बीमाकर्ताओं की साख रेटिंग के बारे में अध्यर्पण करनेवाले बीमाकर्ता द्वारा उठाये गये किसी भी प्रश्न का उत्तर अविलंब देगा। जहाँ बीमाकर्ता किसी भी कारण से किसी विशिष्ट पुनर्बीमाकर्ता को स्वीकार करने से इनकार करता है तथा पुनर्बीमा अवधि के प्रारंभ से पहले सुरक्षा को बदलने के लिए बीमा दलाल से कहता है वहाँ बीमा दलाल तत्परतापूर्वक इस प्रकार करेगा और रक्षा के संबंध में लाये गये नये पुनर्बीमाकर्ता के संबंध में उक्त बीमाकर्ता को सूचित करेगा।

3. विदेशी आवक पुनर्बीमा का स्थापन

- क) पुनर्बीमा दलाल सुनिश्चित करेगा कि भारतीय पुनर्बीमाकर्ता विदेश स्थित बीमाकर्ता से पुनर्बीमा प्रीमियम पुनर्बीमा संविदा में निर्धारित प्रीमियम भुगतान शर्त के अनुसार प्राप्त करेगा/करेंगे।
- ख) पुनर्बीमा दलाल जोखिम का बीमा करनेवाले विदेश स्थित बीमाकर्ता अथवा बीमाकर्ता जिसे जोखिम के लिए शर्तें बताने के लिए कहा गया है, के विशिष्ट लिखित प्राधिकार के बिना पुनर्बीमा रक्षा के लिए शर्तें विकसित करने अथवा किसी भी जोखिम पर पुनर्बीमा का स्थापन करने के लिए भारतीय पुनर्बीमा बाजारों में प्रवेश नहीं करेगा।
- ग) पुनर्बीमा दलाल विदेश स्थित ग्राहक के संबंध में किन्हीं भी शर्तों के लिए वचनबद्ध होने से पहले, प्रयुक्त की जानेवाली स्थापन पर्ची की एक सही और संपूर्ण प्रतिलिपि भारत में स्थित पुनर्बीमाकर्ता को उपलब्ध कराएगा। बीमा दलाल उक्त स्थापन पर्ची में पुनर्बीमाकर्ता द्वारा प्रस्तावित कोई भी आशोधन अथवा सुधार शामिल करेगा।
- घ) बीमा दलाल विदेश स्थित बीमाकर्ता को, विभिन्न भारतीय पुनर्बीमाकर्ताओं से अपने द्वारा प्राप्त सभी शर्तें (अनुमत पुनर्बीमा कमीशन और दलाली सहित) प्रस्तुत करेगा तथा वह हिस्सा निर्दिष्ट करेगा जो पुनर्बीमाकर्ता उन शर्तों पर लिखना चाहता है और स्वीकार्य पुनर्बीमा सुरक्षा के साथ बताई गई शर्तों पर अपेक्षित पुनर्बीमा के स्थापन के बारे में बीमा दलाल की प्रत्याशा सूचित करेगा।
- ङ) बीमा दलाल विदेश स्थित बीमाकर्ता को शर्तें बताते हुए भारतीय पुनर्बीमाकर्ता द्वारा हस्ताक्षरित स्थापन पर्ची की एक सही प्रतिलिपि उस पर पुनर्बीमाकर्ता की हस्ताक्षरित लाइन निर्दिष्ट करते हुए प्रस्तुत करेगा।
- च) जहाँ जोखिम के पुनर्बीमे का स्थापन विभिन्न शर्तों पर विभिन्न पुनर्बीमाकर्ताओं के पास करना प्रस्तावित है, वहाँ यह तथ्य कि सभी पुनर्बीमाकर्ताओं के लिए शर्तें एकसमान नहीं हैं, पुनर्बीमाकर्ताओं को उपयुक्त रूप से प्रकट किया जाएगा।
- छ) बीमा दलाल किसी भी आवक व्यवसाय के कारण उत्पन्न होनेवाले दावे के संबंध में कार्रवाई करने के लिए भारतीय पुनर्बीमाकर्ता(ओं) द्वारा अपेक्षित रूप में संपूर्ण जानकारी उपलब्ध कराएगा।
- 4. विदेश स्थित पुनर्बीमाकर्ताओं के पास स्थापित पुनर्बीमा व्यवसाय**
- क) पुनर्बीमा दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि विदेश स्थित केवल उन्हीं पुनर्बीमाकर्ताओं के पास व्यवसाय का स्थापन किया जाता है जो प्राधिकरण के पास पंजीकृत हैं;
- ख) पुनर्बीमा दलाल पुनर्बीमा व्यवसाय का स्थापन करते समय किसी भी कराधान, विदेशी मुद्रा, धन-शोधन निवारण अथवा किसी भी अन्य प्रयोज्य सांविधिक कानून का पालन सुनिश्चित करेगा।
- 5. विपत्तियों और आपदाओं के लिए प्रतिक्रिया**
- क) पुनर्बीमा दलाल बाढ़, भूकंप, चक्रवात, प्रचंड तूफान और ओला-वृष्टि जैसी विपत्तियों और आपदाओं के संबंध में जो बड़ी संख्या में दावों के लिए कारणभूत हैं, समयोचित, व्यावसायिक और व्यावहारिक रूप में तथा सहानुभूतिपूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया दर्शायेगा।
- 6. पुनर्बीमा संविदा के स्पष्टीकरण के संबंध में आचरण—प्रत्येक पुनर्बीमा दलाल :**
- क) पुनर्बीमा संविदा के अंतर्गत सहभागिता करनेवाले पुनर्बीमाकर्ता(ओं) की सूची उपलब्ध कराएगा तथा उसके बाद होनेवाले किसी भी परिवर्तन की सूचना देगा;
- ख) अपने द्वारा सिफारिश की गई पॉलिसी द्वारा प्रदत्त रक्षा के सभी आवश्यक प्रावधानों को स्पष्ट करेगा ताकि यथासंभव भावी ग्राहक समझ सकें कि वह क्या खरीद रहा है;
- ग) शर्तें बिल्कुल उसी रूप में बतायेगा जैसी कि पुनर्बीमाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई हैं;
- घ) पॉलिसी के अंतर्गत लागू की गई किसी भी वारंटी, प्रमुख और असाधारण प्रतिबंधों, पॉलिसी के अंतर्गत अपवर्जनों की ओर ध्यान आकर्षित करेगा तथा यह स्पष्ट करेगा कि संविदा किस प्रकार निरस्त की जा सकती है;
- ङ) बीमाकर्ता/पुनर्बीमाकर्ता को तत्परतापूर्वक लिखित रूप में इस बात की पुष्टि उपलब्ध कराएगा कि पुनर्बीमा लागू कर दिया गया है। यदि इस पुष्टीकरण के साथ अंतिम पॉलिसी वाक्यरचना शामिल नहीं की गई है तो वह यथाशीघ्र प्रेषित की जाएगी।;

च) किसी भी पुनर्बीमा संविदा की शर्तों में परिवर्तन सूचित करेगा तथा किसी भी परिवर्तन के प्रभावी होने से पहले उचित नोटिस देगा;

अनुसूची VII

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 39 देखें)

निरीक्षण प्रक्रिया

1. **निरीक्षण से पहले सूचना.**—(क) विनियम 39 के अधीन निरीक्षण करने से पहले प्राधिकरण इस प्रयोजन के लिए बीमा दलाल को दस दिन की सूचना देगा ।

(ख) उपर्युक्त खंड 1(क) में निहित किसी बात के होते हुए भी, जहाँ प्राधिकरण संतुष्ट है कि पॉलिसीधारकों के हित में ऐसी कोई सूचना नहीं दी जाएगी, वह लिखित में दर्ज किये कारणों से यह निदेश दे सकता है कि ऐसी किसी सूचना के बिना बीमा दलाल के कार्यों का निरीक्षण किया जाए ।

(ग) बीमा दलाल निरीक्षण प्राधिकारी को ऐसे बीमा दलाल द्वारा अथवा उसकी ओर से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधिकृत परिसर में पूर्णतः प्रवेश करने देगा तथा बीमा दलाल के कब्जे में स्थित बहियों, अभिलेखों, दस्तावेजों और कंप्यूटर डेटा की जाँच करने के लिए सभी सुविधाएँ भी उपलब्ध कराएगा ।

(घ) निरीक्षण प्राधिकारी को यह अधिकार होगा कि वह निरीक्षण के दौरान बीमा दलाल के किसी प्रधान अधिकारी अथवा किसी कर्मचारी के वक्तव्यों की जाँच करे अथवा उन्हें अभिलिखित करे तथा उसे शक्तियाँ होंगी कि वह दस्तावेजों/अभिलेखों को जब्त करे अथवा उनकी प्रतियाँ निकाले ।

(ङ) ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का यह कर्तव्य होगा कि वह निरीक्षण अधिकारी को निरीक्षण के संबंध में हर प्रकार से सहयोग प्रदान करे जिसकी प्रत्याशा बीमा दलाल से प्राप्त करने के लिए उचित रूप से की जा सकती है ।

(च) इस संबंध में प्राधिकरण की अपेक्षाओं का पालन न करने अथवा निरीक्षण अधिकारियों को सहयोग प्रदान न करने का परिणाम लाइसेंस का निलंबन होगा।

2. **प्राधिकरण को रिपोर्ट की प्रस्तुति.**—निरीक्षण प्राधिकारी निरीक्षण की समाप्ति से 30 दिन के अंदर प्राधिकरण को निरीक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा ।

3. **निष्कर्ष आदि की सूचना.**—(क) प्राधिकरण उक्त निरीक्षण रिपोर्ट पर विचार करने के बाद अपने निष्कर्ष बीमा दलाल को सूचित करेगा। बीमा दलाल सूचना की प्राप्ति की तारीख से 21 दिन के अंदर प्राधिकरण को उत्तर देगा।

(ख) बीमा दलाल से स्पष्टीकरण, यदि कोई हो, प्राप्त करने के बाद प्राधिकरण बीमा दलाल को ऐसे उपाय करने के लिए निदेश दे सकता है जो प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझे जाएँगे ।

(ग) उपर्युक्त (ख) पर प्रतिकूल प्रभाव के बिना, प्राधिकरण बीमा दलाल को एक नोटिस उससे उक्त नोटिस की प्राप्ति की तारीख से 21 दिन के अंदर कारण दर्शाने की अपेक्षा करते हुए जारी कर सकता है कि बीमा दलाल को प्रदत्त लाइसेंस क्यों नहीं निलंबित अथवा निरस्त किया जाना चाहिए अथवा प्राधिकरण द्वारा उपयुक्त समझी गई कोई अन्य कार्रवाई क्यों नहीं प्रारंभ की जानी चाहिए।

(घ) प्राधिकरण उपर्युक्त (ग) के अंतर्गत जारी की गई नोटिस के लिए प्राप्त उत्तर पर विचार करने के बाद बीमा दलाल को प्रदान किये गये लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण का निदेश देते हुए आदेश पारित कर सकता है अथवा मामले के तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उपयुक्त समझा गया कोई अन्य आदेश जारी कर सकता है।

(ङ) बीमा दलाल यदि प्राधिकरण के निर्णय से असंतुष्ट है तो ऐसी सूचना की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के अंदर प्राधिकरण के अध्यक्ष को अपने निर्णय पर पुनर्विचार करने के लिए आवेदन कर सकता है।

(च) प्राधिकरण का अध्यक्ष ऐसे आवेदन पर विचार करेगा तथा उस पर अपना निर्णय उसकी प्राप्ति से पैंतालीस दिन के अंदर लिखित में सूचित करेगा।

अनुसूची VIII

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 22 देखें)

बीमा दलालों द्वारा बीमे की ऑनलाइन बिक्री

बीमा दलाल को निम्नलिखित शर्तों के अधीन उन बीमाकर्ताओं के ऑनलाइन उत्पादों का प्रस्ताव करने की अनुमति है जिनके साथ बीमाकर्ता के वेब पोर्टलों के माध्यम से बिक्री के लिए उसने करार कर लिया है।

- 1) बीमा दलाल द्वारा विकसित की गई वेबसाइट में प्राधिकरण द्वारा लाइसेंसप्राप्त रूप में बीमा दलाल का नाम निहित होगा तथा किसी अन्य नाम का प्रयोग अथवा किसी अन्य वेबसाइट के साथ सहबद्धता निषिद्ध है।
- 2) बीमा दलाल अपनी वेबसाइट पर अपनी लाइसेंस संख्या, लाइसेंस की तारीख और उसकी वैधता, लाइसेंस की श्रेणी, प्रधान अधिकारी का नाम और उसके संपर्क का ब्योरा, बोर्ड की संरचना के संबंध में सूचना; तथा अन्य संबंधित जानकारी प्रमुख रूप से प्रदर्शित करेगा।
- 3) बीमा दलाल की वेबसाइट का उपयोग केवल बीमा उत्पादों के वेब संग्रहण (वेब ऐग्रीगेशन) और उनकी तुलना तथा ऐसे बीमाकर्ताओं के बीमा उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री के लिए ही किया जाएगा जिनके साथ बीमा दलाल का वैध करार है।
- 4) उस बीमाकर्ता के बीमा उत्पादों को छोड़कर जिसके साथ बीमा दलाल ने ऑनलाइन उत्पादों की बिक्री के लिए करार किया है, बीमा दलाल किसी भी स्वरूप और प्रकार के अन्य उत्पादों को प्रकाशित, विज्ञापित नहीं करेगा अथवा उनके प्रदर्शन या बिक्री के लिए व्यवस्था नहीं करेगा।
- 5) बीमा दलाल की वेबसाइट उस बीमाकर्ता की वेबसाइट के साथ संबंध उपलब्ध कराएगा जिसके साथ बीमा दलाल ने बीमाकर्ता के उत्पाद की ऑनलाइन बिक्री के लिए करार किया है तथा बीमा दलाल द्वारा उक्त ऑनलाइन बिक्री का निष्पादन केवल बीमाकर्ता की वेबसाइट के माध्यम से ही किया जाएगा।
- 6) बीमा दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राहक के पास ऑनलाइन बिक्री के लिए एक ही प्रकार के उत्पाद प्रस्तावित करनेवाले कम से कम पाँच बीमाकर्ताओं के उत्पादों को देखने तथा अपनी पसंद के बीमाकर्ता और उत्पादों का चयन करने का विकल्प हो।
- 7) बीमा दलाल को केवल निम्नलिखित वर्गों के उत्पादों अथवा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर यथाअनुमोदित किन्हीं अन्य उत्पादों का ही ऑनलाइन प्रस्ताव करने की अनुमति दी जाती है
 - i. जीवन :
 - क. आजीवन पॉलिसियाँ
 - ख. मीयादी बीमा उत्पाद
 - ग. बंदोबस्ती उत्पाद
 - घ. स्वास्थ्य बीमा उत्पाद
 - ङ. सेवानिवृत्ति - तत्काल वार्षिकी
 - च. सेवानिवृत्ति - आस्थगित वार्षिकी
 - छ. बच्चों के उत्पाद
 - ii. जीवनेतर ;
 - क. आवास बीमा
 - ख. मोटर बीमा
 - ग. स्वास्थ्य बीमा

- घ. यात्रा बीमा
 ङ. वैयक्तिक दुर्घटना बीमा
 च. ग्रामीण बीमा

- 8) बीमा दलाल उत्पादों की केवल उन्हीं विशेषताओं को दर्शायेगा जो प्राधिकरण के फाइल एण्ड यूज दिशानिर्देशों के अंतर्गत अनुमोदित हैं। ऐसी कोई सूचना जो पॉलिसीधारक के हितों के प्रतिकूल हो अथवा भ्रामक हो तथा प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित न हो, बीमा दलालों द्वारा अपनी वेबसाइटों पर प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
- 9) बीमा दलाल विभिन्न बीमाकर्ताओं के उत्पादों की विशेषताएँ प्रदर्शित करते समय किसी एक बीमाकर्ता के प्रति पक्षपात नहीं करेगा।
- 10) बीमा दलाल की वेबसाइट पर दर्शायी जानेवाली टेम्प्लेटों के संबंध में बीमा दलाल और उन बीमाकर्ताओं के बीच परस्पर सहमति होनी चाहिए जिनके उत्पादों की तुलना की जाती है।
- 11) प्रदर्शित किये जानेवाले उत्पादों की तुलनाएँ अद्यतन होनी चाहिए तथा उन्हें उत्पादों की सही स्थिति प्रतिबिंबित करनी चाहिए।
- 12) बीमा दलाल उत्पादों से संबंधित सूचना पूर्णतया बीमाकर्ताओं से प्राप्त सूचना के आधार पर ही प्रदर्शित करेंगे।
- 13) बीमा दलाल निम्नलिखित कार्य नहीं करेंगे
- वेबसाइट पर अन्य वित्तीय संस्थाओं/एफएमसीजी के उत्पादों अथवा सेवाओं अथवा अन्य उत्पाद या सेवा से संबंधित कोई सूचना प्रदर्शित नहीं करेंगे।
 - वेबसाइट पर बीमा उत्पाद या सेवा सहित किसी भी उत्पाद या सेवा, अन्य वित्तीय उत्पादों या सेवा/अथवा किसी अन्य उत्पाद या सेवा से संबंधित किसी भी प्रकार का विज्ञापन प्रदर्शित नहीं करेंगे।
 - निम्नलिखित अपवादों के अधीन* उत्पाद के संबंध में अग्रणी निर्माण/ तुलना आदि के लिए बहुविध वेबसाइटों का परिचालन नहीं करेंगे अथवा अन्य अनुमोदित/अननुमोदित/लाइसेंसरहित संस्थाओं/वेबसाइटों के साथ संबंध स्थापित नहीं करेंगे :
 बीमा उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए प्रयुक्त बीमा दलाल की प्राथमिक वेबसाइट के लिए .com अथवा .in अथवा .co.in जैसे प्रत्ययों के साथ बहुविध क्षेत्र (डोमेन) नामों अथवा एक ही क्षेत्र (डोमेन) के नामों का प्रयोग करने की अनुमति है बशर्ते कि
 क. प्राथमिक अथवा अनुषंगी अथवा उत्पाद श्रेणी विशिष्ट वेबसाइटों अथवा मोबाइल साइटों के डोमेन नाम बीमा दलाल के स्वामित्व में हों और उसके नाम से पंजीकृत हों
 ख. बीमा दलाल प्राधिकरण को लाइसेंस प्रदान करने के लिए प्रस्तुत आवेदन में लिखित में ऐसी वेबसाइटों अथवा मोबाइल साइटों के डोमेन नामों के पंजीकरण की तारीख और उन्हें प्रारंभ करने की तारीख के बारे में सूचित करे तथा उसके बाद मौजूदा वेबसाइटों के नाम (नामों) में किसी परिवर्तन अथवा नई वेबसाइटों की स्थिति में क्रमशः डोमेन नाम के पंजीकरण की तारीख और प्रारंभ करने की तारीख से 15 दिन के अंदर प्राधिकरण को सूचित करे।
- 14) बीमा दलाल अपनी वेबसाइटों पर बीमाकर्ताओं के उत्पादों को प्रदर्शित करने के लिए उनसे कोई अतिरिक्त शुल्क वसूल नहीं करेगा;
- 15) बीमा दलाल बीमाकर्ता के साथ बीमा दलाल के ग्राहक / ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए करार कर सकता है तथा उक्त करार दोनों बीमाकर्ता और बीमा दलाल के पास प्राधिकरण द्वारा निरीक्षण के लिए उपलब्ध होगा।
- 16) बीमा दलाल जिसने बीमाकर्ता के साथ करार कर लिया है, को बीमाकर्ताओं द्वारा केवल बीमा दलाल द्वारा प्राप्त और सेवा प्रदान की गई पॉलिसियों के लिए बीमाकर्ताओं की वेबसाइटों के माध्यम से ऑनलाइन नवीकरण प्रीमियम वसूल करने के लिए अनुमति दी जा सकती है।
- 17) ऑनलाइन बिक्री के लिए प्रीमियमों के भुगतान की विधि बीमा पॉलिसियों की ऑनलाइन बिक्री के लिए बीमाकर्ता द्वारा सामान्यतः प्रयुक्त पेमेंट गेटवे के माध्यम से क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड/नेट बैंकिंग अथवा

समय-समय पर भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा अनुमति प्राप्त रूप में किसी अन्य तरीके से होगी। प्रीमियम को किसी नामित बैंक के बीमाकर्ता के प्रीमियम वसूली खाते में सीधे जमा करना होगा तथा किसी भी तरीके से इसे बीमा दलाल के बैंक खाते के माध्यम से प्रेषित नहीं किया जाना चाहिए। बीमा दलाल इस प्रयोजन के लिए प्रीमियमों हेतु कोई भी नकद भुगतान स्वीकार नहीं करेंगे।

- 18) ऑनलाइन लेनदेन पूरा होने पर प्रीमियम के भुगतान और पॉलिसी की बिक्री के लिए बीमाकृत व्यक्ति को इस बात के लिए समर्थ होना चाहिए कि वह ई-प्रीमियम रसीद और अधिमानतः पॉलिसी प्रलेख भी तत्काल उत्पन्न कर सके तथा सेव / मुद्रित कर सके। वैकल्पिक रूप से बीमाकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये विकल्प के अनुसार पॉलिसी प्रलेख ई-मेल द्वारा / अथवा हार्ड कॉपी के रूप में वितरित किया जा सकता है।
- 19) ऑनलाइन उत्पादों की बिक्री अथवा प्रीमियमों की प्राप्ति हेतु उनके वेब पोर्टलों को संघटित करने के लिए बीमाकर्ताओं के साथ किये गये करार किसी भी प्रकार से पॉलिसीधारकों के हितों के प्रतिकूल नहीं होंगे। बीमा दलाल बीमाकर्ताओं को उनके उत्पादों की बिक्री के लिए कोई वचन नहीं देंगे अथवा प्रतिबद्ध नहीं होंगे।
- 20) बीमा दलाल यह सुनिश्चित करेगा कि धन-शोधन निवारण संबंधी मामलों के अनुपालन के लिए प्राधिकरण अथवा अन्य किसी प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये निदेशों का पालन किया जाएगा। बीमा दलाल के साथ हस्ताक्षरित किये जानेवाले करार में बीमाकर्ता इस आशय के आवश्यक नियम और प्रयोज्य खंड शामिल करेगा।
- 21) बीमाकर्ता एवं बीमा दलाल इस प्रयोजन के लिए किये जानेवाले करार के प्रावधानों के किसी भी उल्लंघन के लिए संयुक्त रूप से तथा अलग-अलग रूप से बाध्य होंगे।
- 22) बीमा उत्पादों की ऑनलाइन बिक्री करते समय बीमा दलाल एवं बीमाकर्ताओं को समय-समय पर यथासंशोधित बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 और/या किसी अन्य अधिनियम तथा समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विनियमों/मार्गदर्शी सिद्धांतों/परिपत्रों/निदेशों के प्रावधानों का पालन करना होगा।

अनुसूची IX

फार्म ए

[विनियम 5 और 18 देखें]

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013

लाइसेंस प्रदान करने/लाइसेंस के नवीकरण के लिए आवेदन

आवेदक का नाम :

लाइसेंस संख्या :

श्रेणी जिसके लिए लाइसेंस जारी किया गया है :

समाप्ति की तारीख :

नये आवेदन के मामले में :

आवेदित श्रेणी :

बीमा दलाल -

(जैसा लागू हो, श्रेणी का उल्लेख करें)

प्रत्यक्ष (जीवन)

प्रत्यक्ष (साधारण)

प्रत्यक्ष (जीवन और साधारण)

पुनर्बीमा

संमिश्र

फार्म भरने के लिए अनुदेश :

1. यह महत्वपूर्ण है कि इस आवेदन फार्म को भरने से पहले प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों का सावधानीपूर्वक अध्ययन किया जाए ।
2. यह आवश्यक है कि आवेदक प्राधिकरण को विधिवत् भरा गया आवेदन सभी उपयुक्त, समर्थक दस्तावेजों के साथ प्रस्तुत करें ।
3. आवेदन पर केवल तभी विचार किया जाएगा जब वह हर प्रकार से पूर्ण हो ।
4. आवेदकों को चाहिए कि वे आवेदनों पर स्वयं हस्ताक्षर करें ।
5. जो सूचना अधिक विवरण के साथ देने की आवश्यकता हो, वह अलग पत्रकों पर दी जाए जिन्हें आवेदन फार्म के साथ संलग्न करना चाहिए ।
6. यदि आवेदक कोई कंपनी नहीं है, तो इस फार्म में माँगी गई सूचना अपेक्षाओं को उपयुक्त रूप में अनुकूल बनाकर दी जाएगी।

आवेदक का विवरण

1.1 आवेदक का नाम :

1.2 (क) पता - व्यवसाय का प्रधान कार्यालय/पंजीकृत कार्यालय :

.....

पिन कोड : टेलीफोन सं.

ई-मेल : फैक्स सं. :

(ख) पत्राचार के लिए पता :

.....

पिन कोड : टेलीफोन सं.

ई-मेल : फैक्स सं. :

(ग) शाखा कार्यालयों के पते :

.....

(घ) प्रधान अधिकारी का नाम और पदनाम

.....

2. संगठन - संरचना

2.1 आवेदक की स्थिति :

(उदा. लिमिटेड कंपनी-निजी/सरकारी, साझेदारी, अन्य। यदि सूचीबद्ध है, तो शेयर बाजारों के नाम तथा नवीनतम शेयर भाव दिया जाए)

2.2 संस्थापन की तारीख और स्थान :

दिन माह वर्ष स्थान

2.3 व्यवसाय का विस्तार जैसा कि संस्था के बहिरनियमों में वर्णित है

(संस्था के बहिर्नियमों और अंतर्नियमों अथवा भागीदारी विलेख की प्रतिलिपि के साथ संक्षेप में दिया जाए)।

- 2.4 प्रमुख शेयरधारकों की सूची (जो प्रत्यक्ष रूप से अथवा सहयोगी संस्थाओं के साथ आवेदक के 5% और उससे अधिक शेयर धारित करते हैं - केवल सीमित कंपनियों के लिए लागू है)

दिनांक.....को शेयरधारिता :

शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कंपनी की कुल चुकता पूँजी का प्रतिशत	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश हैं अथवा नहीं

2.5 सभी निदेशकों/साझेदारों/स्वामी का विवरण :—

नाम	योग्यता	बीमा दलाली सेवाओं और संबंधित क्षेत्रों में अनुभव	आवेदक फर्म/ कंपनी में शेयरधारिता	अन्य कंपनियों में निदेशन

2.6 सहयोगी कंपनियों/संस्थाओं का नाम और कार्यकलाप

कंपनी/फर्म का नाम	पता	संचालित कार्यकलाप का प्रकार	प्रवर्तक/निदेशक के हित का स्वरूप	आवेदक कंपनी का स्वरूप और हित

क्या सहयोगी कंपनियों/संस्थाओं के किसी एक अथवा उससे अधिक व्यक्तियों का आवेदक के व्यवसाय में हित निहित है ?

2.7 आवेदक के प्रधान बैंकरों का नाम और पता :

2.8 सांविधिक लेखा-परीक्षकों का नाम और पता :

3 व्यवसाय संबंधी सूचना

- 3.1 कार्यकलापों की अनुमानित मात्रा और आय (प्रत्याशित सहित) के साथ व्यवसाय की तीन वर्षीय योजना का दस्तावेज जिसके लिए लाइसेंस की अपेक्षा की गई है, विशेष रूप से दी जानी चाहिए।
- 3.2 कार्यात्मक दायित्वों को अलग से दर्शानेवाला संगठन चार्ट संलग्न किया जाना चाहिए।
- 3.3 प्रमुख प्रबंध कार्मिकों संबंधी विवरण

नाम	योग्यता	बीमा दलाली/बीमा परामर्श कार्यों के विशेष संदर्भ में अनुभव	नियुक्ति की तारीख	कार्यात्मक क्षेत्र

3.4 आवेदक के पास उपलब्ध कार्यालय स्थान, उपस्कर और श्रमशक्ति जैसी मूलभूत संरचना का विवरण

3.5 बीमा दलाली/बीमा परामर्श/जोखिम प्रबंध और अन्य सेवाओं में अनुभव का विवरण (इतिहास, प्रमुख घटनाएँ और वर्तमान गतिविधियाँ) (भारत के बाहर का अनुभव भी निर्दिष्ट किया जाए) :

3.6 पिछले तीन वर्षों के दौरान संचालित व्यवसाय तथा उन पुनर्बीमाकर्ताओं की सूची जिनके पास सँभाले गये कुल पुनर्बीमा प्रीमियम के दस प्रतिशत से अधिक का स्थापन किया गया।

क्रम संख्या	नाम	सँभाला गया प्रीमियम		प्रदत्त सेवाएँ
		राशि	दलाल द्वारा सँभाले गये कुल प्रीमियम का प्रतिशत	

3.7 आवेदक द्वारा प्रदान की जानेवाली सेवाओं के स्वरूप से संबंधित समझी जानेवाली कोई अन्य सूचना।

4. वित्तीय सूचना

4.1 पूँजी-विन्यास

(लाख रुपये)

पूँजी-विन्यास	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले का वर्ष	पूर्ववर्ती वर्ष	चालू वर्ष
क) प्राधिकृत पूँजी ख) निर्गम पूँजी ग) चुकता पूँजी घ) निर्बंध प्रारक्षित निधियाँ (पुनर्मूल्यन प्रारक्षित निधियों को छोड़कर) ङ) कुल योग (ग) + (घ)			
टिप्पणी :—1. एलएलपी के मामले में कृपया पूँजी में से आहरण और/या साझेदारों को ऋण घटाकर निर्दिष्ट करें। 2. एलएलपी के मामले में कृपया साझेदारों की वित्तीय स्थिति, साधन और निवल मालियत (नेट वर्थ) निर्दिष्ट करें।			

4.2 संसाधनों का अभिनियोजन

(लाख रुपये)

विवरण	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले का वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	पूर्ववर्ती वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	चालू वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)
(क) अचल परिसंपत्तियाँ (ख) संयंत्र और मशीनरी (ग) कार्यालयीन उपस्कर (घ) निर्दिष्ट भाव वाले निवेश (ङ) अनिर्दिष्ट भाव वाले निवेश (च) चल परिसंपत्तियों का ब्योरा (छ) अन्य			

(निवेशों, सहयोगी कंपनियों/फर्मों को दिये गये ऋणों और अग्रिमों का विवरण जहाँ प्रवर्तकों/ निदेशकों का हित हो, अलग से दिया जाए)।

4.3 आय के प्रमुख स्रोत :

(लाख रुपये)

विवरण	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले का वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	पूर्ववर्ती वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	प्रीमियम के प्रतिशत के रूप में प्राप्त पारिश्रमिक (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)
क) प्रत्यक्ष बीमा पारिश्रमिक ख) पुनर्बीमा पारिश्रमिक ग) परामर्श शुल्क घ) बीमा परामर्श कार्य ङ) निवेश आय च) अन्य			

चूँकि बीमा दलाल द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक अलग-अलग जोखिम के लिए भिन्न-भिन्न हो सकता है, अतः वह दायरा निर्दिष्ट करें जिसके अंदर पारिश्रमिक प्राप्त किया गया है।

4.4 कर से पहले आय और लाभ (पीबीटी)

(लाख रुपये)

विवरण कर से पहले आय लाभ	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले का वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	पूर्ववर्ती वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	चालू वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)

4.5 लाभांश

(लाख रुपये)

विवरण	चालू वर्ष के पूर्ववर्ती वर्ष से पहले का वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	पूर्ववर्ती वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)	चालू वर्ष (संबंधित वित्तीय वर्ष का उल्लेख करें)
राशि प्रतिशत			

टिप्पणी : कृपया तीन वर्षों के लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखे संलग्न करें। जहाँ लेखा-परीक्षा न की गई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई हैं, वहाँ कारण बताएँ। यदि पिछले लेखा-परीक्षित वार्षिक लेखों के बाद न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षा पूरी नहीं की गई है, तो बाद की तारीख को समाप्त अवधि के लिए लेखा-परीक्षित लेखों का विवरण भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

5. अन्य सूचना, यदि कोई हो

5.1 निपटाये गये और लंबित विवादों का विवरण :

विवाद का स्वरूप	पक्षकार का नाम	लंबित/निपटाया गया	निपटान की तारीख

5.2 पिछले तीन वर्षों में यदि आवेदक अथवा किसी भी साझेदार/निदेशक अथवा प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों द्वारा कोई आर्थिक अपराध किये गये हों तो उनका ब्योरा।

6.0 संलग्न दस्तावेज :**7. शुल्क का भुगतान :**

टिप्पणी : वापस न करने योग्य शुल्क (आवेदित श्रेणी के आधार पर) तथा बीमा

विनियमक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 14 में

यथाविनिर्दिष्ट

भुगतान का विवरण : माँग ड्राफ्ट (डीडी) सं.:..... दिनांक :.....

बैंक का नाम :

भुगतान के अन्य प्रकार :

8.: वचन-पत्र

8.1 क्या आवेदक के साथ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित किसी व्यक्ति को पूर्व में लाइसेंस प्रदान करने से इनकार किया गया है अथवा नहीं

व्यक्तियों का नाम	आवेदक के साथ संबंध	प्रशिक्षण का ब्योरा

इस उप-खंड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से संबंधित" से किसी व्यक्ति के मामले में आवेदक का कोई रिश्तेदार, तथा किसी फर्म अथवा कंपनी अथवा कंपनी निकाय के मामले में सहयोगी संस्था, सहायक संस्था, परस्पर संबद्ध उपक्रम अथवा समूह कंपनी अभिप्रेत है।

8.2 आवेदक के प्रधान अधिकारी का योग्यता और अनुभव संबंधी विवरण

नाम	पता	योग्यता (बीमा दलाली परीक्षा की उत्तीर्णता सहित)	पिछला अनुभव (बीमा उद्योग सहित)	पिछला रोजगार	रोजगार संबंधी विवरण

8.3 बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने और उसे प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार कर्मचारियों की सूची

नाम	पता	पदनाम	योग्यता (बीमा दलाली परीक्षा की उत्तीर्णता सहित)	जिम्मेदारियों का विवरण

8.4 लाइसेंस के नवीकरण के लिए मीयादी जमाराशि का विवरण

बैंक का नाम	पता	मीयादी जमा (एफ.डी.) संख्या	जमा के अंतर्गत धारित राशि	प्रारंभिक पूँजी में से प्रतिशत	परिपक्वता दिनांक

9. घोषणा

इस घोषणा पर जैसी स्थिति हो, दो निदेशकों दो साझेदारों के हस्ताक्षर अपेक्षित हैं।

मैं/हम इसके द्वारा लाइसेंस के लिए आवेदन करता हूँ/करती हूँ/करते हैं ।

मैंने/हमने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 का अवलोकन किया है तथा मैं/हम इस बात से संतुष्ट हूँ/हैं कि

मैं/हम बीमा दलाल के लाइसेंस के लिए आवेदन करने के लिए पात्र हूँ/हैं ।

मैं/हम यह स्पष्ट करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मैंने/हमने उपर्युक्त प्रश्नों का सत्यनिष्ठापूर्वक और पूर्णतः उत्तर दिया है तथा वह समस्त सूचना उपलब्ध कराई है जो मेरे/हमारे लाइसेंस के प्रयोजनों के लिए उचित रूप से संबंधित मानी जा सकती है।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि आवेदन फार्म में उपलब्ध कराई गई सूचना पूर्ण और सही है ।

मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि मैं/हम लाइसेंस की अवधि के दौरान मेरे/हमारे द्वारा अर्जित पारिश्रमिक में पूर्णतः अथवा अंशतः किसी छूट की अनुमति किसी भी व्यक्ति को प्रलोभन के रूप में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से नहीं दूंगा/दूँगी/देंगे अथवा किसी छूट की अनुमति का प्रस्ताव नहीं करूँगा/करूँगी/करेंगे ।

मैं/हम वचन देता हूँ/देती हूँ/देते हैं कि लाइसेंस के निरस्तीकरण अथवा उसका नवीकरण न होने के समय बहियों पर व्यवसाय से हट जाने (रन-ऑफ बिजनेस) का अंकन करूँगा/करूँगी /करेंगे ।

मैं/हम घोषणा करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि मेरे/हमारे पास अधिनियम की धारा 42 के अंतर्गत बीमा एजेंट का लाइसेंस नहीं है ।

के लिए और उनकी ओर से

(नाम और हस्ताक्षर)

{स्पष्ट अक्षरों में}

निदेशक

आवेदक का नाम

स्थान :

दिनांक :

(नाम और हस्ताक्षर)

(स्पष्ट अक्षरों में)

आवेदक का नाम

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

फार्म बी

(विनियम 5 और 15 देखें)

लाइसेंस

लाइसेंस संख्या :

1. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण इसके द्वाराको उपर्युक्त अधिनियम के अंतर्गतदलाल
(श्रेणी के विवरण का उल्लेख करें)
के रूप में कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है ।
2. उक्त बीमा दलाल के लिए लाइसेंस कूट निम्न प्रकार से है
.....
3. यह लाइसेंस से तक वैध होगा ।
4. यह लाइसेंस अधिनियम, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) एवं बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के अधीन है तथा इसके संबंध में यह नहीं समझा जाएगा कि यह किसी अन्य अधिनियम, नियमों और विनियमों के अनुसार अथवा उनके अनुरूप है ।

स्थान :

आदेशानुसार

दिनांक :

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2013
फार्म सी
(विनियम 18 देखें)
लाइसेंस के नवीकरण का प्रमाणपत्र

लाइसेंस संख्या :

1. मेसर्स
.....
श्रेणी.....दलाल का लाइसेंस बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 की धारा..... तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) के अधीन एतद्वारा.....से.....तक की अवधि के लिए नवीकृत किया जाता है।
2. हैदराबाद में.....दिन.....दो हजार.....को जारी किया गया।
3. यह लाइसेंस से तक विधिमान्य होगा।
4. यह लाइसेंस इस शर्त के अधीन जारी किया जाता है कि आवेदक बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4), उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों अथवा विनियमों के सभी उपबंधों तथा प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किये जानेवाले दिशा-निर्देशों, परिपत्रों और निदेशों का पालन करेगा।

स्थान :

आदेशानुसार

दिनांक :

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
(बीमा दलाल) विनियम, 2013
फार्म आर
[विनियम 21 देखें]
लाइसेंस की अनुलिपि (इप्लिकेट लाइसेंस)

लाइसेंस संख्या

1. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 42डी की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण एतद् द्वारा उपर्युक्त अधिनियम के अधीनको
.....दलाल
के रूप में
(श्रेणी के विवरण का उल्लेख करें)
कार्य करने के लिए लाइसेंस प्रदान करता है।

2. उक्त बीमा दलाल के लिए लाइसेंस कूट.....है।
3. यह लाइसेंससे.....तक विधिमान्य होगा।
4. यह लाइसेंस बीमा अधिनियम, 1938, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1999 (1999 का 4) तथा बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के अधीन है एवं इसे किसी अन्य अधिनियम, नियमों अथवा विनियमों के अनुपालन के अथवा उनके अनुरूप होने के तौर पर नहीं माना जाएगा।

स्थान :

आदेशानुसार

दिनांक :.....

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
के लिए और उनकी ओर से

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण
लाइसेंस की अनुलिपि (इप्लिकेट लाइसेंस) के लिए आवेदन

1. मैं आपको सूचित करते हुए स्वीकार करता हूँ/करती हूँ कि मेरा/हमारा लाइसेंस संख्या.....
1. खो गया है
2. नष्ट किया गया है
3. कटा-फटा है
जोकि निम्नलिखित कारणों से हुआ है.....
2. शुल्क का भुगतान :

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (आईआरडीए) को वापस न करने योग्य 1000/- रुपये का शुल्क अदा करने की आवश्यकता है।

भुगतान का विवरण :

माँग ड्राफ्ट (डीडी) संख्या.....दिनांक :.....

बैंक का नाम :

भुगतान के अन्य प्रकार :

3. घोषणा

मैं इसके द्वारा विनियम 21 के अधीन लाइसेंस की अनुलिपि (ड्रॉप्लिकेट लाइसेंस) के लिए आवेदन करता हूँ/करती हूँ।

अतः मैं/हम प्राधिकरण से अनुरोध करता हूँ/करती हूँ/करते हैं कि कृपया उपर्युक्त परिस्थितियों के आलोक में लाइसेंस की एक अनुलिपि (ड्रॉप्लिकेट लाइसेंस) जारी करें।

मैंसत्यनिष्ठापूर्वक यह घोषित करता हूँ/करती हूँ और यह पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार उपर्युक्त विवरण सही है।

निदेशक 1 के हस्ताक्षर

निदेशक 2 के हस्ताक्षर

दिनांक :

अनुबंध-I

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

नया दलाल लाइसेंस प्राप्त करने के लिए प्रलेखीकरण और प्रक्रियागत अपेक्षाएँ

[विनियम 5 देखें]

क. पूर्ण आवेदनपत्र की प्रस्तुति।

क) फार्म ए में की गई अपेक्षानुसार संबंधित सूचना प्रस्तुत करना।

ख) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 14 के अधीन निर्धारित रूप में हैदराबाद में देय माँग ड्राफ्ट (डीडी) द्वारा आवेदित बीमा दलाल की श्रेणी के अनुसार आवश्यक शुल्क का प्रेषण।

ग) आवेदक की संस्था के अंतर्नियमों और बहिर्नियमों की मुद्रित प्रति प्रस्तुत करना। संस्था के अंतर्नियमों और बहिर्नियमों के मुख्य उद्देश्य विनियमों के अनुसार होने चाहिए।

घ) बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 8 में विनिर्दिष्ट किये अनुसार प्रशिक्षण की अपेक्षाओं का अनुपालन सुनिश्चित करना। लाइसेंस प्रदान करने के लिए किसी भी आवेदन पर विचार किया जा सके, इसके पहले यह आवश्यक है कि इस अपेक्षा का अनुपालन किया जाए।

ङ) प्रधान अधिकारी : अनुबंध II-बी में यथाउल्लिखित योग्यता और उपयुक्तता मानदंड के फार्मेट के साथ अनुबंध II-ए में उल्लिखित रूप में प्रधान अधिकारी से संबंधित डेटा प्रस्तुत किया जाना चाहिए, विवरण के लिए विनियम 8 देखें।

च) प्रधान अधिकारी को इस आशय का प्रमाणीकरण करनेवाला विधिवत् नोटरीकृत एक शपथपत्र प्रस्तुत करना चाहिए कि बीमा अधिनियम, 1938 की उप-धारा 42डी के अंतर्गत विनिर्दिष्ट किसी भी अनर्हता से आवेदक (कंपनी के निदेशक/साझेदार, प्रधान अधिकारी और मुख्य प्रबंध कार्मिक) ग्रस्त नहीं हैं।

छ) अनुबंध-II-बी में उल्लिखित रूप में योग्यता और उपयुक्तता फार्मेट के साथ अनुबंध-II-ए में निर्धारित फार्म में निदेशकों/साझेदारों, शेयरधारकों, प्रवर्तक और मुख्य प्रबंध कार्मिकों का ब्योरा प्रस्तुत किया जाना चाहिए।

- ज) अनुबंध-II-ए में निर्धारित फार्म में उन कर्मचारियों की सूची उनकी योग्यताओं के साथ प्रस्तुत की जानी चाहिए जो बीमा व्यवसाय की अपेक्षा करने और उसे प्राप्त करने के लिए जिम्मेदार होंगे।
- झ) आवेदक के बैंक खाते की संख्या के साथ सांविधिक लेखा-परीक्षकों और प्रधान बैंकरों का विवरण।
- ञ) मूलभूत संरचना के समर्थक साक्ष्य, जैसे पंजीकृत कार्यालय के लिए कार्यालय स्थान/उपस्कर/प्रशिक्षित श्रमशक्ति, आदि के संबंध में स्वामित्व/पट्टा करार संबंधी कागजात के साथ मूलभूत संरचना का ब्योरा तथा देश में विभिन्न स्थानों पर शाखा कार्यालय खोलने के लिए भावी आयोजना एवं परिसर के फोटोग्राफों सहित अनुमानित समय-सीमा का विवरण।
- ट) प्रशासनिक व्यय, वेतन और मजदूरी तथा अन्य व्यय, राजस्व खाते से आहरण, लाभ-हानि खाते के पूर्वानुमान एवं पूर्वानुमानित 3 वर्ष के लिए तुलन-पत्र।
- ठ) सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी), जोखिम अंकन, जोखिम निर्धारण, दावों का निपटान, विपणन, लेखे, बैंक ऑफिस आदि जैसे कंपनी के कार्यकलापों का पूरा चित्र देते हुए संगठन का चार्ट।
- ड) जोखिम निर्धारण, जोखिम अंकन और दावों के प्रबंध आदि क्षेत्रों का अच्छा ज्ञान और इनमें कार्य करने का अनुभव रखनेवाले, जीवन बीमे की पृष्ठभूमि से युक्त और इस क्षेत्र से भरती किये गये अनुभवी कर्मिकों की सूची। इस प्रकार चयन किये गये लोगों के नियुक्ति-पत्रों/कार्यग्रहण पत्रों के साथ उनकी विस्तृत सीवी, शैक्षिक योग्यताओं की प्रतियाँ प्राधिकरण को प्रस्तुत करें।
- ढ) ऐसी किसी अन्य सूचना को अभिलिखित करें जो बीमा व्यवसाय के विकास और संवर्धन के लिए आवेदक द्वारा प्रदत्त सेवाओं के स्वरूप से संबंधित हो।
- ण) प्राधिकरण द्वारा आवश्यक समझी जानेवाली कोई भी अन्य अपेक्षाएँ।

ख. हस्ताक्षरकर्ता

- क) उपर्युक्त आवेदन फार्म और विभिन्न फार्मों पर दो निदेशकों और प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।
- ख) उपर्युक्त यथाउल्लिखित हस्ताक्षरकर्ताओं के अतिरिक्त लेखा-विवरणों पर लेखा-परीक्षकों द्वारा हस्ताक्षर किये जाने चाहिए।

दस्तावेजों/अपेक्षाओं की उपर्युक्त सूची केवल निर्देशात्मक है, संपूर्ण नहीं। अतिरिक्त दस्तावेजों की सूचना आवेदित लाइसेंस की श्रेणी, शेयरधारिता के स्वरूप, बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के अनुसार और प्राधिकरण की राय में अपेक्षित किसी अन्य अनुपालन के मामले के आधार पर दी जाएगी।

ग. वैयक्तिक प्रस्तुतीकरण

प्राधिकरण के संतोष के अनुरूप निर्दिष्ट आवश्यकताएँ पूरी करने के बाद आवेदक से यह अपेक्षित होगा कि वह आवेदन के संबंध में व्यवसाय की योजनाओं के प्रस्तुतीकरण के लिए प्राधिकरण के समक्ष उपस्थित हो।

अनुबंध-II-ए

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

प्रधान अधिकारी/निदेशकों/साझेदारों/प्रवर्तकों/शेयरधारकों/मुख्य प्रबंध कर्मिकों का विवरण

[विनियम 8 देखें]

प्रधान अधिकारी का वैयक्तिक विवरण	
पूरा नाम	उल्लेख करें श्री/श्रीमती
पता	

जन्म तिथि		फोन सं.	
राष्ट्रीयता		सेल सं.	
संगठन में स्थिति		फैक्स सं.	
वर्तमान स्थिति में कब से हैं		ईमेल आईडी	
		वेब पता	
कर्तव्यों/जिम्मेदारियों का विवरण			
योग्यताएँ, अनुभव और उपलब्धियाँ			
संस्थान का नाम	देश	योग्यता	अध्ययन/उपाधिग्रहण का वर्ष
व्यावसायिक योग्यता (अनिवार्य व्यावसायिक अर्हताओं के लिए नीचे खंड 1 देखें)			
इस कंपनी में वर्तमान शेयरधारिता -को स्थिति			
कंपनी का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कंपनी में धारित शेयरों का प्रतिशत	
अन्य कंपनियों में ईक्विटी हित / अन्य कंपनियों में शेयरधारिता			
कंपनी का नाम	धारित शेयरों की संख्या	कंपनी में धारित शेयरों का प्रतिशत	
अन्य कंपनियों में धारित निदेशन/साझेदारी/स्वामित्व की स्थितियाँ			
कंपनी का नाम	संगठन में धारित स्थिति	अवधि (..... से.....तक)	

कार्य करने का अनुभव

नियोजक का नाम	व्यवसाय का स्वरूप	पदनाम	कर्तव्यों का विवरण	अवधि

- 1) मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि ऊपर इस आवेदन में दी गई समस्त जानकारी वास्तविक और सही है।
- 2) मैं घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि मैंने योग्यता और उपयुक्तता का विवरण भर दिया है तथा इस फार्म के साथ संलग्न कर दिया है।

हस्ताक्षर

नाम

दिनांक:

अनुबंध-II-बी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

योग्यता और उपयुक्तता के मानदंड

(विनियम 8 देखें)

आवेदक प्राधिकरण को इस बात के लिए संतुष्ट करना चाहिए कि—

- क) प्रधान अधिकारी लाइसेंस प्रदान किये जाने के लिए योग्य और उपयुक्त है;
- ख) मुख्य कार्यपालक अधिकारी (सीईओ) इन विनियमों की धारा 2 में परिभाषित रूप में कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए योग्य और उपयुक्त व्यक्ति है; निदेशक इन विनियमों की धारा 2 में परिभाषित रूप में कर्तव्य का निर्वाह करने के लिए योग्य और उपयुक्त व्यक्ति हैं;
- ग) उसके सभी महत्वपूर्ण शेयरधारक/साझेदार योग्य और उपयुक्त व्यक्ति हैं;
- घ) आवेदक पर प्रभावी नियंत्रण रखने वाले सभी व्यक्ति व्यवसाय का संचालन करने के लिए योग्य और उपयुक्त व्यक्ति हैं;
- ङ) आवेदक के सभी मुख्य प्रबंध कार्मिक योग्य और उपयुक्त हैं।

प्रधान अधिकारी/निदेशकों/साझेदारों/प्रवर्तकों/शेयरधारकों/मुख्य प्रबंध कार्मिकों के लिए घोषणा और वचन-पत्र

प्रधान अधिकारी/निदेशकों/साझेदारों/प्रवर्तकों/शेयरधारकों/मुख्य प्रबंध कार्मिकों की 'योग्य और उपयुक्त' स्थिति तय करने के लिए उचित सावधानी बरतने के प्रयोजन के लिए निर्धारित 'घोषणा और वचन-पत्र' नीचे दिया गया है। अब से बीमा दलालों को वर्तमान प्रधान अधिकारी और निदेशकों/साझेदारों एवं प्रधान अधिकारी/निदेशक/साझेदार के रूप में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्ति से घोषणा और वचन-पत्र प्राप्त करने के लिए उक्त फार्मेट का प्रयोग करना चाहिए।

प्रत्येक व्यक्ति द्वारा अलग फार्म प्रस्तुत किये जाने की आवश्यकता है।

बीमा दलाल का नाम :		
I.	वैयक्तिक विवरण	
	क.	पूरा नाम
	ख.	दलाल संस्था में स्थिति
	ग.	जन्मतिथि
	घ.	शैक्षिक अर्हताएँ
	ङ.	संबंधित पृष्ठभूमि और अनुभव
	च.	स्थायी पता
	छ.	वर्तमान पता
	ज.	ई-मेल पता/ टेलीफोन संख्या
	झ.	आयकर अधिनियम के अंतर्गत पैन आयकर मंडल का नाम और पता
	ञ.	बीमे में संबंधित ज्ञान और अनुभव
ट.	स्थिति से संबंधित कोई अन्य सूचना	
II.	संबंधित योग्यता और उपयुक्तता (फिट एण्ड प्रोपर) के मानदंड यदि किसी भी प्रश्न का उत्तर 'हाँ' है, तो कृपया पूरा विवरण दें।	
	क.	क्या आपने कभी किसी कानून के अंतर्गत सेबी, रिजर्व बैंक, आईआरडीए, पीएफआरडीए, एफएमसी आदि जैसे किसी विनियामक प्राधिकरण से पंजीकृत हैं अथवा लाइसेंस प्राप्त किया है
	ख.	क्या आपने इस आवेदन में बताये गये नाम के अलावा किसी अन्य नाम से कारोबार किया है
	ग.	क्या आपको कोई कारोबार, व्यापार अथवा व्यवसाय, जिसके लिए कानून के अंतर्गत विशिष्ट लाइसेंस, पंजीकरण अथवा अन्य प्राधिकार अपेक्षित हैं, करने के लिए किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कभी अस्वीकार अथवा प्रतिबंधित किया गया है
	घ.	क्या कभी आपको कोई व्यावसायिक कार्यकलाप करने के लिए किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा निंदित अथवा अनुशासित अथवा निलंबित किया गया है अथवा अनुमति या लाइसेंस या पंजीकरण देने से इनकार किया गया है
	ङ.	क्या आप कभी किसी जाँच-पड़ताल अथवा अनुशासनिक कार्यवाही के अधीन रहे हैं अथवा आपको कभी किसी विनियामक प्राधिकरण द्वारा कोई चेतावनी या फटकार दी गई है
	च.	क्या कभी आपको किसी कानून के अंतर्गत किसी अपराध के लिए दोषी ठहराया गया है अथवा आप किसी लंबित कार्यवाही के अधीन रहे हैं
	छ.	क्या कभी आपको किसी भी समय किसी व्यवसाय/पेशे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित किया गया है
	ज.	आर्थिक विधियों और विनियमों के उल्लंघन के लिए लंबित, प्रारंभ किये गये अथवा अतीत में दोषसिद्धि के परिणामी अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो

झ.	आपके विरुद्ध लंबित अथवा प्रारंभ किये गये अथवा अतीत में दोषसिद्धि के परिणामी आपराधिक अभियोजन का विवरण, यदि कोई हो	
ञ.	क्या आप कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 164 के अंतर्गत परिकल्पित किसी भी अनर्हता से ग्रस्त हैं?	
ट.	क्या आप सरकारी विभाग अथवा एजेंसी के आदेश पर किसी जाँच के अधीन रहे हैं?	
ठ.	क्या कभी आप सीमाशुल्क/उत्पाद शुल्क/आयकर/ विदेशी मुद्रा/अन्य राजस्व प्राधिकारियों द्वारा नियमों/विनियमों/वैधानिक अपेक्षाओं के उल्लंघन के लिए दोषी पाये गये हैं, यदि हाँ तो विवरण दें।	
ड.	क्या कभी आप सेबी, आईआरडीए, डीसीए जैसे विनियामक की सूचना में प्रतिकूल रूप से आये हैं। (यद्यपि उम्मीदवार के लिए यह आवश्यक नहीं होगा कि वह इस स्तंभ में विनियामकों द्वारा दिये गये ऐसे आदेशों अथवा निष्कर्षों का उल्लेख करे जिन्हें बाद में पूर्णतः उलट दिया गया हो/रद्द किया गया हो, तथापि इसका उल्लेख करना आवश्यक होगा, यदि इस प्रकार उलट देना/रद्द करना गुण-दोष के आधार पर नहीं, बल्कि क्षेत्राधिकार की परिसीमा अथवा उसके अभाव जैसे तकनीकी कारणों से हुआ हो। यदि विनियामक का आदेश अस्थायी तौर पर स्थगित किया गया है तथा अपील/अदालती कार्यवाही अनिर्णीत है, तो इसका भी उल्लेख किया जाना चाहिए)।	
ढ.	क्या आपकी किसी समूह कंपनी/सहयोगी कंपनी/संबंधित पक्षकार के पास आईआरडीए द्वारा जारी किया गया कोई लाइसेंस है	
III.	मद I और II के संबंध में कोई अन्य स्पष्टीकरण/सूचना तथा योग्य और उपयुक्त (फिट एण्ड प्रोपर) का निर्णय करने के लिए सुसंगत समझी गई कोई अन्य जानकारी	
	वचन-पत्र	
	मैं पुष्टि करता हूँ/करती हूँ कि उपर्युक्त सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार वास्तविक और पूर्ण है। मैं अपनी नियुक्ति के बाद घटित होनेवाली सभी घटनाओं के बारे में यथाशीघ्र प्राधिकरण को पूर्णतः सूचित करने का वचन देता हूँ/देती हूँ, जो ऊपर उपलब्ध कराई गई सूचना से संबंधित हों।	
स्थान :	हस्ताक्षर	
दिनांक :	नाम	

अनुबंध-III-ए

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 18 देखें)

नवीकरण के लिए आवेदन फार्म के साथ संलग्न किये जानेवाले दस्तावेज

1. विधिवत् भरा गया फार्म-ए (आवेदन फार्म)।
2. नवीकरण शुल्क के रूप में माँग ड्राफ्ट (डीडी)।
3. कंपनी के एक निदेशक/साझेदार और प्रधान अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित नवीकरण संबंधी जाँच-सूची।

4. अनुबंध-I के अनुसार सनदी लेखाकार (सीए) द्वारा विधिवत् प्रमाणित कंपनी की शेयरधारिता का वर्तमान स्वरूप तथा पिछले नवीकरण के समय विद्यमान स्वरूप।
5. कंपनी रजिस्ट्रार द्वारा जारी किये गये संस्था के अंतर्नियमों और बहिर्नियमों की मुद्रित प्रतिलिपि।
6. बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 42डी के अनुपालन में विधिवत् नोटरीकृत शपथपत्र।
7. प्रधान अधिकारी द्वारा 25 घंटे के लिए प्राप्त नवीकरण प्रशिक्षण प्रमाणपत्र।
8. अनुबंध-IX के अनुसार कंपनी के एक निदेशक/साझेदार और प्रधान अधिकारी द्वारा विधिवत् हस्ताक्षरित वचन-पत्र।
9. कंपनी के प्रधान कार्यालय के वर्तमान पट्टा करार की प्रतिलिपि।
10. कंपनी की ओर से व्यवसाय की अपेक्षा करनेवाले और उसे प्राप्त करनेवाले कर्मचारियों की सूची।
11. पिछले तीन वर्षों के लिए व्यवसाय के प्रीमियम आंकड़े और वर्ष-वार शीर्षस्थ 10 ग्राहकों की सूची।
12. बैंक से प्राप्त ग्रहणाधिकार (लियन) की पुष्टि करनेवाले पत्र के साथ मीयादी जमाराशि की रसीद की प्रतिलिपि।
13. पिछले तीन वर्षों के लिए व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसियों की प्रतिलिपियाँ।
14. नकदी-प्रवाह विवरणों के साथ पिछले तीन वर्षों की वार्षिक रिपोर्टों की प्रतिलिपियाँ।
15. पुनर्बीमा/संमिश्र बीमा दलालों के संबंध में विनियम 23 के अनुपालन को प्रमाणित करते हुए सनदी लेखाकार (सीए) से प्राप्त प्रमाणपत्र।
16. आवेदक के संबंध में कोई अन्य विशिष्ट दस्तावेज।

अनुबंध-III-बी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 18 देखें)

शेयरधारिता के स्वरूप का फार्मेट

क्रम संख्या	शेयरधारक का नाम	पंजीकरण / पिछले नवीकरण के समय, जो भी बाद में हो (.....को स्थिति)		नवीकरण के लिए आवेदन के समय		टिप्पणी
		धारित शेयरों की संख्या	चुकता शेयर पूँजी का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	धारित चुकता शेयर पूँजी का प्रतिशत	

टिप्पणी : ऐसे शेयरधारकों के नाम जो 5 प्रतिशत से अधिक धारित नहीं करते/जिन्होंने कभी 5 प्रतिशत से अधिक धारित नहीं किया, 'अन्य' में दर्शाये जाने चाहिए, जब तक कि वे प्रमुख शेयरधारकों के साथ संबद्ध न हों अथवा उनका अंग न हों।

उन शेयरधारकों का विवरण जो उपर्युक्त के अंतर्गत नहीं आते, परंतु जिन्होंने पंजीकरण की तारीख/ नवीकरण की नवीनतम तारीख से चुकता पूँजी के 5 प्रतिशत से अधिक धारित किया है।

क्रम संख्या	शेयरधारक का नाम	धारित शेयरों की संख्या	धारिता की अवधि
-------------	-----------------	------------------------	----------------

अनुबंध-III-सी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 18 देखें)

वचन-पत्र का फार्मट

संदर्भ सं.

दिनांक

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

तीसरी मंजिल, परिश्रम भवन

बशीरबाग

हैदराबाद-500004

महोदय,

वचन-पत्र

हम इसके द्वारा निम्नलिखित वचन-पत्र प्रस्तुत करते हैं तथा निम्नानुसार पुष्टि करते हैं कि :

1. आज की तारीख की स्थिति के अनुसार प्रवर्तकों/प्रबंधन/आवेदक कंपनी के संबंध में किसी अन्य प्राधिकरण द्वारा कोई हस्तक्षेप नहीं है (यदि कोई हस्तक्षेप हो तो उस हस्तक्षेप का विवरण प्रस्तुत किया जाना चाहिए)।
2. आज की तारीख की स्थिति के अनुसार कंपनी के पास रोजगार में व्यक्तियों की संख्या है तथा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आवेदन के संबंध में कार्यवाही की प्रक्रिया के दौरान रोजगार में न्यूनतम 2 ऐसे अर्हता-प्राप्त व्यक्तियों को नियुक्त किया जाए जिनके पास अनुसूची II में विनिर्दिष्ट आवश्यक अर्हताएँ हों और विनियम 8(2)(iii) के अधीन बीमा दलाल के व्यवसाय का संचालन करने के लिए आवश्यक अनुभव हो।
3. आवेदक कंपनी के साथ प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संबद्ध किसी भी निदेशक/साझेदार/प्रधान अधिकारी/शेयरधारक/कर्मचारी/व्यक्ति को पूर्व में बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा लाइसेंस प्रदान करने से इनकार नहीं किया गया है।
4. प्रधान अधिकारी ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 की अनुसूची VI-ए और VI-बी, जो भी लागू हो, के अंतर्गत विनिर्दिष्ट रूप में आचरण-संहिता का उल्लंघन नहीं किया है।
5. आवेदक कंपनी प्राधिकरण के पास दाखिल किये गये संस्था के बहिर्नियमों के मुख्य उद्देश्यों तक सीमित रहते हुए विनियम 8(2)(xii) का पालन करेगी।
6. प्रधान अधिकारी विनियम 2(1)(ण) के अधीन केवल बीमा दलाल के कार्य करने के लिए ही नियुक्त किया गया है तथा वह किसी अन्य बीमा संबंधी अथवा किसी अन्य संस्था संबंधी न तो कोई निदेशन/रोजगार/समनुदेशन धारित करता है और न ही पूर्णकालिक अथवा अंशकालिक आधार पर उसका प्रतिनिधित्व करता है।
7. कंपनी का कोई भी निदेशक/साझेदार अथवा/और कोई कर्मचारी किसी अन्य बीमा संबंधी संस्था में कोई निदेशन/रोजगार धारित नहीं करता अथवा उसका प्रतिनिधित्व करता है।

8. बीमा दलाल के कार्यालय परिसर और उसकी शाखाओं का उपयोग केवल बीमा दलाली व्यवसाय के लिए ही किया जाता है और किया जाएगा तथा कोई अन्य कार्यकलाप संचालित नहीं किया जाएगा।
 9. हमारी किसी भी सहयोगी कंपनी/निदेशक/प्रवर्तक/मुख्य प्रबंध कार्मिक/प्रधान अधिकारी/कर्मचारी के पास एजेंसी/कारपोरेट एजेंसी/टीपीए/सर्वेक्षक का लाइसेंस नहीं है।
 10. हमने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 64वीबी (VB) के अनुसार प्रीमियम का भुगतान करने में ग्राहकों की सहायता की है तथा कभी भी ग्राहकों की ओर से प्रीमियम का भुगतान नहीं किया है।
 11. हमने बीमा अधिनियम, 1938 की धारा 41 का अनुपालन करते हुए देय कमीशन अथवा दर्शाये गये प्रीमियम के संबंध में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से पूर्णतः या अंशतः कोई छूट नहीं दी है।
 12. हम पुष्टि करते हैं कि न्यूनतम पूँजीगत अपेक्षा का उपयोग शेयर और प्रतिभूतियाँ खरीदने में एवं अंतर-कंपनी जमाराशियों में रखने और ऋण देने आदि के द्वारा करते हुए उसे कम नहीं किया गया है।
 13. हम पुष्टि करते हैं कि लाइसेंस की अवधि के दौरान बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 4 में विनिर्दिष्ट रूप में कार्यों का पालन किया गया है।
- हम यह पुष्टि करते हैं कि उपर्युक्त विवरण हमारी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही हैं। इसके अलावा हम समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा यथानिर्धारित सभी लागू विनियमों/नियमों/सूचनाओं/परिपत्रों का पालन करने का वचन देते हैं।

प्रधान अधिकारी

(निदेशक, प्रधान अधिकारी के अलावा)

हस्ताक्षर

हस्ताक्षर

नाम

नाम

दिनांक

दिनांक

टिप्पणी : जो घोषणा लागू न हो उसे काट दें तथा संबंधित सूचना अलग से संलग्न करें।

अनुबंध-IV-ए

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 23 देखें)

दूरविपणन सेवाओं की व्यवस्था करने के लिए बीमा दलाल द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला वचन-पत्र

बीमा दलाल का नाम :

संपर्क के लिए पता :

लाइसेंस संख्या :

लाइसेंस की श्रेणी :

लाइसेंस की वैधता :

हम, मेसर्स.....बीमा दलाल कंपनी बीमा उत्पादों के दूरविपणन के प्रयोजन के लिए दूरविपणनकर्ता के रूप में मेसर्स.....

की सेवाएँ लेना चाहते हैं। हम निम्नलिखित को प्रमाणित करते हैं और वचन देते हैं।

- 1) कि हमारे द्वारा नियुक्त किये जाने के लिए प्रस्तावित किया जा रहा दूरविपणनकर्ता ट्राई (टीआरएआई) के पास पंजीकरण संख्या.....के साथ पंजीकृत है तथा उक्त पंजीकरणतक वैध है।

- 2) कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि उक्त नियुक्त दूरविपणनकर्ता इस संबंध में ट्राई द्वारा जारी किये गये विनियमों/परिपत्रों/मार्गदर्शी सिद्धांतों और निदेशों का पालन करेगा तथा दूरविपणनकर्ता द्वारा उपर्युक्त दस्तावेजों के किसी भी उल्लंघन की स्थिति में ऐसे उल्लंघनों के लिए बीमा दलाल उत्तरदायी ठहराया जाएगा;
- 3) कि उक्त दूरविपणनकर्ता की सेवाएँवर्षों के लिए लेने का प्रस्ताव है तथा इस आशय का एक करार कार्य की सीमा, शुल्क का भुगतान और अन्य शर्तें निर्दिष्ट करते हुए किया गया है। करार की एक प्रतिलिपि प्राधिकरण के पास दाखिल की गई है।
- 4) कि हम यह सुनिश्चित करेंगे कि दूरविपणनकर्ता समय-समय पर इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये गये विनियमों/मार्गदर्शी सिद्धांतों/परिपत्रों/किन्हीं अन्य निदेशों का पालन करेगा।
- 5) कि हम समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप में अभिलेख/प्रलेख अथवा कोई भी अन्य सूचना प्रस्तुत करेंगे।
- 6) कि हम अपनी दलाली कंपनी को प्रदत्त सेवाओं को छोड़कर दूरविपणनकर्ता द्वारा किये जानेवाले अन्य कार्यकलापों से पूर्णतः अवगत हैं तथा यह प्रमाणित करते हैं कि कोई भी कार्यकलाप किसी भी अन्य बीमा संबंधी संस्था से संबंधित नहीं है।
- 7) कि बीमा दलाल का कोई भी निदेशक/साझेदार/मुख्य प्रबंध कार्मिक/शेयरधारक/कर्मचारी दूरविपणनकर्ता का निदेशक/साझेदार/मुख्य प्रबंध कार्मिक/शेयरधारक/कर्मचारी नहीं है।
- 8) कि दूरविपणनकर्ता बीमा दलाल का कोई संबंधित पक्षकार अथवा उसकी सहयोगी कंपनी नहीं है तथा दूरविपणनकर्ता के संबंधित पक्षकारों/सहयोगी कंपनियों/समूह कंपनियों का ब्योरा इस दस्तावेज के साथ संलग्न है।
- 9) कि हमने अन्य संस्थाओं के लिए दूरविपणनकर्ता द्वारा किये जानेवाले कार्यकलापों के संबंध में दूरविपणनकर्ता से पूरी जानकारी प्राप्त की है तथा उनसे दूरविपणनकर्ता के संबंधित पक्षकारों/सहयोगी कंपनियों/समूह कंपनियों के कार्यकलापों के विवरण के संबंध में सूचना भी प्राप्त की है तथा हम प्रमाणित करते हैं कि किसी भी कार्यकलाप का स्वरूप हितों के किसी संघर्ष का नहीं है।

(यह आवश्यक है कि इस प्रमाणपत्र पर दलाली कंपनी के दो निदेशकों/साझेदारों और प्रधान अधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँ)

स्थान :

दिनांक :

अनुबंध-IV-बी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 23 देखें)

दूरविपणन सेवाओं के लिए बीमा दलाल द्वारा नियुक्त दूरविपणनकर्ता द्वारा प्रस्तुत किया जानेवाला वचन-पत्र

दूरविपणनकर्ता का नाम :

संपर्क के लिए पता :

ट्राई लाइसेंस संख्या :

लाइसेंस की श्रेणी :

लाइसेंस की वैधता :

हम, मेसर्स.....बीमा उत्पादों के दूरविपणन के प्रयोजन के लिए दूरविपणनकर्ता के रूप में मेसर्स..... द्वारा नियुक्त किये गये हैं। हम निम्नानुसार प्रमाणित करते हैं और वचन देते हैं :

- 1) कि हम ट्राई (टीआरएआई) के पास पंजीकरण संख्या.....के साथ पंजीकृत हैं तथा यह पंजीकरणतक वैध है।
- 2) कि हम इस संबंध में ट्राई द्वारा जारी किये गये विनियमों/परिपत्रों/मार्गदर्शी सिद्धांतों और निदेशों का पालन करेंगे तथा हमारे द्वारा उनका कोई भी उल्लंघन होने की स्थिति में हम इस प्रकार के उल्लंघनों के लिए बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण द्वारा प्रवर्तित की जानेवाली कार्रवाइयों अथवा जारी किये जानेवाले निदेशों द्वारा आबद्ध होंगे।
- 3) कि हमवर्षों के लिए नियुक्त हैं तथा इस आशय का एक करार कार्य की सीमा, शुल्क का भुगतान और अन्य शर्तें निर्दिष्ट करते हुए बीमा दलाल के साथ किया गया है। इस करार की एक प्रतिलिपि प्राधिकरण के पास दाखिल की गई है।
- 4) कि हम समय-समय पर इस संबंध में प्राधिकरण द्वारा जारी किये जानेवाले विनियमों/मार्गदर्शी सिद्धांतों/परिपत्रों/किन्हीं अन्य निदेशों का पालन करेंगे।
- 5) कि हम समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित रूप में अभिलेख/दस्तावेज प्रस्तुत करेंगे।
- 6) कि हमने कोई भी सेवाएँ प्रदान करने के लिए किसी भी अन्य बीमा संबंधी संस्था से कोई करार नहीं किया है।
- 7) कि हमारी संस्था का कोई भी निदेशक/साझेदार/मुख्य प्रबंध कार्मिक/शेयरधारक/कर्मचारी बीमा दलाल अथवा बीमा संबंधी किसी अन्य संस्था का निदेशक/साझेदार/ मुख्य प्रबंध कार्मिक/शेयरधारक/कर्मचारी नहीं है।
- 8) कि हम दलाली कंपनी अथवा बीमा कार्यकलापों से संबद्ध किसी भी अन्य संस्था का संबंधित पक्षकार अथवा उसकी सहयोगी कंपनी नहीं हैं तथा संबंधित पक्षकारों/सहयोगी कंपनियों/समूह कंपनियों का ब्योरा इस दस्तावेज के साथ संलग्न है।
- 9) कि हमने दलाली कंपनी को प्रदान की जानेवाली दूरविपणन सेवाओं को छोड़कर हमारी संस्था द्वारा किये जानेवाले कार्यकलापों के बारे में बीमा दलाल को सूचित किया है तथा हम प्रमाणित करते हैं कि कोई भी कार्यकलाप हितों के संघर्ष से संबद्ध नहीं है।
- 10) कि हम समझते हैं कि प्राधिकरण को दूरविपणनकर्ता के परिसर अथवा किसी भी अन्य परिसर जो अभिलेखों/दस्तावेजों के सत्यापन के लिए प्राधिकरण आवश्यक समझता है, का निरीक्षण करने के लिए पूरे अधिकार हैं तथा किसी भी दस्तावेज/अभिलेख की माँग करने, दूरविपणनकर्ता के किसी भी कर्मचारी के वक्तव्य को अभिलिखित करने अथवा प्राधिकरण के विवेकानुसार दस्तावेजों/प्रलेखों की प्रतियाँ निकालने का अधिकार है।
- 11) कि हम प्राधिकरण अथवा इस प्रकार करने के लिए प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हमारे परिसर में निरीक्षण संचालित करने के संबंध में पूरा सहयोग प्रदान करेंगे और समस्त सहायता उपलब्ध कराएँगे।

(यह आवश्यक है कि इस प्रमाणपत्र पर दूरविपणनकर्ता के दो निदेशकों द्वारा हस्ताक्षर किये जाएँ)

स्थान :

दिनांक :

अनुबंध-V

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 29 देखें)

सांविधिक लेखा-परीक्षकों की नियुक्ति और फर्म का लेखा-परीक्षण

बीमा दलाल का विवरण	
बीमा दलाल का नाम	

कूट संख्या			
संपर्क का पता		टेलीफोन सं.	
		सेल सं.	
		फैक्स	
		ई-मेल	
लाइसेंस की वैधता कब से		लाइसेंस की वैधता कब तक	
श्रेणी			
प्रधान अधिकारी का नाम			
लेखा-परीक्षक का विवरण			
लेखा-परीक्षक फर्म का नाम			
1 अप्रैल _____ से 31 मार्च _____ तक समाप्त लेखांकन अवधि से संबंधित लेखा-परीक्षा के लिए नियुक्ति (यदि परिचालन आंशिक अवधि के लिए है, तो कृपया अवधि का उल्लेख करें)			
लेखा-परीक्षा में साझेदार का नाम (जो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट पर हस्ताक्षर करेगा) ("हस्ताक्षरकर्ता साझेदार")			
क्या पूर्ववर्ती नियुक्ति से लेखा-परीक्षक फर्म या हस्ताक्षरकर्ता साझेदार में कोई परिवर्तन है ?			
यदि हाँ, तो परिवर्तन के लिए कारण बताएँ			

मैं इसके द्वारा घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि पिछले तीन वर्षों के लिए लेखा-परीक्षित रिपोर्टें नीचे दिये गये विवरण के अनुसार प्राधिकरण के पास दाखिल की गई हैं

वर्ष का उल्लेख करें	प्राधिकरण को रिपोर्टें प्रस्तुत करने की तारीखों का उल्लेख करें

मैं इसके द्वारा यह आवेदन प्रस्तुत करता हूँ/करती हूँ और घोषणा करता हूँ/करती हूँ कि इस आवेदन (संलग्न किन्हीं अनुबंधों और परिशिष्टों सहित) में दी गई समस्त सूचना मेरी अधिकतम जानकारी और विश्वास के अनुसार सही और पूर्ण है।

नाम :

पदनाम : प्रधान अधिकारी

दिनांक :

अनुबंध-VI-ए

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013**(विनियम 30 देखें)**

(विनियम 9 और 11 के अंतर्गत अपेक्षित पूँजी और निवल मालियत के अनुरक्षण के संबंध में दलाली कंपनी के लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी किया जानेवाला प्रमाणपत्र) जो छमाही तौर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए

बीमा दलाल का नाम :

लाइसेंस संख्या :

लाइसेंस की श्रेणी :

लाइसेंस की वैधता :

हम, दलाली कंपनी मेसर्स.....जिनका पंजीकृत कार्यालय.....में है, के लेखा-परीक्षकों ने खाता-बहियों का सत्यापन किया है और हम प्रमाणित करते हैं कि उक्त दलाली कंपनी.....की स्थिति के अनुसार रु.की पूँजी का अनुरक्षण करता है। हमने यह भी सत्यापन किया है और पाया है कि उपर्युक्त अवधि के दौरान उक्त कंपनी की निवल मालियत रु. है। हम प्राधिकरण की जानकारी के लिए निवल मालियत की गणना भी इस प्रमाणपत्र के साथ संलग्न करते हैं।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि इसी अवधि के संबंध में उक्त दलाली कंपनी में विदेशी ईक्विटी से बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 में निर्धारित सीमाओं का उल्लंघन नहीं किया गया है।

हम यह भी प्रमाणित करते हैं कि उक्त दलाली कंपनी किसी अन्य व्यवसाय में लिप्त नहीं है और केवल बीमा दलाली के व्यवसाय का ही संचालन कर रही है।

समीक्षाधीन अवधि के दौरान शेयरधारिता में परिवर्तन है/कोई परिवर्तन नहीं है जिसके लिए उक्त कंपनी ने ऐसे परिवर्तन के लिए प्राधिकरण का पूर्व अनुमोदन प्राप्त किया है/ प्राप्त नहीं किया है

लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर

मुहर सहित

दिनांक :

स्थान :

अनुबंध-VI-बी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण**(बीमा दलाल) विनियम, 2013****(विनियम 30 देखें)**

(विनियम 12 के अंतर्गत अपेक्षित जमाराशि के अनुरक्षण के संबंध में दलाली कंपनी के लेखा-परीक्षकों द्वारा दिया जाने वाला प्रमाणपत्र) जो छमाही तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए

बीमा दलाल का नाम :

लाइसेंस संख्या :

लाइसेंस की श्रेणी :

लाइसेंस की वैधता :

अवधि जिससे यह प्रमाणपत्र संबंधित है :

हम, मेसर्स , दलाली कंपनी मेसर्सजिनका पंजीकृत कार्यालयमें है, के लेखा-परीक्षकों ने आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन किया है तथा हम यह प्रमाणित करते हैं और पुष्टि करते हैं कि उक्त दलाली कंपनी रु.की जमाराशि का अनुरक्षण करती है जो बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित न्यूनतम पूँजी काप्रतिशत है। हम नीचे इसका ब्योरा प्रस्तुत करते हैं :

- 1) बैंक का नाम और पता जहाँ जमाराशि का अनुरक्षण किया जाता है;
- 2) जमाराशि की तारीख और परिपक्वता की तारीख;
- 3) पुष्टि करें कि क्या यह सूचित करते हुए उक्त बैंक को नोटिस दी गई है तथा उक्त बैंक से उचित प्राप्ति-सूचना ली गई है, कि :
 - क) उक्त जमाराशि का आईआरडीए के पास ग्रहणाधिकार (लियन) होगा;
 - ख) जब तक प्राधिकरण की पूर्व अनुमति प्राप्त नहीं की जाती, तब तक मीयादी जमाराशि उक्त दलाली कंपनी को अदा नहीं की जाएगी;
 - ग) उक्त बीमा दलाल द्वारा कोई ऋण अथवा ओवरड्राफ्ट सुविधा प्राप्त करने के लिए इस जमाराशि को गिरवी नहीं रखा जाएगा

लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर
मुहर सहित

दिनांक :

स्थान :

अनुबंध-VI-सी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 30 देखें)

(विनियम 13 के अंतर्गत अपेक्षित व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमे के अनुरक्षण के संबंध में दलाली कंपनी के लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र) जो छाह्री तौर पर प्रस्तुत करना चाहिए

बीमा दलाल का नाम :

लाइसेंस संख्या :

लाइसेंस की श्रेणी :

लाइसेंस की वैधता :

हम, मेसर्स , दलाली कंपनी मेसर्सजिनका पंजीकृत कार्यालयमें है, के लेखा-परीक्षकों ने आवश्यक अभिलेखों का सत्यापन किया है तथा हम यह प्रमाणित करते हैं कि उक्त दलाली कंपनी ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 13 के अंतर्गत अपेक्षित रूप में(बीमा कंपनी का नाम) से एक व्यावसायिक क्षतिपूर्ति बीमा पॉलिसी प्राप्त की है। इसका ब्योरा निम्नानुसार है।

- 1) बीमा कंपनी का नाम और पता;
- 2) पॉलिसी संख्या और पॉलिसी के प्रारंभ होने की तारीख;
- 3) पॉलिसी की समाप्ति की तारीख;
- 4) क्षतिपूर्ति की सीमा और वर्ष के दौरान प्राप्त कुल पारिश्रमिक;

- 5) अबीमाकृत आधिक्य;
6) एओए : एओवाई का अनुपात

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उक्त दलाली कंपनी ने उक्त पॉलिसी के अंतर्गत दावे की कोई सूचना प्राप्त की है/प्राप्त नहीं की है तथा इसकी जानकारी लिखित में उक्त बीमा कंपनी, जिसने उक्त व्यावसायिक क्षतिपूर्ति (पीआई) पॉलिसी जारी की है, को दी गई है/नहीं दी गई है।

लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर
मुहर सहित

दिनांक :

स्थान :

अनुबंध-VI-डी

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 30 देखें)

(विनियम 25 के अंतर्गत दलाली कंपनी द्वारा प्राप्त पारिश्रमिक के संबंध में दलाली कंपनी के लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाण-पत्र) जो छमाही तौर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए

बीमा दलाल का नाम :

लाइसेंस संख्या :

लाइसेंस की श्रेणी :

लाइसेंस की वैधता :

अवधि जिससे यह प्रमाणपत्र संबंधित है :

हम, दलाली कंपनी मैसर्सजिनका पंजीकृत कार्यालयमें है, के लेखा-परीक्षकों ने उनकी खाता-बहियों का सत्यापन किया है तथा हम यह प्रमाणित करते हैं कि उक्त दलाली कंपनी ने बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण (बीमा दलाल) विनियम, 2013 के विनियम 25 तथा इस विषय में जारी किये गये परिपत्रों/विनियमों में निर्धारित पारिश्रमिक से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं किया है।

लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर
मुहर सहित

दिनांक :

स्थान :

अनुबंध-VI-ई

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 30 देखें)

(विनियम 27 के अंतर्गत अपेक्षित बीमा धनराशि के वियोजन के संबंध में दलाली कंपनी के लेखा-परीक्षकों द्वारा जारी किया जाने वाला प्रमाणपत्र) जो छमाही तौर पर प्रस्तुत किया जाना चाहिए

बीमा दलाल का नाम :

लाइसेंस संख्या :

लाइसेंस की श्रेणी :

लाइसेंस की वैधता :

अवधि जिससे यह प्रमाणपत्र संबंधित है :

हम, दलाली कंपनी मैसर्सजिनका पंजीकृत कार्यालयमें है, के लेखा-परीक्षकों ने उनके अभिलेखों का सत्यापन किया है तथा हम निम्नलिखित को प्रमाणित करते हैं और उसकी पुष्टि करते हैं।

- 1) कि विनियम के अनुपालन में उक्त दलाली कंपनी नेबैंक के पास "बीमा बैंक खाता" खोल दिया है जिसका ब्योरा संलग्न है।
- 2) कि उक्त दलाली कंपनी ने उक्त बैंक को लिखित सूचना दी है तथा उक्त बैंक से लिखित पुष्टि प्राप्त की है कि उक्त दलाली कंपनी उक्त खाते को किसी भी अन्य खाते के साथ सम्मिलित करने अथवा उस खाते में स्थित धनराशि पर किसी समंजन, प्रभार या लियन के अधिकार का प्रयोग करने के लिए पात्र नहीं है।
- 3) कि उक्त बीमा बैंक खाता/खाते किसी भी अन्य खाते के साथ सम्मिलित नहीं किया गया है/किये गये हैं। उपर्युक्त खाते/खातों का उपयोग केवल उक्त विनियमों में बताये गये उद्देश्यों के लिए ही किया जाता है और सामान्य उद्देश्यों के लिए नहीं किया जाता।
- 4) कि उक्त दलाली कंपनी ने केवल उक्त बीमा बैंक खाते/खातों से अर्जित प्रभार, शुल्क अथवा कमीशन को ही निकाला है तथा अपने अन्य खातों में अंतरित किया है।
- 5) कि पुनर्बीमा संविदाओं के भाग के रूप में प्रत्यक्ष बीमाकर्ताओं/पुनर्बीमाकर्ताओं से प्राप्त धनराशियाँ उक्त बीमा बैंक खाते/खातों में रखी गई हैं तथा उपर्युक्त (4) में यथानिर्धारित अंतरणों को छोड़कर किसी भी अन्य खाते में इनका विपथन अथवा अंतरण नहीं किया गया है।
- 6) कि 'बीमा बैंक खाते' में धारित धनराशियाँ मीयादी जमाराशियों में धारित नहीं हैं अथवा किसी भी अन्य लिखत में इनका निवेश नहीं किया गया है।

लेखा-परीक्षक का नाम और हस्ताक्षर
मुहर सहित

दिनांक :

स्थान :

अनुबंध-VII

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 10 देखें)

स्वामित्व के अंतरण के लिए आवेदन पर विचार करने के लिए प्रस्तुत किये जाने हेतु अपेक्षित दस्तावेजों की सूची, जब अंतरण कुल चुकता पूँजी के 5 प्रतिशत से अधिक हो {जैसा कि दलालों के विनियम 10(1) में निर्दिष्ट किया गया है}

यदि प्रस्तावित खरीदार एक कारपोरेट संस्था हो :

1. शेयरधारिता में प्रस्तावित परिवर्तन का अनुमोदन करने वाले निदेशक बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि।
2. संलग्न फार्मेट के अनुसार तथा सीए/सीएस द्वारा विधिवत् प्रमाणित, प्रस्तावित शेयरधारिता के स्वरूप की एक प्रतिलिपि।
3. शेयरों का अधिग्रहण करने के लिए अंतरिती के बोर्ड संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि।

4. शेयरों के अंतरण के लिए मौद्रिक प्रतिफल का विवरण।
5. अंतरिती की शेयरधारिता के स्वरूप की एक प्रमाणित प्रतिलिपि।
6. एक पुष्टीकरण, यदि प्रस्तावित शेयरधारकों में से कोई भी एक विदेशी संस्थागत निवेशक (एफआईआई), अनिवासी भारतीय (एनआरआई), भारतीय मूल का व्यक्ति (पीआईओ) अथवा विदेशी राष्ट्रिक हो।
7. एक पुष्टीकरण, यदि दलाली कंपनी का कोई भी वर्तमान निदेशक पहले से ही अंतरिती के साथ संबद्ध हो।
8. पिछले तीन वर्षों के लिए अंतरिती के लेखा-परीक्षित खाते, आयकर (आईटी) विवरणियों की प्रमाणित प्रतियों के साथ।
9. लेखा-परीक्षकों से प्राप्त इस आशय का प्रमाणपत्र कि अंतरिती एक गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) नहीं है, यदि लागू हो। इन शेयरों के अधिग्रहण के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई) से प्राप्त अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी), यदि अंतरिती एक गैर- बैंकिंग वित्तीय कंपनी (एनबीएफसी) हो।
10. अंतरिती की सहयोगी कंपनियों/संस्थाओं की विस्तृत सूची और उनके कार्यकलापों का विस्तृत विवरण।
11. बीमा दलाल की शेयर पूँजी की पुनर्संरचना के लिए तर्काधार (रेशनेल)।
12. अंतरिती से प्राप्त एक वचनपत्र कि आवेदक कंपनी का कोई भी निदेशक और मुख्य प्रबंध कार्मिक किसी/किन्हीं अन्य बीमा संबंधी संस्था(ओं) में कोई भी निदेशन/रोजगार धारण नहीं कर रहा है।
13. आपकी कंपनी में किसी अन्य प्रस्तावित परिवर्तन का विवरण।
14. कोई भी अन्य दस्तावेज, यदि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो।

यदि खरीदार एक व्यक्ति हो :

1. संलग्न फार्मेट के अनुसार और सीए/सीएस द्वारा विधिवत् प्रमाणित, प्रस्तावित शेयरधारिता के स्वरूप की एक प्रतिलिपि।
2. अंतरिती की निवल मालियत (नेट वर्थ) का प्रमाण-पत्र और पिछले तीन वित्तीय वर्षों के लिए आयकर विवरणियाँ।
3. शेयरों के अंतरण के लिए मौद्रिक प्रतिफल का विवरण।
4. शेयरधारिता में प्रस्तावित परिवर्तन का अनुमोदन करने वाले निदेशक बोर्ड के संकल्प की एक प्रमाणित प्रतिलिपि।
5. अंतरिती/अंतरितियों द्वारा कंपनी में निवेश की जाने वाली निधियों के स्रोत के लिए विधिवत् नोटरीकृत शपथपत्र (एफिडविट)।
6. कोई भी अन्य दस्तावेज, यदि प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित हो।

शेयरधारिता के स्वरूप का फार्मेट

क्रम संख्या	शेयरधारक का नाम	शेयरों के अंतरण से पहले		शेयरों के अंतरण के बाद		टिप्पणी
		(1)		(2)		
		धारित शेयरों की संख्या	चुक्ता शेयर पूँजी का प्रतिशत	धारित शेयरों की संख्या	धारित चुक्ता शेयर पूँजी का प्रतिशत	

टिप्पणी :

1. यदि वर्तमान शेयरधारिता का स्वरूप पंजीकरण/पिछले नवीकरण (जो भी बाद में हो) के समय विद्यमान शेयरधारिता के समान नहीं है, तो इसका विवरण भी दिया जाना चाहिए।
2. उन शेयरधारकों के नाम जो 5 प्रतिशत से अधिक धारित नहीं करते/जिन्होंने 5 प्रतिशत से अधिक कभी धारित नहीं किया है, 'अन्य' में दर्शाये जाने चाहिए, जब तक वे प्रवर्तक शेयरधारकों के साथ संबद्ध अथवा उनका भाग न हों।

अनुबंध-VIII

बीमा विनियामक और विकास प्राधिकरण

(बीमा दलाल) विनियम, 2013

(विनियम 46 देखें)

दलाली कंपनी द्वारा लाइसेंस के स्वैच्छिक अभ्यर्पण के लिए अपेक्षित दस्तावेजों की सूची

- क) कंपनी यह सुनिश्चित करेगी कि आवेदन करने की तारीख की स्थिति के अनुसार सभी पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के लिए वार्षिक शुल्क का भुगतान कर दिया गया है।
- ख) लाइसेंस के अभ्यर्पण के लिए कारण दर्ज करनेवाले निदेशक बोर्ड के संकल्प की प्रमाणित प्रतिलिपि।
- ग) प्रधान अधिकारी से इस बात का पुष्टीकरण कि लाइसेंस के अभ्यर्पण के लिए अनुरोध करने की तारीख से कोई भी नया व्यवसाय स्थापित नहीं किया जाएगा।
- घ) वैध लाइसेंस का मूल प्रमाणपत्र।
- ङ) कंपनी के निदेशकों का एक वचनपत्र कि जिन वर्तमान ग्राहकों की पॉलिसियाँ प्रचलित हैं, उन्हें छह महीने की अवधि के लिए सेवाएँ प्रदान की जाएँगी तथा इस अवधि के अंदर विनियम 48 के अंतर्गत की गई अपेक्षानुसार किसी अन्य लाइसेंस-प्राप्त दलाल द्वारा संविदाओं के संबंध में आवश्यक सेवाएँ प्रदान करने के लिए आपके द्वारा उपयुक्त व्यवस्था की जाएगी।
- च) संस्था के बहिर्नियमों (एमओए)/संस्था के अंतर्नियमों (एओए) के मुख्य उद्देश्यों को हटाने के लिए अधिसूचित करना तथा कंपनियों के रजिस्ट्रार को सूचित करना और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत उनकी अपेक्षाओं का पालन करना अथवा कंपनियों के रजिस्ट्रार के पास कंपनी को पंजी से निकालने के लिए की गई कार्रवाई का प्रमाण प्रस्तुत करना।
- छ) संलग्न फार्मेट के अनुसार पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों के लिए दावों एवं व्यवसाय प्रीमियम संबंधी सांख्यिकी प्रस्तुत करना।
- ज) ऐसी प्रत्येक घटना का ब्योरा जो कंपनी की जानकारी में आई हो जहाँ आपकी कंपनी ग्राहकों को हर्जाना अथवा क्षतिपूर्ति अदा करने के लिए बाध्य हो सकती हो, चाहे वह व्यावसायिक क्षतिपूर्ति पॉलिसी द्वारा रक्षित हो या न हो, निम्नलिखित सूचना देते हुए प्रस्तुत करना :
 - i) घटना के होने की तारीख।
 - ii) संबंधित ग्राहक का नाम।
 - iii) दावा उत्पन्न करने की संभावना वाली घटना का स्वरूप।
 - iv) दावे के आधार का संक्षिप्त विवरण।
 - v) दावे की सूचित अथवा अनुमानित राशि।
 - vi) दावे के लिए अपनी बहियों में बीमा दलाल द्वारा प्रावधान की गई राशि।
 - vii) दावे की वर्तमान स्थिति।
- झ) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित कोई अन्य जानकारी।

प्रीमियम संबंधी सांख्यिकी

व्यवसाय का सामान्य वर्गीकरण

माह							विविध (मिसिलेनियस)		
	फायर	मरीन कार्गो	मरीन हल	मोटर	इंजीनि- यरिंग	पीए	स्वास्थ्य	अन्य	कुल
अप्रैल									
मई									
जून									
जुलाई									
अगस्त									
सितंबर									
अक्तूबर									
नवंबर									
दिसंबर									
जनवरी									
फरवरी									
मार्च									
कुल									

व्यवसाय का जीवन संबंधी वर्गीकरण

माह	असंबद्ध	संबद्ध	वार्षिकी	समूह	स्वास्थ्य	कुल
अप्रैल						
मई						
जून						
जुलाई						
अगस्त						
सितंबर						
अक्तूबर						
नवंबर						
दिसंबर						
जनवरी						
फरवरी						
मार्च						
कुल						

दावों से संबंधित सांख्यिकी

दावों की संख्या				
वर्ष	सूचित किये गये	निपटाये गये	अस्वीकृत किये गये	बकाया

टी. एस. विजयन, अध्यक्ष

[विज्ञापन.III/4/161/13/असाधारण]

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
NOTIFICATION**

Hyderabad, the 3rd December, 2013

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY (INSURANCE BROKERS)
REGULATIONS, 2013**

F. No. IRDA/Reg/25/83/2013.—In exercise of the powers conferred by sections 42D, 42E and 114A of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) read with sections 14 and 26 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999), the Authority in consultation with the Insurance Advisory Committee, hereby makes the following regulations, namely:—

- 1. Short title and commencement.**—(1) These regulations may be called the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2013.
(2) These regulations shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette and supersede Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2002 with effect from such date.
- 2. Definitions** — (1) Unless the context otherwise requires,—
 - a. "Act" means the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) as amended from time to time;
 - b. "Advisory Committee" means the Advisory Committee constituted under section 25 of the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
 - c. "Applicant" means an applicant for registration as insurance broker as referred to in these regulations;
 - d. "Authority" means the Insurance Regulatory and Development Authority established under sub-section (1) of section 3 of Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999);
 - e. "Composite broker" means an insurance broker who for the time-being licensed by the Authority to act as such, for a remuneration, arranges insurance for its clients with insurance companies and/or reinsurance for its client/s;
 - f. "Direct Broker" means an insurance broker who for the time-being licensed by the Authority to act as such, for a remuneration carries out the functions as specified under regulation 4 either in the field of life insurance or general insurance or both on behalf of its clients;
 - g. 'Distance Marketing' for the purpose of these regulations refers to the process of solicitation or sale of insurance products or services where the consumer is physically not present at the point of solicitation or sale or the conclusion of the sale, and the process is accomplished through telephone and/or Short Messaging Services (SMS) and/or email and/or Internet and/or web services;
 - h. "Enquiry officer" means an officer of the Authority, or any other person having experience in insurance business, who is appointed by the Authority under regulation 44, to hold an enquiry against an insurance broker;
 - i. "Form" means the forms specified under these regulations;
 - j. "Inspecting authority" means one or more of its officers appointed by the Authority to discharge the functions stated in regulation 39;

- k. "Insurance broker" means a person for the time-being licensed by the Authority under regulation 15, who for remuneration arranges insurance contracts with insurance companies and/ or reinsurance companies on behalf of its clients.

Explanation: The term "insurance broker" wherever it appears in these regulations shall mean a direct broker, a reinsurance broker or a composite broker, as the case may be, unless expressly stated to the contrary;

- l. "Person" means—
- a) A company formed under the Companies Act, 2013 (18 of 2013) as amended from time to time; or
 - b) A co-operative society registered under the Co-operative Societies Act, 1912 or under any law for the registration of co-operative societies; or
 - c) A limited liability partnership formed under the Limited Liability Partnership Act, 2008(6 of 2009) with no partner being a non-resident entity/person resident outside India as defined in clause(w) of section 2 of the Foreign Exchange Management Act, 1999(42 of 1999) FEMA, and not being a foreign limited liability partnership registered thereunder; or
 - d) Any other person as may be recognized by the Authority to act as an insurance broker;
- m. "**Principal Officer**" means.—(i) a director, who is responsible for the activities of the insurance broker in the case of a body corporate; or
- (ii) the chief executive officer appointed exclusively to carry out the functions of an insurance broker;
- n. "Regulations" means Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2013;
- o. "Reinsurance broker" means an insurance broker who, for remuneration, arranges reinsurance for direct insurers with insurance and reinsurance companies.
- p. "Solicitation" – for the purpose of these regulations is defined as the approach of a client by an insurer or an intermediary with a view to convince the client to purchase an insurance policy;
- q. "Tele caller" – for the purpose of these regulations is a person engaged by a Telemarketer for the purpose of interacting with clients through distance mode.
- r. "Telemarketer" for the purpose of these regulations is an entity registered with Telecom Regulatory Authority of India under Chapter III of The Telecom Commercial Communications Customer Preference Regulations, 2010 (as amended from time to time).

(2) Words and expressions used and not defined in these regulations but defined in the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), or the Life Insurance Corporation Act, 1956 (31 of 1956) or the General Insurance Business (Nationalization) Act, 1972 (57 of 1972), or Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) shall have the meanings respectively assigned to them in those Acts or the rules and regulations made thereunder, as the case may be.

3. **Categories of the Insurance brokers.**—Application for insurance broker's licence shall be made for any one or more of the following categories, namely:

- (i) direct broker(life)
- (ii) direct broker(general)
- (iii) direct broker(life & general)
- (iv) reinsurance broker
- (v) composite broker

4. **Functions of an Insurance Broker:**

The functions of Direct Broker, Reinsurance Broker and Composite Broker are outlined in Schedule I of these regulations.

5. **Submission of Application for grant of licence —**

- (i) An application for grant of a licence as an insurance broker shall be made in application form as specified under Schedule IX-Form A of these regulations to the Authority.
- (ii) The application for grant of licence shall be made as per Regulation 3 above.
- (iii) Application for grant of licence should be submitted along with the requisite documents as specified in Annexure I of these regulations.

- (iv) Application for grant of licence should be submitted along with the requisite fees as specified in Schedule IV of these regulations.

6. **Application to conform to the requirements.**—(1) An application, not complete in all respects and not conforming to the instructions specified in Form A and these regulations and not complying with the requirements and/or directions of the Authority so mandated by it, shall be rejected.

Provided that: before rejecting any such application, the applicant shall be given a reasonable opportunity to complete the application in all respects and rectify the errors, if any.

(2) Any applicant, if aggrieved by the decision of the Authority, may apply within a period of thirty days from the date of receipt of such intimation, to the Chairman of the Authority for a reconsideration of its decision.

(3) The Chairman of the Authority shall consider such an application and communicate his decision thereon to the applicant in writing within forty five days of the receipt thereof.

(4) In case the Chairman of the Authority, after reconsideration of the application (made under sub-regulation (2) above, rejects the application, the applicant may make a fresh application for grant of licence only after one year from the date of such rejection. The Authority may consider such a fresh application on merit.

7. **Furnishing of information, clarification and personal representation.**—(1) The Authority may require an applicant to furnish any further information *and/or* clarification *and/or may direct the applicant to comply with certain requirement/s* for the purpose of disposal of the application, and, thereafter, in regard to any other matter as may be deemed necessary by the Authority.

(2) The Authority shall give the applicant an opportunity to submit the requirements/clarifications/additional information etc sought by the Authority within 30 days from the date of receipt of the communication from the Authority to enable the Authority to process the application.

(3) The applicant along with their principal officer shall, if so required, appear before the Authority for a personal representation in connection with an application.

(4) The Authority may direct an applicant to submit any information/data/clarification as may be required for the processing/disposal of the application so made to it.

(5) The applicant shall bring to the notice of the Authority, on its own forthwith, such further information/*or* clarification, which might have a bearing on consideration of their application in terms of Regulation 8.

8. **Consideration of application.**— (1)The Authority while considering an application for grant of a licence shall take into account, all matters relevant to the carrying out of the functions by the insurance broker.

2. Without prejudice to the provisions of (1) above, the Authority in particular, shall take into account the following, namely :—

- i. Whether the applicant is suffering from any of the disqualifications specified under sub-section (5) of section 42 D of the Act;
- ii. Whether the applicant has the necessary infrastructure, such as, adequate office space, equipment and trained manpower to effectively discharge its activities;
- iii. Whether the applicant has in their employment a minimum of two persons who have the necessary qualifications specified in Schedule II and experience to conduct the business of insurance broker *and in case applicant has certain branch offices, one person per branch office having the necessary qualifications specified in Schedule II of these regulations and experience to conduct the business of insurance broker.*

Note: In case the insurance broker intends to carry on life and general insurance business, then at least one person each shall have relevant experience in life and general and necessary qualifications specified in Schedule II of these regulations should be present in the company. In case of exit of a qualified person from any of the branches, the charge can be given to another qualified person on ad-hoc basis and the insurance broker shall take necessary steps to appoint a suitably qualified person at the earliest possible time. However, such arrangements need to be informed to the Authority. If an insurance broker fails to comply with this condition in any of the branch offices under their control, they shall not carry any business in that branch till such a person with necessary qualifications as specified in Schedule II of these regulations is appointed.

- iv. Whether any person, directly or indirectly connected with the applicant, has, in the past, been refused grant of a licence by the Authority.

Explanation:—For the purposes of this sub-clause, the expression "directly or indirectly connected" means a relative in the case of an individual, and in the case of a firm or a company or a body corporate, an associate, a subsidiary, an interconnected undertaking or a group company of the applicant. It is hereby clarified that these terms shall have the same meanings as ascribed to them in the Companies Act, 2013 (18 of 2013) as amended from time to time or The Competition Act, 2002, as the case may be.

- v. Whether the applicant fulfills the capital requirements as specified in regulation 9; Net Worth criteria as specified in regulation 11 and deposit requirements as specified in regulation 12.
- vi. Whether the principal officer of the applicant possesses the required qualification as specified in Schedule II of these regulations. (The information required under Annexure II-A of these regulations shall be submitted by Director(s)/ Shareholder(s)/Promoter(s)/ Partner(s)/ Key Management Personnel, in addition to Principal Officer of the applicant)
- vii. Whether in the opinion of the Authority the Principal Officer of the applicant is suitable to be so appointed keeping in view his experience, preferably in the insurance sector.
- viii. Whether the Principal Officer/Director(s)/Promoter(s)/Shareholder(s)/Partner(s)/Key Management Personnel are Fit and Proper based on the statement in Annexure II-B of these regulations.
- ix. Whether the Principal Officer/Director(s)/Promoter(s)/Shareholder(s)/Partner(s) complies with the Fit and Proper guidelines as specified by the Authority.
- x. Whether the principal officer and/or any other official of the insurance broker has violated the code of conduct as specified in Schedules VI-A and VI-B, as applicable, of these regulations;
- xi. that the applicant is not engaged in any other business other than the main objects clause of the applicant;
- xii. the Authority is of the opinion that the grant of licence will be in the interest of policyholders;
- xiii. Whether the promoters/shareholders/partners of the applicant are of sound financial position to make investment in the applicant entity.
- xiv. Any employee responsible for soliciting and procuring insurance business on behalf of an insurance broker shall also have to fulfill the requirements mentioned in Schedule-II of these regulations and a list of such employees shall be provided to the Authority.

9. Requirements of Capital

- 1) Any applicant seeking to become an insurance broker under these regulations shall have a minimum paid up capital/contribution as mentioned below:

Category	Minimum Capital/Contribution (Rupees)
Direct broker	fifty lakhs
Reinsurance broker	two hundred lakhs
Composite broker	two hundred and fifty lakhs.

- 2) the capital in the case of a company limited by shares and a cooperative society shall be in the form of equity shares ;
- 3) the contribution of partners in the case of LLP shall only be in cash;
- 4) the applicant shall exclusively carry on the business of an insurance broker as licensed under these regulations.
- 5) The aggregate holdings by a foreign company, either by itself or through its subsidiary companies or its nominees, shall not exceed twenty-six per cent of paid-up equity capital of such applicant at any time. For the purposes of these regulations, the calculations of foreign direct investment shall be made in the same manner as specified for an insurer in Insurance Regulatory and Development Authority (Registration of Indian Insurance Companies) Regulations, 2000, as amended from time to time.
- 6) The shares of an insurance broker held as capital shall not be pledged in any form or manner to secure credit or any other facility and shall at all times be unencumbered.

10. Transfer of ownership:

- 1) The insurance broker shall not register any transfer of shares or contribution, as the case may be, without the prior written approval of the Authority where after the transfer, the total paid up equity holding or contribution of the transferee is likely to exceed five per cent of their paid up capital or contribution.
- 2) Similarly, where the nominal of the value of shares intended to be transferred by any individual, firm, group, constituents of a group or a body corporate under the same management jointly or severally exceeds five per cent of the paid-up capital or the contribution, prior written approval of the Authority shall be obtained.
- 3) The beneficial ownership and control of the shares or contribution shall totally and completely rest with the entity / individual approved by the Authority.
- 4) The documents required for seeking approval of the Authority for transfer of shareholding are indicated at Annexure – VII of these regulations.

11. Maintenance of minimum amount of net worth:

- 1) The net worth of an insurance broker shall at no time during the licence period fall below 100% of the minimum capital or contribution prescribed under regulation 9.
- 2) In case of non-compliance of sub-regulation(1) above, the insurance broker shall inform the Authority on the steps taken by it to restore the networth to 100% of the minimum capital or contribution prescribed under regulation 9

Note:

The insurance broker is required to submit to the Authority a networth certificate duly certified by a Chartered Accountant every half year in the prescribed form.

12. Deposit requirements:

(1) Every insurance broker shall before the commencement of their business, deposit and keep deposited with any scheduled bank a sum equivalent to 20% of the minimum capital/contribution (as defined in regulation 9 (1) above) in fixed deposit, which shall not be released to them without the prior written permission of the Authority:

Provided that the Authority may impose a separate limit of deposit, in any case not exceeding Rupees one hundred lakhs, for a person covered by regulation 2(1)(l)(d).

- (2) The deposit shall have a lien with the Authority.
- (3) Such deposit shall not be pledged for taking any loan or overdraft facility by the insurance broker;
- (4) Every insurance broker shall furnish to the Authority as and when called upon to do so a non-encumbrance statement from scheduled bank in which such fixed deposit is kept.

13. Requirement of Professional indemnity insurance:

(1) Every insurance broker shall take out and maintain at all times a professional indemnity insurance cover throughout the validity of the period of the licence granted to them by the Authority, as specified in Schedule III of these regulations.

Provided that the Authority shall in appropriate cases allow a newly licensed insurance broker to produce such a guarantee within twelve months from the date of issue of licence.

14. Payment of fees and the consequences of failure to pay fees.—(1) Every applicant eligible for the grant of a licence and renewal of licence shall pay such fees in such a manner and within such a period as specified in Schedule IV of these regulations.

(2) Where an insurance broker fails to pay the annual fees payable under sub-regulation (1), the Authority may suspend the licence, whereupon the insurance broker shall cease to carry on business for the period during which the suspension subsists.

15. Procedure for licensing.—(1) The Authority on being satisfied that the applicant fulfills all the conditions specified for the grant of licence, shall grant a licence as prescribed in Schedule IX-Form B of these regulations and send an intimation thereof to the applicant mentioning the category for which the Authority has granted the licence. The licence shall be issued subject to the insurance broker adhering to the conditions and the code of conduct as specified by the Authority from time to time.

- (2) An insurance broker licensed under these regulations for a specified category may also apply for the grant of a licence by the Authority for any other category by fulfilling the requirements of these regulations. However, such application shall be made only after a completion of one year from the grant of a licence in the first instance.
- (3) In case a licence issued under regulation 5 of these regulations or issued under any other regulations which were in force prior to the notification of these regulations, is cancelled/surrendered or renewal is rejected by the Authority

for the reasons specified therein, the applicant may make a fresh application for grant of licence only after lapse of one year from the effective date of such cancellation/surrender or rejection of renewal of licence, for consideration of the Authority. The Authority may consider such application on merit.

16. Validity of licence.—(1) A licence once issued shall be valid for a period of three years from the date of issue, unless the same is suspended or cancelled under these regulations.

(2) No insurance broker shall be permitted to do business without a valid and current licence.

17. Rejection of Application.—(1) Where an application for grant of a licence under regulation 5 does not satisfy the conditions set out in regulation 8, the Authority may refuse to grant the licence:

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard.

(2) The refusal to grant a licence shall be communicated by the Authority within thirty days of such refusal to the applicant stating therein the grounds on which the application has been rejected.

(3) Any applicant, aggrieved by the decision of the Authority, may apply within a period of thirty days from the date of receipt of such intimation, to the Chairman of the Authority for reconsideration of its decision.

(4) The Chairman of the Authority shall consider such an application and communicate his decision thereon to the applicant in writing within forty five days of the receipt thereof.

(5) In case the Chairman of the Authority, after reconsideration of the application made under sub-regulation (3) above, rejects the application, the applicant can make a fresh application for grant of licence only after one year from the date of final rejection. The Authority may consider such application on merit.

18. Renewal of licence.—(1) The application for renewal of licence shall be submitted to the Authority by the insurance broker in Schedule IX-Form A of these regulations at least thirty days before the expiry of the licence:

Provided that if the application reaches the Authority later than the period mentioned in sub-regulation (1) above but before the actual expiry of the current licence, an additional fee of rupees one hundred only shall be payable by the applicant to the Authority:

Provided further that in case the applicant submits in writing the reasons for the delay not covered by the previous proviso, and if the Authority is satisfied with those reasons, it may accept an application for renewal after the date of the expiry of the licence upto a period of 60 days of the expiry of licence, on payment of an additional fee of seven hundred and fifty rupees only by the applicant:

Provided further that the application for renewal received after 60 days of the expiry of the licence will be considered only after a lapse of 12 months from the date of submission of the late application. However, during the interregnum, the licence of the insurance broker shall cease to exist and they shall not solicit any new business, except servicing the existing policies till the expiry of the contract.

Note: An insurance broker is permitted to submit the application for renewal ninety days prior to the expiry of the licence.

(2) No insurance broker shall be allowed to do any fresh insurance business after expiry of the licence, except servicing the existing policyholders.

(3) The Principal Officer and employees responsible for soliciting insurance business of an insurance broker before seeking a renewal of licence shall have completed at least twenty-five hours of theoretical and practical training, imparted by an institution recognized by the Authority.

(4) The application for renewal, under sub-regulation (1) shall be dealt with in the same manner as specified under regulation 8.

(5) The Authority may seek further information/clarification/data on the application submitted the insurance broker while processing the application.

(6) The insurance broker shall submit such information as required under sub-regulation (5) above within 21 days of receipt of the communication from the Authority:

Provided if the applicant seeks additional time, for the reasons specified, for submission of information sought

by the Authority under sub-regulation(5) above, the request shall be considered by the Authority on merit.

- (7) The licence of the insurance broker, on failing to comply with sub-regulation (6) above may be suspended till such time the information required under sub-regulation (5) above is received by the Authority.
- (8) The Authority, on being satisfied that the applicant fulfills all the conditions specified for renewal of the licence, shall renew the licence in Form C for a period of three years and send intimation to that effect to the applicant.
- (9) In case a composite broker is found to have violated the provisions of the regulations in the direct category or reinsurance category of the licence, the Authority may consider renewing the licence only for the category where no major violation is observed.
- (10) In case a Direct Broker licensed in both life and general categories is found to have violated regulations in the life or general category of the business, the Authority may consider renewing the licence only for the category where no major violation is observed.
- (11) In case a Direct Broker licensed in both life and general categories is not doing any business in life or general category, the Authority may consider renewing the license only for the category where the broker has booked business.

Note: Documents to be attached with renewal application by insurance brokers as per Annexures III-A, III-B and III-C.

19. Procedure where a renewal of licence is not granted.—(1) Where an application for renewal thereof under regulation 18, does not satisfy the conditions set out in regulation 8, the Authority may refuse to grant the licence:

Provided that no application shall be rejected unless the applicant has been given a reasonable opportunity of being heard.

- 2) The refusal to grant a licence shall be communicated by the Authority within thirty days of such refusal to the applicant stating therein the grounds on which the application has been rejected.
- 3) Any applicant, aggrieved by the decision of the Authority, may apply within a period of thirty days from the date of receipt of such intimation, to the Chairman of the Authority for a reconsideration of its decision.
- 4) The Chairman of the Authority shall consider such request and communicate his decision thereon to the applicant in writing within forty five days of the receipt thereof.

20. Effect of refusal to grant licence.—Any applicant, whose application for renewal thereof under regulation 18 has been refused by the Authority, shall, on and from the date of the receipt of the communication under regulation 19

(2) cease to act as an insurance broker. He, however, shall continue to be liable to provide services in respect of contracts already entered into through them. Such a service shall continue only upto the period of expiry of those current contracts, details of which shall be disclosed to the Authority on receipt of the communication under regulation 19.

21. Issue of a duplicate licence.—(1) In the event of a licence being lost or destroyed or mutilated, an insurance broker shall submit to the Authority an application alongwith a fee of rupees one thousand requesting for the issue of a duplicate licence and with a declaration giving full details regarding the issue of the licence and its loss or destruction or mutilation.

(2) The Authority, after satisfying itself that the original licence has been lost, destroyed or mutilated, shall issue a duplicate licence in Form R with an endorsement thereon that it is a duplicate one.

22. Sale of Insurance Online.—(1) Insurance brokers may enter into an agreement with insurers for sale of insurance products online by linking to the web portals of the insurers

(2) For the purposes of sub-regulation (1) above, the insurance broker shall have to follow the procedures as laid down in Schedule VIII of these regulations.

23. Sale of Insurance by tele-marketing mode.—(1) An insurance broker who intends to engage the services of a telemarketer for the purpose of distribution of insurance products of various insurance companies shall have to abide by the Guidelines on Distance Marketing of Insurance Products issued vide circular No.IRDA/ADMN/GDL/MISC/059/04/2011 dated 05/04/2011 and/or any other regulations/guidelines/circulars issued by the Authority from time to time in the matter.

(2) Without prejudice to sub-regulation (1) above, an insurance broker shall have to comply with the following additional conditions for engaging the services of a telemarketer:

- i) The tele-marketer engaged by the insurance broker shall comply with various circulars/guidelines or any other direction issued by Telecom Regulatory Authority of India in the matter;

- ii) The tele-marketer engaged by the insurance broker shall not engage with any other insurer or insurance related entity;
- iii) In case the insurance broker registers as telemarketer with TRAI, the insurance broker shall be doing telemarketing for the purpose of their insurance broking entity only and shall not act as telemarketer for any other entity;
- iv) Authorized Verifiers employed by telemarketer/insurance broker shall have to undergo statutory training and pass the examination as required for an insurance broker specified in Schedule II of these regulations.
- v) An insurance broker engaging a telemarketer shall enter into an agreement with the telemarketer, a copy of which shall be filed with the Authority along with the undertakings in the prescribed format as per Annexure-IV-A and Annexure-IV-B of these regulations. Copies of such undertakings shall be in the possession of the insurance broker for inspection by the Authority and also other regulatory bodies;
- vi) The Authority shall have the power to inspect the premises of the telemarketer or any other premises, which the Authority feels necessary for the verification of records/documents and seek any document/record, record statements of any employee of the telemarketer or make copies of any documents/records at its discretion;
- vii) The tele-marketer shall have to comply with any other terms and conditions as may be prescribed by the Authority from time to time in the matter.

24. Action against a person acting as an insurance broker without a valid licence:

- (1) Notwithstanding and without prejudice to initiation of any criminal proceedings against any person, who acts as an insurance broker without holding a valid licence issued under these regulations, the Authority may invoke against such a person penal action under the Act.
- (2) Where the person falling under sub-regulation (1), is a company or firm or body corporate, without prejudice to any other proceedings which may be initiated by the Authority against such company or firm or body corporate; every director, manager, secretary or other officer of the company or body corporate, and every partner of the firm, who is knowingly a party to such a contravention shall also be liable to be proceeded against.

25. Remuneration:

- 1) For life and general insurance- No insurance broker shall be paid or contract to be paid by way of remuneration (including royalty or licence fees or administration charges or in any other form), an amount exceeding the limits as specified/notified by the Authority in the circulars/regulations issued in this behalf and as amended from time to time.

Explanation: No brokerage can be paid in respect of an insurance where agency commission is payable and likewise, no agency commission can be paid in respect of an insurance where brokerage is payable.

- 2) For reinsurance business—

(i) as per market practices prevalent from time to time.

(ii) The brokerage charged for a particular case, may be disclosed on request to the insurer before binding cover.

Note: For the purpose of sub-clause (ii) above, payments of all nature in respect of the particular account, such as risk inspection fees or risk management fees or administration charges, etc., shall be aggregated.

- 3) The settlement of accounts by insurers in respect of remuneration of insurance brokers shall be done on a monthly basis and it must be ensured that there is no cross settlement of outstanding balances.

26. Ceiling on business from single client.—(1) The business of the insurance broker shall be carried in such a manner that, not more than 50 percent of the premium (quantum, receipts, etc. as the case may be) shall emanate from any one client in a financial year.

Note: For the purposes of this regulation, the term “client” shall include, in the case of a firm or a company, an associate or a subsidiary or a group concern under the same management. The definition of “group” shall have the same meaning as defined in IRDA (Investment)(5th Amendment) Regulations, 2013.

- 2) For insurance brokers promoted by Corporate Houses having an insurance company within their group, not more than 25 per cent of the insurances handled by the insurance broker in any financial year shall be placed with the insurance company within the promoter group separately for life and for general insurance business. The insurance brokers falling under this category shall have to abide by the circular no.063/IRDA/Memo/07-08 dated 18.3.2008 issued by the Authority or any other circular/guidelines issued from time to time in the matter.
- 3) The percentage of premium as specified in sub-regulation(1) will not include reinsurance premium as well as premium towards insurance business emanating from a Government body or Public sector undertaking.

- 4) The decision of the Authority as to whether a company, a business or an organisation is under the same management shall be final.
- 5) An insurance broker shall furnish a certificate duly certified by a Chartered Accountant confirming compliance with this regulation every year along with the audited accounts.

27. Segregation of insurance money.—(1) The provisions of section 64VB of the Act shall continue to determine the question of assumption of risk by an insurer.

(2) In the case of reinsurance contracts, it may be agreed between the parties specifically or as part of international market practices that the licensed reinsurance broker or composite broker can collect the premium and remit to the reinsurer and/or collect the claims due from the reinsurer to be passed on to the insured. In these circumstances the money collected by the licensed insurance broker shall be dealt with in the manner specified in Schedule V of these regulations.

28. Code of conduct for Insurance brokers.—Every insurance broker shall abide by the Code of Conduct as specified in Schedule VI-A of these regulations. In case of a Composite Broker or a reinsurance broker, he shall abide by the additional Code of Conduct specified in Schedule VI-B of these regulations.

29. Maintenance of books of account, records, etc.—(1) Every insurance broker shall prepare for every financial year:

- (i) a balance sheet or a statement of affairs as at the end of each accounting period;
- (ii) a profit and loss account for that period;
- (iii) a statement of cash/fund flow;
- (iv) Additional statements on insurance broking business as may be required by the Authority.

Note: For purposes of this regulation, the financial year shall be a period of 12 months (or less where a business is started after 1st April) commencing on the first day of the April of an year and ending on the 31st day of March of the year following, and the accounts shall be maintained on accrual basis.

(2) Every insurance broker shall submit to the Authority, a copy of the audited financial statements as stated in sub-regulation (1) alongwith the auditor's report thereon before 30th September every year along with the remarks or observations of the auditors, if any, on the conduct of the business, state of accounts, etc., and a suitable explanation on such observations shall be appended to such accounts filed with the Authority.

(3) Every insurance broker shall, within ninety days from the date of the Auditor's report take steps to rectify any deficiencies, made out in the auditor's report and inform the Authority accordingly.

(4) All the books of account, statements, document, etc., shall be maintained at the head office of the insurance broker or such other branch office as may be designated by them and notified to the Authority, and shall be available on all working days to such officers of the Authority, authorised in this behalf by it for inspection.

(5) All the books, documents, statements, contract notes etc., referred to in this regulation and maintained by the insurance broker shall be retained for a period of at least ten years from the end of the year to which they relate. However the documents pertaining to the cases where claims are reported and the decision is pending for a decision from courts, the documents are required to be maintained till the disposal of the cases by the court. In the case of reinsurance brokers, all other documents are required to be maintained till its natural expiry.

(6) A certificate confirming the compliance of various regulations shall also form part of Auditors Report;

(7) Every insurance broker shall submit to the Authority the details of statutory auditors engaged by them along with the audited accounts as per Annexure V of these regulations.

30. Submission of half-yearly results.—(1) Every insurance broker shall before 31st October and 30th April each year furnish to the Authority a half-yearly un-audited financial statement containing details of performance, financial position, etc., alongwith the following certificates duly certified by a qualified Chartered Accountant.

- (i) A certificate to the effect that the insurance broker is maintaining required capital, the insurance broker is not engaged in any other business other than insurance broking and also maintains required net worth as required under regulations 9 and 11, as per Annexure VI-A of these regulations;
- (ii) A certificate to the effect that the insurance broker is maintaining a deposit in compliance of regulation 12, as per Annexure VI-B of these regulations;
- (iii) A certificate to the effect that a Professional Indemnity Policy is in force in compliance of regulation 13, as per Annexure VI-C of these regulations;

- (iv) A certificate confirming that the insurance broker has received the remuneration as per the limits prescribed in the regulation 25, as per Annexure VI-D of these regulations;
- (v) A certificate in case of a reinsurance broker or a composite broker to the effect that the insurance broker is complying with provisions of regulation 27 and is maintaining a separate Insurance Bank Account and the monies lying in the said account are not used for any purposes other than as specified in the regulations, as per Annexure VI-E of these regulations.

31. Internal control and systems.—(1) Every insurance broker shall ensure that a proper system of internal audit is in place and that their internal controls and systems are adequate for the size, nature and complexity of its business.

(2) In case of reinsurance and composite brokers it is mandatory that the insurance broker shall have internal audit systems and designate a compliance officer who is an employee of the insurance broker.

(3) Without prejudice to the above, it is mandatory for an insurance broker whose business in a financial year is more than Rs. 10 Crores of premium to have a designated Compliance Officer in the matter who will be responsible for the internal controls and systems.

32. Claim Consultancy:

- (1) The Authority permits limited claim consultancy by insurance brokers, subject to the following conditions:
 - a) for claims not exceeding Rs.1 crore provided such claim does not emanate from a policy, which has been placed by the same insurance broker or any other insurance broker.
 - b) before offering the consultancy, the insurance broker shall obtain a written mandate from the client to represent the client with the insurer concerned for the claim for which consultancy has been sought by the client and offered by the insurance broker.
 - c) the insurance broker may charge fee for such services as may be mutually decided between the insurance broker and the client. However, such fee shall not be expressed as a percentage of the claim.
 - d) the insurance broker shall, in all their dealings with such clients, be governed by the provisions of Code of Conduct as specified in Schedules VI-A and VI-B, as applicable, of these regulations.
 - e) Any dispute between two or more insurance brokers arising out of such consultancy arrangements shall, in the first instance, be considered by the Insurance Brokers Association of India (IBAI) and thereafter the IBAI shall forward the substance of such dispute together with its recommendation to the Authority for final disposal.
 - f) The Authority will review and decide the norms regarding claims consultancy from time to time.

33. Co-broking:

- 1) It is open to a client to appoint in writing more than one insurance broker to jointly handle the broking of its insurance requirements depending on the skills that the insurance brokers may bring to the activity and to decide the manner in which the brokerage payable on the business may be shared among them. In any case, the total of brokerage shared among the insurance brokers together shall not be more than the limits specified in regulation 25.
- 2) Each of the direct insurance co-brokers shall be insurance brokers who are licensed to broker the class of business concerned and each co-broker shall be responsible to ensure compliance with the co-broking provisions and guidelines issued by the Authority from time to time including guidelines No.020/NL/IRDA/06 dated 15th September, 2006.
- 3) The manner in which the brokerage is shared among the co-brokers shall be disclosed to the insurer on request. The insurer will be guided by the instructions of the client with regard to payment of brokerage to each co-broker for their share or to the lead co-broker who will then be responsible to pay the other co-brokers.
- 4) Each of the co-brokers on a reinsurance placement shall also be responsible to ensure that these regulations are complied with by themselves and any foreign brokers used by them.

34. Reinsurance / Composite brokers sharing of Brokerage with a foreign broker for the placement of risks:

- 1) In case any insurer/reinsurer licensed in India, utilizes the services of any reinsurance broker for the placement of reinsurance abroad, such placement shall be through a reinsurance or composite broker licensed by the Authority only.
- 2) For the purposes of sub-regulation (1) above, a licensed reinsurance or composite broker may utilize the services of a foreign broker for placement of reinsurance with insurers or reinsurers outside India.

- 3) For the purposes of sub-regulation (2) above, the Authority licensed reinsurance/composite broker shall not share more than 50% of the brokerage with the foreign broker for the services obtained from them.
- 4) In case of foreign inward reinsurance business to insurers /reinsurers in India, if such placement involves an insurance broker, it shall be through reinsurance/composite broker licensed by the Authority only. However, a foreign broker may enter into suitable arrangement with insurance broker licensed by the Authority to place Foreign Inward Reinsurance and sharing of brokerage may be guided by such arrangement.

35. Single broking licence to one corporate group and dealings with Group companies:

- 1) The Authority shall issue only one insurance broking licence in the categories of Direct Broker(Life) and/or Direct Broker(General) and/or Reinsurance Broker or Composite Broker to a corporate group. For the purposes of these regulations, the group shall have the same meaning as defined in IRDA (Investment) (5th Amendment) Regulations, 2013.
- 2) Promoter Company of the insurance broker shall give an undertaking that none of the clients within promoter group will be compelled for their insurance requirements. An explicit disclosure of their being a Group company within the same promoter group shall be made in all the communication.
- 3) There must be mandatory disclosures of related party transactions with the promoter group in their audited accounts and balance sheet as per accounting standard 18 of ICAI

36. Nomenclature of Insurance Brokers

- (1) The insurance brokers shall have the word `Insurance Broker`/ `Insurance Brokers`/ `Insurance Broking` in the name of the Insurance Broker to reflect their line of activity and to enable the public to differentiate IRDA licensed insurance brokers from other non-licensed insurance related entities such as consultants, risk managers and alike. The application of the new applicants seeking the broking licence shall not be considered in the absence of the compliance of the nomenclature requirement.
- (2) Every licensed insurance broker shall display, in all their correspondences with all stakeholders, their name registered with the Authority, address of the Registered and Corporate Office, IRDA licence number, the category for which the insurance broker is licensed, validity period of the licence. Insurance brokers are not permitted to use any other name in their correspondence/literature/letter heads without the prior approval of the Authority.

37. Financial penalty for certain violations/breaches:

- (1) In case a licensed insurance broker violates any of the provisions of Insurance Act, 1938, IRDA Act, 1999 and Rules and Regulations made there under, any circular/guidelines/orders issued by the Authority from time to time, the Authority may issue such order imposing appropriate penalty depending on the nature/gravity of violation.
- (2) The insurance broker, if aggrieved by the decision of the Authority, may apply within a period of thirty days from the date of receipt of such intimation, to the Chairman of the Authority for a reconsideration of its decision.
- (3) The Chairman of the Authority shall consider such an application and communicate his decision thereon to the applicant in writing within forty five days of the receipt thereof.
- (4) In case the Chairman of the Authority, after reconsideration of the application made under sub-regulation (2) above, rejects the application, the insurance broker shall pay the penalty imposed under sub-regulation (1) above within 15 days of the receipt of the decision of the Chairman of the Authority, failing which their licence may be suspended or cancelled.

38. Disclosures to the Authority.—(1) An insurance broker shall disclose to the Authority on their own any material change which has a bearing on their licence within 30 days of such change;

(2) an insurance broker shall disclose to the Authority, as and when required by it, in any event not later than thirty days of a requisition, the following information, namely -

- i. their responsibilities with regard to the placement of an insurance contract;
- ii. any change in the information or particulars previously furnished, which have a bearing on the licence granted to them;
- iii. the names of the clients whose insurance portfolio they manage or have managed;
- iv. any other requirement or information specified by the Authority from time to time:

Provided that in case of a person specified in regulation 2(1)(d) the Authority may call for and obtain such information as it deems fit.

- (3) In any case, an insurance broker shall have to take the prior approval of the Authority for the following;
- (i) Change of Principal Officer;
 - (ii) Change in Director(s)/Partner(s);
 - (iii) Change in name of the company;
 - (iv) Change in place of corporate/registered office;
 - (v) Change in principal place of business
- (4) An insurance broker shall furnish to the Authority the following information as and when there is a change/addition to the information furnished previously to the Authority
- (i) Opening/closing of branch offices;
 - (ii) list of broker qualified persons;
 - (iii) in respect of a claim under the professional indemnity policy;
 - (iv) acquiring of immovable property;
- (5) The Authority may from time to time require the insurance broker to furnish information/data/documents in the manner as may be specified in the matter.
- (6) Failure to comply with this regulation will lead to action, in accordance with the provisions of regulation 41 being taken against the insurance broker.

Explanation: (1) For the purpose of this regulation, 'material change' means any change which has a bearing on consideration of their application under regulation 8 the regulations.

(2) For the purpose of this regulation, the 'principal place of business' means location of head office of a business where the books and records are kept and/or management works.

39. Authority's power to inspect.—(1) The Authority may appoint one or more of its officers as "inspecting authority" to undertake inspection of the premises of the insurance broker to ascertain and see how the business is carried on, and to inspect the books of accounts, records and documents of the insurance broker for any of the purposes specified in sub-regulation (2).

(2) The purposes referred to in sub-regulation (1) may be as follows, namely : —

- i. to ensure that the books of account are being maintained in the manner required;
- ii. to ensure that the provisions of the Act, rules, regulations are being complied with;
- iii. to investigate the complaints received from any insured, any insurer, other insurance brokers or any other person on any matter having a bearing on the activities of the insurance broker; and
- iv. to investigate the affairs of the insurance broker *suo motu* in the interest of proper development of insurance business or in policyholders' interest.

(3) The manner in which the inspection will be conducted is specified in Schedule VII of these regulations.

40. Appointment of investigator by the Authority.—(1) The Authority may appoint a chartered accountant or an actuary or any qualified and experienced individual in the field of insurance to investigate the books of accounts or the affairs of the insurance broker.

Provided that the person so appointed shall have the same powers of the inspecting authority as are mentioned in regulation 39 and the obligations of the insurance broker in regulation 39 shall be applicable to the investigation under this regulation.

Explanation- For the purposes of this regulation the expression "chartered accountant" shall have the same meaning as given in Section 141 of the Companies Act, 2013 (18 of 2013), as amended from time to time, and the expression 'actuary' shall have the same meaning as given in section 2(1)(a) of The Actuaries Act, 2006 (35 of 2006).

(2)The expenses and costs of such an investigation shall be recovered by the Authority from the insurance broker whose affairs had been caused to be investigated.

41. Suspension of licence with notice.—(1) The licence of an insurance broker may be cancelled or suspended after due notice and after giving them a reasonable opportunity of being heard if they:—

- a) violate the provisions of the Insurance Act,1938 (4 of 1938), Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (41 of 1999) or rules or regulations, made thereunder as amended from time to time;
- b) fail to furnish any information relating to their activities as an insurance broker as required by the Authority;
- c) fail to comply with the directions issued by the Authority;
- d) furnish wrong or false information; or conceals or fails to disclose material facts in the application submitted for obtaining a licence or during the validity of licence;

- e) do not submit periodical returns as required by the Authority;
- f) do not co-operate with any inspection or enquiry conducted by the Authority;
- g) fail to resolve the complaints of the policyholders or fails to give a satisfactory reply to the Authority in this behalf;
- h) indulge in rebates or inducements in cash or kind to a client or any of the client's directors or other employees or any person acting as an introducer;
- i) are found guilty of misconduct or their conduct is not in accordance with the Code of Conduct specified in Schedules VI-A and VI-B, whichever is applicable;
- j) fail to maintain the capital requirements in accordance with the provisions of regulation 9;
- k) fail to pay the fees, penalties imposed or the reimbursement of expenses under these regulations;
- l) violate the conditions of licence;
- m) do not carry out their obligations as specified in the regulations;
- n) they carry on the business with a Principal Officer who does not acquire practical training and pass the examination within the stipulated period as specified in regulation 8.
- o) the Authority feels that the establishment of an insurance broker is only to divert funds within a group of companies or their associates, and the fact is established after due enquiries made by the Authority.

42. Cancellation or suspension of licence without notice.—(1) The licence of an insurance broker may be cancelled or suspended without notice, if they :—

- a) violate any one or more of the requirements under the code of conduct specified in Schedules VI-A and VI-B, whichever is applicable;
- b) are found guilty of fraud, or is convicted of a criminal offence;
- c) commit such defaults, which require immediate action in the opinion of the Authority, provided that the Authority has communicated the reasons for the cancellation in writing;
- d) have not commenced the business within six months of being granted a licence.

(3) in case the licence of an insurance broker is suspended without notice, such licence shall not be cancelled unless an enquiry has been held in accordance with the procedure specified in regulation 44.

43. Publication of order of suspension.—The order of suspension of the licence made under regulation 41 and regulation 42, shall be displayed on website of the Authority and communicated to the insurers, so that registration of new business by the suspended insurance broker— is stopped forthwith by the insurers.

- (1) On and from the date of suspension or cancellation of the licence, the insurance broker, shall cease to function as an insurance broker.
- (2) An insurance broker however shall continue to service the contracts already concluded through them for a period of six months within which he shall make suitable arrangements for having the contracts attended to by another licensed insurance broker.

44. Manner of holding of enquiry after suspension of licence of the insurance broker:

- (1) The licence of an insurance broker shall not be cancelled unless an enquiry has been conducted in accordance with the procedure specified in this regulation.
- (2) For the purpose of holding an enquiry under this regulation, the Authority may appoint an enquiry officer within 15 days of the issue of the suspension order;
- (3) The enquiry officer shall issue a notice to the insurance broker at the registered office or the principal place of business of the insurance broker, as the case may be, calling for all information / data as deemed necessary to conduct the enquiry and grant the insurance broker a time limit of 15 days from date of receipt of the notice, for submission of such information / data called for;
- (4) The insurance broker may, within fifteen days from the date of receipt of such notice, furnish to the enquiry officer a reply to the notice together with copies of documentary or other evidence relied on by them or sought by the enquiry officer;
- (5) The enquiry officer shall give a reasonable opportunity of hearing to the insurance broker to enable them to make submissions in support of their reply made under sub-regulation (4) above;

- (6) The insurance broker may either appear in person or through any person duly authorised by them to present their case, provided however that the prior approval of the Authority is obtained for the appearance of the 'authorised person';
- (7) If it is considered necessary, the enquiry officer may require the Authority to present its case through one of its officers;
- (8) If it is considered necessary, the enquiry officer may call for feedback/information from the insurer or any other related entity during the course of enquiry;
- (9) If it is considered necessary, the enquiry officer may call for additional papers from the insurance broker;
- (10) The enquiry officer shall make all necessary efforts to complete the proceeding at the earliest but in no case beyond 60 days of the commencement of the enquiry:

Provided that in case the enquiry cannot be completed within the prescribed time limit of 60 days as mentioned in (9) above; the enquiry officer may seek additional time from the chairman stating the reason thereof;

- (11) The enquiry officer shall, after taking into account all relevant facts and submissions made by the insurance broker, submit a report to the Authority within 30 days of the completion of the enquiry proceedings.

45. Action to be taken after the receipt of the enquiry report.—(1) On receipt of the report from the enquiry officer, the Authority shall consider the report and issue a show-cause notice to the insurance broker if the contents of the report warrant a cancellation of the licence granted to them:

Provided that no such notice is required, in case the provisions of regulation 42 are attracted.

- 2) The insurance broker shall within twenty-one days of the date of receipt of the show cause notice send a reply to the Authority.
- 3) The Authority after considering the reply to the show cause notice shall, as soon as possible, but not later than thirty days from the receipt of the reply, pass such an order as it deems fit.

Provided, however, that where the insurance broker on serving of the notice under this regulation fails to furnish any reply within the stated period, the Authority may after the expiry of such time proceed to decide the case on merit and pass such an order as it deems fit.

- 4) The Authority shall send a 'final order of the Authority' made under sub-regulation (3) to the insurance broker.
- 5) Any insurance broker, if aggrieved by the decision of the Authority, may apply within a period of thirty days from the date of receipt of such intimation, to the Chairman of the Authority for a reconsideration of its decision.
- 6) The Chairman of the Authority shall consider such an application and communicate his decision thereon to the insurance broker in writing within forty five days of the receipt thereof.

46. Procedure for Cancellation of licence:

- (1) Authority shall issue the final order for cancellation of the licence of the insurance broker and they shall cease to act as an insurance broker from the date of the final order.
- (2) The process of notification of the cancellation of licence of the insurance broker is outlined in regulation 47.
- (3) The Authority in such an event may pass such order as it thinks fit for the disposal of the deposit of the insurance broker made under regulation 12.
- (4) An insurance broker whose licence has been cancelled shall continue to service the contracts already concluded through them for a period of six months from the order of cancellation of licence within which period they shall make suitable arrangements for having the contracts attended to by another licensed insurance broker.
- (5) The licensed insurance broker who agrees to take over the obligations of policy service from the insurance broker whose licence has been cancelled shall submit their request to the insurer for serving the policies / contracts through the term.
- (6) The licensed insurance broker on obtaining the approval from the insurer, for take over of the obligations of policy service, can collect brokerage on current contracts in vogue with prospective effect from the date of service of the contracts.

- (7) The insurer shall pay brokerage / policy service, on current contracts in vogue with prospective effect from the date of allotment of service of the contracts to the insurance broker to whom the insurer has given the authority.
47. **Publication of order cancellation of licence.**—The order of cancellation of the licence made under sub-regulation (3) of regulation 45, shall be published in one daily newspaper in the English language and one newspaper in the regional language as the Authority may consider fit, in addition to display on the website of the Authority.
48. **Effect of cancellation of licence.**—(1) On and from the date of suspension or cancellation of the licence, the insurance broker, shall cease to act as an insurance broker.
- (2) An insurance broker however shall continue to service the contracts already concluded through them for a period of six months within which suitable arrangements shall be made by them for having the contracts attended to by another licensed insurance broker.
- (3) Another licensed insurance broker who agrees to take over the obligations of policy service can collect brokerage on current contracts which were not collected earlier from insurers, provided the insurance broker undertakes to service the policies through its term.
49. **Voluntary Surrender of Licence.**—(1) An Insurance Broker licensed under regulation 5 may make an application to the Authority for surrender of their licence. The Authority may consider such application on merit.
- (2) Upon acceptance of the application for surrender made by the insurance broker, the Authority may pass an order for surrender of licence.
- (3) The insurance broker whose licence is surrendered and accepted by the Authority shall have to make arrangements as specified in regulation 48.
- (4) The documents/information required to be submitted for surrender of licence is as per Annexure VIII to these regulations.
50. **Power of the Authority to issue clarifications etc.**—In order to remove any difficulties in the application or interpretation of these regulations, the Authority may issue clarifications, directions and guidelines in the form of circulars.
51. **General.**—(1) From the date of commencement of these regulations no person can function as an insurance broker unless a licence has been granted to them by the Authority under these regulations or under Insurance Regulatory and Development Authority(Insurance Brokers) Regulations, 2002.
- a) Insurance brokers including the insurance brokers licensed under the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2002 shall be governed by the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2013 from the date of notification of these regulations.
- b) The licenses issued under the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2002 shall continue to be valid till the expiry of the license provided there are no violations of any of the provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2013 from the date of notification of the regulations.
- c)
- d) Applications for grant of license or renewal of license, received at the Authority prior to notification of these regulations shall be governed by the provisions of Insurance Regulatory and Development (Insurance Brokers) Regulations, 2002 till the final consideration/disposal of such applications.
- e) Proceedings/Departmental enquiry/Departmental inspection which have been initiated against the insurance broker under the provisions of Insurance Regulatory and Development (Insurance Brokers) Regulations, 2002 shall be governed by the provisions of Insurance Regulatory and Development (Insurance Brokers) Regulations, 2002, till their final disposal..
- (3) Any disputes arising between an insurance broker and an insurer or any other person either in the course of their engagement as an insurance broker or otherwise may be referred to the Authority by the person so affected; and on receipt of the complaint or representation, the Authority may examine the complaint and if found necessary proceed to conduct an enquiry or an inspection or an investigation in terms of these regulations.

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**(Insurance Brokers) Regulations, 2013****Functions of Direct broker / Reinsurance broker / Composite Broker****(See regulation 4)****1. Functions of a direct broker.**—The functions of a direct broker shall include the following:

- (a) Obtaining detailed information of the client's business and risk management philosophy;
- (b) Familiarizing himself with the client's business and underwriting information so that this can be explained to an insurer and others;
- (c) Rendering advice on appropriate insurance cover and terms;
- (d) Maintaining detailed knowledge of available insurance markets, as may be applicable;
- (e) Submitting quotation received from insurer/s for consideration of a client;
- (f) Providing requisite underwriting information as required by an insurer in assessing the risk to decide pricing terms and conditions for cover;
- (g) Acting promptly on instructions from a client and providing him written acknowledgements and progress reports;
- (h) Assisting clients in paying premium under section 64VB of Insurance Act, 1938 (4 of 1938);
- (i) Providing services related to insurance consultancy and risk management;
- (j) Assisting in the negotiation of the claims; and
- (k) Maintaining proper records of claims;

2. Functions of a re-insurance broker.—The functions of a re-insurance broker shall include the following :

- (a) Familiarizing himself with the client's business and risk retention philosophy;
- (b) Maintaining clear records of the insurer's business to assist the reinsurer(s) or others;
- (c) Rendering advice based on technical data on the reinsurance covers available in the international insurance and the reinsurance markets;
- (d) Maintaining a database of available reinsurance markets, including solvency ratings of individual reinsurers;
- (e) Rendering consultancy and risk management services for reinsurance;
- (f) Selecting and recommending a reinsurer or a group of reinsurers;
- (g) Negotiating with a reinsurer on the client's behalf;
- (h) Assisting in case of commutation of reinsurance contracts placed with them;
- (i) Acting promptly on instructions from a client and providing it written acknowledgements and progress reports;
- (j) Collecting and remitting premiums and claims within such time as agreed upon;
- (k) Assisting in the negotiation and settlement of claims;
- (l) Maintaining proper records of claims;
- (m) Exercising due care and diligence at the time of selection of reinsurers and international insurance brokers having regard to their respective security rating and establishing respective responsibilities at the time of engaging their services;
- (n) Creation of market capacity and facility for new, stressed, emerging and existing business and asset class for and from both direct insurers and reinsurers;
- (o) Render preliminary loss advice (PLA) within reasonable time;
- (p) Given the nature of business, separate norms need to be followed for Inward and Outward business
 - a. Inward business:

- i. Broker to have adequate specific knowledge of the country whose business is being offered like: political stability, economic position, local regulations, tax laws, etc.
 - ii. Introduce new business/ products depending on the reinsurers business plan and risk appetite
- b. Outward business
- i. Rating and market credibility of the reinsurer
- (q) To ensure prompt collection and remittance of funds, follow up for funds to be initiated sufficiently before the due dates for settlement from cedant to reinsurer and from reinsurer to cedant as relevant;
- 3. Functions of composite broker** — A composite broker shall carry out the functions mentioned in clause 1 and 2 above.

Schedule II**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY****(Insurance Brokers) Regulations, 2013**

(see regulation 8)

Requirement of qualification, training and passing of examination for Principal Officer and any other person responsible for Solicitation of Insurance=====
Section 1: Minimum Educational Qualifications

- (a) Bachelors degree in Arts, Science, or Social Sciences or Commerce or its equivalent from any institution/ university recognized by any State Government or the Central Government; or
- (b) Bachelor's degree in engineering or its equivalent from any institution/university recognized by any State government or the Central Government; or
- (c) Bachelor's degree in law or its equivalent from any institution/University recognized by any State Government or the Central Government; or
- (d) Masters in Business Administration or its equivalent from any institution/ university recognized by any State Government or the Central Government; or
- (e) Associate/ Fellow of the Insurance Institute of India, Mumbai; or
- (f) Associate/Fellow of the Institute of Risk Management, Mumbai; or
- (g) Any post graduate qualification of the Institute of Insurance and Risk Management, Hyderabad; or
- (h) Associate/ Fellow of the Institute of Chartered Accountants of India , New Delhi; or
- (i) Associate/ Fellow of the Institute of Cost and Works Accountants of India, Kolkata; or
- (j) Associate/ Fellow of the Institute of Company Secretaries of India, New Delhi; or
- (k) Associate/ Fellow of the Institute of Actuaries of India; or
- (l) Associate/Fellow of Chartered Insurance Institute, London; or
- (m) Chartered Financial Analyst of Institute of Chartered Financial Analyst of India; or
- (n) Certified Associate ship of the Indian Institute of Bankers, Mumbai; or
- (o) any other qualification specified from time to time by the Authority under these regulations;

=====
Section 2: Certification through a Professional Training and Examination:

- (a) The Principal Officer of the applicant should have completed the prescribed fifty hours of theoretical and practical training from an institution recognised by the Authority from time to time, and should have passed an examination, at the end of the period of training, conducted by the National Insurance Academy, Pune or any other examining body recognised by the Authority.

- (b) The theoretical and practical training from an institution recognised by the Authority from time to time as mentioned in (a) above shall be twenty five hours in cases where the principal officer of the applicant:
- (i) has been carrying on reinsurance related activity or insurance consultancy for a continuous period of seven years, preceding the year in which such an application is made; or
 - (ii) has for a period of, not less than seven years prior to the application made to the Authority has been a principal underwriter or has held the position of a Manager in any one of the nationalised insurance companies in India; or
 - (iii) is an Associate/ Fellow of the Insurance Institute of India, Mumbai; or Associate/ Fellow of the Institute of Risk Management, Mumbai; or Associate/ Fellow of the Institute of Actuaries of India; or any post graduate qualification of the Institute of Insurance and Risk Management, Hyderabad; or Associate/Fellow of Chartered Insurance Institute, London;
- (c) The candidate who is covered by (b) above, shall be required to pass the examination, at the end of the period of training, conducted by the National Insurance Academy, Pune or any other examining body recognised by the Authority.

Schedule III

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(Insurance Brokers) Regulations, 2013

(See regulation13)

Maintenance of Professional Indemnity Insurance —

- (1) The insurance cover must indemnify an insurance broker against
- a. any error or omission or negligence on their part or on the part of their employees and directors;
 - b. any loss of money or other property for which the insurance broker is legally liable in consequence of any financial or fraudulent act or omission;
 - c. any loss of documents and costs and expenses incurred in replacing or restoring such documents;
 - d. dishonest or fraudulent acts or omissions by insurance brokers' employees or former employees.
- (2) The indemnity cover —
- a. shall be on a yearly basis for the entire period of licence;
 - b. shall not contain any terms to the effect that payments of claims depend upon the insurance broker having first met the liability;
 - c. shall indemnify in respect of all claims made during the period of the insurance regardless of the time at which the event giving rise to the claim may have occurred.

Provided that an indemnity insurance cover not fully conforming to the above requirements shall be permitted by the Authority in special cases for reasons to be recorded by it in writing.

- (3) Limit of indemnity for any one claim and in the aggregate for the year in the case of insurance brokers shall be as follows:

Category of insurance broker	<u>Limit of indemnity</u>
(a) Direct broker	three times remuneration received at the end of every financial year subject to a minimum limit of rupees fifty lakhs.
(b) Reinsurance broker	three times remuneration received at the end of every financial year subject to a minimum limit of rupees two crores and fifty lakhs.
(c) Composite broker	three times remuneration received at the end of every financial year subject to a minimum limit of rupees five crores

- (4) The un-insured excess in respect of each claim shall not exceed five percent of the capital employed by the insurance broker in the business.
- (5) The insurance policy shall be obtained from any registered insurer in India who has agreed to —
- a) provide the insurance broker with an annual certificate containing the name and address, including the licence number of the insurance broker, the policy number, the limit of indemnity, the excess and the name of the insurer as evidence that the cover meets the requirements of the Authority;

- b) send a duplicate certificate to the Authority at the time the certificate is issued to the insurance broker ; and
- c) inform the insurer immediately of any case of voidance, non-renewal or cancellation of cover mid-term.
- (6) Every insurance broker shall—
inform immediately the Authority should any cover be cancelled or voided or if any policy is not renewed;
- a) inform immediately the insurer in writing of any claim made by or against it;
- b) advise immediately the insurer of all circumstances or occurrences that may give rise to a claim under the policy ; and
- c) advise the Authority as soon as an insurer has notified that it intends to decline indemnity in respect of a claim under the policy.

Schedule IV**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY****(Insurance Brokers) Regulations, 2013****Fees (See Regulation 14)**

1. Every insurance broker at the time of application for licence, pay a non-refundable application fees as set out below:

Category of Insurance broker	Amount of application fee payable
Direct broker	Rs.20,000
Reinsurance broker	Rs.25,000
Composite broker	Rs.40,000

2. Every insurance broker shall pay annual licence fees as set out below:

Category of insurance broker	Amount of licence fee payable per annum
Direct broker	A sum calculated at the rate of 0.50% of remuneration earned in the preceding financial year subject to minimum of Rs.25,000 and maximum of Rs.1,00,000.
Reinsurance broker	A sum calculated at the rate of 0.50% of remuneration earned in the preceding financial year subject to minimum of Rs.75,000 and maximum of Rs.3,00,000.
Composite broker	A sum calculated at the rate of 0.50% of remuneration earned in the preceding financial year subject to minimum of Rs.1,25,000 and maximum of Rs.500,000.

3. The licence fee shall be paid before the 30th of September every year.
4. Every insurance broker shall pay a renewal fee of Rs.1000 (Rupees one thousand only) along with application for renewal of the licence.
5. The fees shall be payable by an Account Payee draft in favour of “The Insurance Regulatory and Development Authority” payable at Hyderabad.

Schedule V**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY****(Insurance Brokers) Regulations, 2013****(See regulation 27)****Manner of dealing monies collected by reinsurance broker or composite broker in case of reinsurance contracts**

The money collected by the licensed insurance broker shall be dealt with in the following manner:

- (a) he shall act as the trustee of the insurance money that he is required to handle in order to discharge their function as a reinsurance broker and for the purposes of this regulation it shall be deemed that a payment made to the reinsurance broker shall be considered as payment made to the reinsurer;
- (b) he shall ensure that 'insurance money' is held in an 'Insurance Bank Account' with one or more of the Scheduled Banks or with such other institutions as may be approved by the Authority;
- (c) he shall give written notice to, and receive written confirmation from, a bank, or other institution that he is not entitled to combine the account with any other account, or to exercise any right of set-off, charge or lien against money in that account;
- (d) he shall ensure that all monies received from or on behalf of an insured is paid into the 'Insurance Bank Account' which remains in the 'Insurance Bank Account' to remain in deposit until it is transferred on to the reinsurer or to the direct insurer.
- (e) he shall ensure that any refund of premium which may become due to a direct insurer on account of the cancellation of a policy or alteration in its terms and conditions or otherwise shall be paid by the reinsurer directly to the direct insurer.
- (f) he shall ensure Interest on recovery/payment received shall be for the benefit of the direct insurer or reinsurer;
- (g) he shall only remove from the 'Insurance Bank Account' charges, fees or commission earned and may be transferred to any other account;
- (h) he shall ensure that no payment whatsoever is made from 'Insurance Bank Account' for the purposes other than those specified in this regulation;
- (i) he shall ensure that monies held in 'Insurance Bank Account' shall not be held in Fixed Deposits or invested elsewhere by the insurance broker;
- (j) he shall take immediate steps to restore the required position if at any time he becomes aware of any deficiency in the required "segregated amount".

Note: The insurance broker shall have to submit a certificate duly certified by a Chartered Accountant on the compliance of each and every provision of these regulations every half-year. In addition, the insurance broker shall submit a certificate every half-year duly certified by a Chartered Accountant on the amount of charges, fees or brokerage/commission earned during the period and any transfers made to any other account;

Schedule VI-A

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(Insurance Brokers) Regulations, 2013

CODE OF CONDUCT – Insurance Broker

[see regulation 28]

1. Every insurance broker shall follow recognised standards of professional conduct and discharge their functions in the interest of the policyholders.
2. **Conduct in matters relating to clients relationship.**—Every insurance broker shall:
 - (a) conduct its dealings with clients with utmost good faith and integrity at all times;
 - (b) act with care and diligence;
 - (c) ensure that the client understands their relationship with the insurance broker and on whose behalf the insurance broker is acting;
 - (d) treat all information supplied by the prospective clients as completely confidential to themselves and to the insurer(s) to which the business is being offered;
 - (e) take appropriate steps to maintain the security of confidential documents in their possession;
 - (f) hold specific authority of client to develop terms;
 - (g) understand the type of client it is dealing with and the extent of the client's awareness of risk and insurance;

- (h) obtain written mandate from client to represent the client to the insurer and communicate the grant of a cover to the client after effecting insurance;
- (i) obtain written mandate from client to represent the client to the insurer/ reinsurer; and confirm cover to the insurer after effecting re-insurance, and submit relevant reinsurance acceptance and placement slips;
- (j) avoid conflict of interest.
- (k) Obtain necessary documents required under KYC norms

3. Conduct in matters relating to Sales practices.—Every insurance broker shall:

- (a) confirm that it is a member of the Insurance Brokers Association of India or such a body of insurance brokers as approved by the Authority which has a memorandum of understanding with the Authority;
- (b) confirm that he does not employ agents or canvassers to bring in business;
- (c) identify itself and explain as soon as possible the degree of choice in the products that are on offer;
- (d) ensure that the client understands the type of service it can offer;
- (e) ensure that the policy proposed is suitable to the needs of the prospective client;
- (f) give advice only on those matters in which it is knowledgeable and seek or recommend other specialist for advice when necessary;
- (g) not make inaccurate or unfair criticisms of any insurer or any member of the Insurance Brokers Association of India or member of such body of insurance brokers as approved by the Authority;
- (h) explain why a policy or policies are proposed and provide comparisons in terms of price, cover or service where there is a choice of products;
- (i) state the period of cover for which the quotation remains valid if the proposed cover is not effected immediately;
- (j) explain when and how the premium is payable and how such premium is to be collected, where another party is financing all or part of the premium, full details shall be given to the client including any obligations that the client may owe to that party; and
- (k) explain the procedures to follow in the event of a loss.
- (l) Not indulge in any sort of money laundering activities.
- (m) ensure that the insurance broker does not indulge in sourcing of business by themselves or through call centers by way of misleading calls or spurious calls.

4. Conduct in relation to furnishing of information.—Every insurance broker shall:

- (a) ensure that the consequences of non-disclosure and inaccuracies are pointed out to the prospective client;
- (b) avoid influencing the prospective client and make it clear that all the answers or statements given are the latter's own responsibility. Ask the client to carefully check details of information given in the documents and request the client to make true, fair and complete disclosure where it believes that the client has not done so and in case further disclosure is not forthcoming it should consider declining to act further;
- (c) explain to the client the importance of disclosing all subsequent changes that might affect the insurance throughout the duration of the policy; and
- (d) disclose on behalf of its client all material facts within its knowledge and give a fair presentation of the risk.

5. Conduct in relation to explanation of insurance contract.—Every insurance broker shall:

- (a) provide the list of insurer(s) participating under the insurance contract and advise any subsequent changes thereafter;
- (b) explain all the essential provisions of the cover afforded by the policy recommended by him so that, as far as possible, the prospective client understands what is being purchased;
- (c) quote terms exactly as provided by insurer;
- (d) draw attention to any warranty imposed under the policy, major or unusual restrictions, exclusions under the policy and explain how the contract may be cancelled;

- (e) provide the client with prompt written confirmation that insurance has been effected. If the final policy wording is not included with this confirmation, the same shall be forwarded as soon as possible;
- (f) notify changes to the terms and conditions of any insurance contract and give reasonable notice before any changes take effect;
- (g) advise its clients of any insurance proposed on their behalf which will be effected with an insurer outside India, where permitted, and, if appropriate, of the possible risks involved; and

6. **Conduct in relation to renewal of policies.**—Every insurance broker shall:

- (a) ensure that its client is aware of the expiry date of the insurance even if it chooses not to offer further cover to the client;
- (b) ensure that renewal notices contain a warning about the duty of disclosure including the necessity to advise changes affecting the policy, which have occurred since the policy inception or the last renewal date;
- (c) ensure that renewal notices contain a requirement for keeping a record (including copies of letters) of all information supplied to the insurer for the purpose of renewal of the contract;
- (d) ensure that the client receives the insurer's renewal invitation well in time before the expiry date.

7. **Conduct in relation to claim by client:**—Every insurance broker shall : —

- (a) explain to its clients their obligation to notify claims promptly and to disclose all material facts and advise subsequent developments as soon as possible;
- (b) request the client to make true, fair and complete disclosure where it believes that the client has not done so. If further disclosure is not forthcoming it shall consider declining to act further for the client;
- (c) give prompt advice to the client of any requirements concerning the claim;
- (d) forward any information received from the client regarding a claim or an incident that may give rise to a claim without delay, and in any event within three working days;
- (e) advise the client without delay of the insurer's decision or otherwise of a claim; and give all reasonable assistance to the client in pursuing his claim.

Provided that the insurance broker shall not take up recovery assignment on a policy contract which has not been serviced through him or should not work as a claims consultant for a policy which has not been serviced through him, except for claims permitted under regulation 32.

8. **Conduct in relation to receipt of complaints.**—Every insurance broker shall:—

- (a) ensure that letters of instruction, policies and renewal documents contain details of complaints handling procedures;
- (b) accept complaints either by phone or in writing;
- (c) acknowledge a complaint within fourteen days from the receipt of correspondence, advise the member of staff who will be dealing with the complaint and the timetable for dealing with it;
- (d) ensure that response letters are sent and inform the complainant of what he may do if he is unhappy with the response;
- (e) ensure that complaints are dealt with at a suitably senior level;
- (f) have in place a system for recording and monitoring complaints.

9. **Conduct in relation to documentation.**—Every insurance broker shall:—

- (a) ensure that any documents issued comply with all statutory or regulatory requirements from time to time in force;
- (b) send policy documentation without avoidable delay,
- (c) make available, with policy documentation, advice that the documentation shall be read carefully and retained by the client;
- (d) not withhold documentation from its clients without their consent, unless adequate and justifiable reasons are disclosed in writing and without delay to the client. Where documentation is withheld, the client must still receive full details of the insurance contract;
- (e) acknowledge receipt of all monies received in connection with an insurance policy;

- (f) ensure that the reply is sent promptly or use its best endeavours to obtain a prompt reply to all correspondence;
- (g) ensure that all written terms and conditions are fair in substance and set out, clearly and in plain language, client's rights and responsibilities; and
- (h) subject to the payment of any monies owed to it, make available to any new insurance broker instructed by the client all documentation to which the client is entitled and which is necessary for the new insurance broker to act on behalf of the client.

10. Conduct in matters relating to advertising.—Every insurance broker shall conform to the relevant provisions of the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Advertisements and Disclosure) Regulations, 2000, and :—

- (a) ensure that statements made are not misleading or extravagant;
- (b) where appropriate, distinguish between contractual benefits which the insurance policy is bound to provide and non-contractual benefits which may be provided;
- (c) ensure that advertisements shall not be restricted to the policies of one insurer, except where the reasons for such restriction are fully explained with the prior approval of that insurer;
- (d) ensure that advertisements contain nothing which is in breach of the law nor omit anything which the law requires;
- (e) ensure that advertisement does not encourage or condone defiance or breach of the law;
- (f) ensure that advertisements contain nothing which is likely, in the light of generally prevailing standards of decency and propriety, to cause grave or widespread offence or to cause disharmony;
- (g) ensure that advertisements are not so framed as to abuse the trust of clients or exploit their lack of experience or knowledge;
- (h) ensure that all descriptions, claims and comparisons, which relate to matters of objectively ascertainable fact shall be capable of substantiation.

11. Conduct in matters relating receipt of remuneration.—Every insurance broker shall:—

- (a) disclose whether in addition to the remuneration prescribed under these regulations, he proposes to charge the client, and if so in what manner;
- (b) advise the client in writing of the insurance premium and any fees or charges separately and the purpose of any related services;
- (c) if requested by a client, disclose the amount of remuneration or other remuneration it receives as a result of effecting insurance for that client. This will include any payment received as a result of securing on behalf of the client any service additional to the arrangement of the contract of insurance; and
- (d) advise its clients, prior to effecting the insurance, of their intention to make any deductions from the amount of claim collected for a client, where this is a recognised practice for the type of insurance concerned.

12. Conduct in relation to matters relating to training.—Every insurance broker shall:

- (a) ensure that its staff are aware of and adhere to the standards expected of them by this code;
- (b) ensure that staff are competent, suitable and have been given adequate training;
- (c) ensure that there is a system in place to monitor the quality of advice given by its staff;
- (d) ensure that members of staff are aware of legal requirements including the law of agency affecting their activities; and only handle classes of business in which they are competent;
- (e) draw the attention of the client to Section 41 of the Act, which prohibits rebating and sharing of commission.

13. Information and Education common to direct & reinsurance brokers:

- a) The insurance broker will support industry education initiatives aimed at explaining insurance to consumers and the community.
- b) The insurance broker will make readily available to client:

- (i) Up-to-date information on insurance;
 - (ii) Information to assist insured to determine the level of insurance cover they may require; and
 - (iii) Information about insurance products and services, and this Code.
- 14.** Every insurance broker shall display in every office where it is carrying on business and to which the public have access a notice to the effect that a copy of the code of conduct is available upon request and that if a member of the public wishes to make a complaint or requires the assistance of the Authority in resolving a dispute, he may write to the Authority.
- 15.** An insurance broker as defined in these regulations shall not act as an insurance agent of any insurer under section 42 of the Act.
- 16.** Every insurance broker shall abide by the provisions of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), Insurance Regulatory And Development Authority Act 1999 (41 of 1999), rules and regulations made there under which may be applicable and relevant to the activities carried on by them as insurance brokers.

Schedule VI-B**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY****(Insurance Brokers) Regulations, 2013**

(see regulation 28)

Additional Code of Conduct for Reinsurance Broker and Composite Broker**1. General (applicable to all contracts of reinsurance):**

- a) A composite insurance broker or reinsurance broker shall not enter the reinsurance markets either to develop terms for reinsurance cover or to place reinsurance on any risk without the specific written authorization of the insurer insuring the risk or insurer/reinsurer who has been asked to quote terms for the risk.
- b) A reinsurance broker or a composite broker shall not block reinsurance capacity in anticipation of securing an order to place reinsurance.
- c) The insurance broker shall provide to the insurer/reinsurer, a true and complete copy of the reinsurance placement slip to be used, before entering the market. The insurance broker shall incorporate any modifications or corrections proposed by the insurer/reinsurer in the placement slip.
- d) The insurance broker shall put up to the insurer/reinsurer, all the terms (including the reinsurance commission and brokerage allowed) obtained by it from various reinsurers and indicate the share the lead reinsurer is willing to write at those terms and the expectation of the insurance broker about placement of the required reinsurance at the terms quoted, with acceptable reinsurance security.
- e) The insurance broker shall furnish to the insurer/reinsurer, a true copy of the placement slip signed by the lead reinsurer quoting terms, indicating thereon, the signed line of the reinsurer.
- f) Where reinsurance on a risk is proposed to be placed with different reinsurers at different terms, the fact that terms for all reinsurers are not uniform, shall be disclosed to reinsurers suitably.
- g) Once the insurer/reinsurer has accepted the reinsurance terms quoted, the insurance broker shall place the required reinsurance cover and shall keep the insurer/reinsurer informed about the progress of placement from time to time. In selecting the reinsurers to whom the risk is offered, the insurance broker shall be mindful of the need to use only such reinsurers who are rated BBB or higher by a recognized credit rating agency, as required by Regulation 3(9) of IRDA (General Insurance – Reinsurance) Regulations 2013 and Regulation 8(a) of IRDA(Life Insurance-Reinsurance) Regulations, 2013. Where the reinsurance is over placed, the signing down shall be done in consultation with the insurer/reinsurer in a manner consistent with good market practice.
- h) Immediately after completion of placement of reinsurance, the insurance broker may issue a insurance broker's cover note giving the terms of cover and the names of reinsurers and the shares placed with each of them. The cover note may contain a listing of all important clauses and conditions applicable to the reinsurance and where the wordings of clauses are not market standard, the wordings to be used in the reinsurance contract shall be attached to the insurance broker's cover note.
- i) The insurance broker shall follow up the cover note by a formal signed reinsurance policy document or other acceptable evidence of the reinsurance contract signed by the reinsurers concerned, within one month of receipt of reinsurance premium.

- j) The insurance broker shall have a security screening procedure in-house or follow credit ratings given by recognized credit rating agencies and answer without any delay, any questions raised by the insurer about the credit rating of one or more reinsurers. Where the insurer/reinsurer declines to accept a particular reinsurer for whatever reason and asks the insurance broker to replace the security before commencement of risk, the insurance broker shall do so promptly and advise the insurer/reinsurer of the new reinsurer brought on the cover

2. Placement of Proportional Treaty or Non-proportional Treaty:

- a) A composite insurance broker or reinsurance broker invited to place a proportional treaty shall prepare the treaty offer slip and supporting information with the cooperation of the insurer and secure the insurer's concurrence to the slip and information before entering the market.
- b) Where a reinsurance treaty is placed at different terms with different reinsurers, the fact that such is the practice shall be made known to all the reinsurers suitably.
- c) Where a reinsurer accepts a share in a treaty subject to any condition, the conditions shall be made known to the ceding insurer and its agreement obtained before binding the placement.
- d) The insurance broker shall advise the progress of placement of the treaty from time to time. Immediately after completion of placement, the insurance broker shall issue a cover note setting out the treaty terms and conditions and list of reinsurers with their shares. Where a treaty is over-placed, the insurance broker shall sign down the shares in consultation with the insurer in a manner consistent with good market practice.
- e) The insurance broker shall secure signature of formal treaty wordings or other formal reinsurance contract documentation within three months of completion of placement.
- f) The insurance broker shall have a security screening procedure in-house or follow credit ratings given by recognized credit rating agencies and answer without any delay, any questions raised by the ceding insurer about the credit rating of one or more reinsurers. Where the insurer declines to accept a particular reinsurer for whatever reason and asks the insurance broker to replace the security before commencement of the reinsurance period, the insurance broker shall do so promptly and advise the insurer of the new reinsurer brought on the cover.

3. Placement of Foreign Inward Reinsurance:

- a) The Reinsurance broker shall ensure that Indian Reinsurer(s) receive the reinsurance premium from the overseas insurer as per the premium payment condition stipulated in the reinsurance contract
- b) The Reinsurance broker shall not enter the Indian reinsurance markets either to develop terms for reinsurance cover or to place reinsurance on any risk without the specific written authorization of the overseas insurer insuring the risk or insurer who has been asked to quote terms for the risk.
- c) The Reinsurance broker shall provide to the Reinsurer in India, a true and complete copy of the placement slip to be used, before committing any terms to the overseas client. The insurance broker shall incorporate any modifications or corrections proposed by the Reinsurer in the placement slip.
- d) The insurance broker shall put up to the overseas insurer, all the terms (including the reinsurance commission and brokerage allowed) obtained by it from various Indian reinsurers and indicate the share the reinsurer(s) is willing to write at those terms and the expectation of the insurance broker about placement of the required reinsurance at the terms quoted, with acceptable reinsurance security.
- e) The insurance broker shall furnish to the overseas insurer, a true copy of the placement slip signed by the Indian reinsurer quoting terms, indicating thereon, the signed line of the reinsurer.
- f) Where reinsurance on a risk is proposed to be placed with different reinsurers at different terms, the fact that terms for all reinsurers are not uniform, shall be disclosed to reinsurers suitably
- g) The insurance broker shall provide complete information as desired by the Indian reinsurer(s) to process the claim arising out of any Inwards business.

4. Reinsurance business placed with overseas reinsurers:

- a) Reinsurance broker shall ensure that business is placed with only those overseas Reinsurers which are registered with the Authority;
- b) The Reinsurance broker shall ensure the compliance of any taxation, foreign exchange, Anti Money laundering or any other applicable statutory laws at the time of placing the reinsurance business.

5. Responding to Catastrophes and Disasters:

- a) The Reinsurance broker shall respond to catastrophes and disasters, such as floods, earthquakes, cyclones, severe storms and hail which result in a large number of claims, in a timely, professional and practical way and in a compassionate manner.

6. Conduct in relation to explanation of Reinsurance contract:—

Every Reinsurance broker shall:

- a) provide the list of Reinsurer(s) participating under the Reinsurance contract and advise any subsequent changes thereafter;
- b) explain all the essential provisions of the cover afforded by the policy recommended by him so that, as far as possible, the prospective client understands what is being purchased;
- c) quote terms exactly as provided by Reinsurer;
- d) draw attention to any warranty imposed under the policy, major or unusual restrictions, exclusions under the policy and explain how the contract may be cancelled;
- e) provide the insurer/reinsurer with prompt written confirmation that Reinsurance has been effected. If the final policy wording is not included with this confirmation, the same shall be forwarded as soon as possible;
- f) notify changes to the terms and conditions of any Reinsurance contract and give reasonable notice before any changes take effect;

Schedule VII.

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(Insurance Brokers) Regulations, 2013

(See regulation 39)

Inspection procedure

1. **Notice before inspection.**—(a) Before undertaking an inspection under regulation 39, the Authority shall give a notice of ten days to an insurance broker for that purpose.
 - b) Notwithstanding anything contained in clause 1(a) above, where the Authority is satisfied that in the interests of the policyholders no such notice shall be given, it may, for reasons recorded in writing, direct that the inspection of the affairs of the insurance broker be taken up without such notice.
 - c) The insurance broker shall allow the inspecting authority to have full access to the premises occupied by such insurance broker or by any other person on its behalf and also extend all facilities for examining books, records, documents and computer data in the possession of the insurance broker.
 - d) The inspecting authority, in the course of inspection, shall be entitled to examine or record statements of any principal officer or employee of the insurance broker and have the powers to seize or make copies of documents/ records.
 - e) It shall be the duty of every such person to give to the inspecting authority all assistance in connection with the inspection which the insurance broker may reasonably be expected to give.
 - f) Failure to comply with the requirements of the Authority in this regard or failure to cooperate with the inspecting officers shall result in suspension of licence.
2. **Submission of report to the Authority.**—The inspecting authority shall submit an inspection report to the Authority within 30 days of the completion of the inspection.
3. **Communication of findings, etc.**—(a) The Authority shall, after consideration of the inspection report, communicate its findings to the insurance broker. The insurance broker shall within 21 days from the date of receipt of communication respond to the Authority.
 - b) On receipt of the explanation, if any, from the insurance broker, the Authority may direct the insurance broker to take such measures as it deem fit.
 - c) Without prejudice to (b) above, the Authority may issue a notice to the Insurance Broker requiring him to show cause within 21 days from the date of receipt of the notice, why the licence granted to the insurance broker should not be suspended or cancelled or any other action as considered appropriate by the Authority should not be initiated.
 - d) The Authority, upon considering the reply to the notice issued under (c) above, may pass an order directing the suspension or cancellation of the licence granted to the insurance broker or pass any other order as deemed appropriate based on the facts and circumstances of the case.
 - e) The insurance broker, if aggrieved by the decision of the Authority, may apply within a period of thirty days from the date of receipt of such intimation, to the Chairman of the Authority for a reconsideration of its decision.
 - f) The Chairman of the Authority shall consider such an application and communicate his decision thereon in writing within forty five days of the receipt thereof.

Schedule VIII

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**(Insurance Brokers) Regulations, 2013****(See regulation 22)****Sale of Insurance Online by Insurance Brokers**

Insurance Broker is allowed to offer ONLINE PRODUCTS of insurers with whom it has entered into an agreement for sale through the web portals of the insurer subject to the following conditions.

- 1) The website developed by the insurance broker shall carry the name of the Insurance Broker as licensed by the Authority and usage of any other name or linkage to any other website is prohibited.
- 2) The insurance broker shall prominently display on their website the information relating to their licence number, date of licence and its validity, the category of licence, name of the Principal Officer and its contact details, composition of the board; and other relevant information.
- 3) The website of the insurance broker shall be used exclusively for web aggregation and comparison and of insurance products and online sale of insurance products of insurers with whom the insurance broker has a valid agreement.
- 4) The insurance broker shall not publish, advertise, or provide for display or sale, any other products of any nature or type, other than the insurance products by the insurer with whom the insurance broker has entered into agreement for the sale of online products.
- 5) The website of the Insurance broker shall provide a link to the website of the insurer with whom the insurance broker has entered into an agreement for the ONLINE sale of the product of the Insurer and the online sale by the insurance broker shall be executed only through the website of the Insurer.
- 6) The insurance broker shall ensure that the customer has the choice of viewing products of at least five insurers who are offering similar products for online sale, and selecting the insurer and products of his choice;
- 7) Insurance broker is permitted only to offer the following ranges of products online or any other products range as approved from time to time by the Authority:—
 - i. Life:
 - a. Whole Life Policies
 - b. Term Insurance Products
 - c. Endowment Products
 - d. Health Insurance products
 - e. Retirement—Immediate annuities
 - f. Retirement—Deferred annuities
 - g. Children's products
 - ii. Non Life:
 - a. Home Insurance
 - b. Motor Insurance
 - c. Health Insurance
 - d. Travel Insurance
 - e. Personal Accident Insurance
 - f. Rural Insurance
- 8) The insurance broker shall display only those features of the products which are approved under File & Use Guidelines of the Authority. Any information which is detrimental to the interests of the policyholder or is misleading and is not approved by the Authority shall not be displayed on their websites by the insurance brokers.
- 9) The insurance broker while displaying the product features of various insurers shall not favour any one insurer.
- 10) The templates which are displayed on the insurance broker's website should be mutually agreed to, between the Insurance Broker and the Insurers whose products are compared.
- 11) Product comparisons that are displayed shall be up to date and reflect a true picture of the products.
- 12) The insurance brokers shall display product information purely on the basis of the information obtained from insurers.

- 13) The insurance brokers shall not
- i) Display any information pertaining to products or services of other financial institutions / FMCG or any product or service on the website
 - ii) Display advertising of any sort, either pertaining to any product or service including insurance product or service, other financial products or service / or any other product or service on the Website.
 - iii) Operate multiple websites or tie up with other approved / unapproved / unlicensed entities / websites for lead generation / comparison of product etc. *subject to the following exceptions:*

Using multiple Domain names or same domain names with suffixes such as .com or .in or .co.in for the primary website of the Insurance Broker used for display of insurance products is allowed provided

 - a. the domain names of primary or secondary or product category specific websites or mobile sites are owned and registered in the name of the Insurance Broker
 - b. The Insurance Broker informs the Authority in writing about the date of Registration and date of launching of domain names of such websites or mobile sites in the application for grant of licence and thereafter within 15 days from the date of Domain Name Registration and Date of launching respectively in case of any change in the name(s) of the existing websites or new websites.
- 14) The insurance broker shall not charge any additional fees from insurers for displaying their products on their websites;
- 15) The insurance broker may enter into an agreement with the insurer for extending services to the customer / clients of the insurance broker and the agreement shall be available with both the insurer and the insurance broker for inspection by the Authority.
- 16) The insurance broker who has entered into an agreement with the insurer may be allowed by the insurers to collect renewal premiums online through the websites of the insurers for the policies procured and serviced by the insurance broker only.
- 17) The manner of payment of premiums for online sale shall be by way of credit card/debit card/ net banking or any other mode as permitted by the Reserve Bank of India from time to time through a payment gateway normally used by the insurer for online sale of insurance policies. The premium has to be directly credited to the Insurer's premium collection account of a designated bank and should not be routed through the bank account of the Insurance Broker in any manner. The insurance brokers shall not accept any cash payments towards premiums for this purpose.
- 18) On completion of online transaction, for payment of premium and sale of the policy, the insured should be able to generate and save / print the e-premium receipt and preferably Policy document also immediately. Alternatively, the Policy document may be delivered by email / or in hard copy as opted by the insured.
- 19) The agreements entered into with the insurers for integrating their web portals for sale of products or receipt of premiums online shall not be in any way detrimental to the interests of the policyholders. The insurance brokers shall not make any promise or commitment to insurers for sale of their products.
- 20) The insurance broker shall ensure that directions issued by the Authority or any other Authority for compliance of Anti-money laundering matters are adhered to. The insurer shall incorporate the necessary rules and applicable clauses in the agreement to be signed with the insurance broker to this effect.
- 21) The insurers as well as the insurance broker shall be jointly and severally liable for any breach of provisions of the agreement entered into for this purpose.
- 22) The insurance broker as well as the insurers shall have to abide by the provisions of Insurance Act, 1938, as amended from time to time, the IRDA Act, 1999 and/or any other Act and regulations/guidelines/ circulars/directions issued by the Authority from time to time while selling the insurance products online

SCHEDULE-IX**FORM A**

[See regulations 5 and 18]

Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2013**APPLICATION FOR GRANT OF LICENCE/RENEWAL OF LICENCE**

Name of the Broker:

Licence No:

Category for which Licence is issued:

Date of expiry:

In case of New Application:

CATEGORY APPLIED FOR :

INSURANCE BROKER -

(Mention category as applicable)

Direct (life)

Direct (General)

Direct (Life & General)

Reinsurance

Composite

Instructions for filling up the form:

1. It is important that before this application form is filled in, the regulations made by the Authority are studied carefully.
2. Applicant must submit a duly completed application form together with all appropriate, supporting documents to the Authority.
3. Application for licence will be considered only if it is complete in all respects.
4. Applicant should sign the applications themselves.
5. Information which needs to be supplied in more details may be given on separate sheets which should be attached to the application form.
6. If the applicant is not a company, the information called for in this Form shall be supplied by adapting the requirements suitably.

PARTICULARS OF THE APPLICANT

1.1 Name of the Applicant : _____

1.2 (A) Address - Principal Place of business / Registered Office.

Pin code: _____ Telephone No: _____

E-mail: _____ Fax No: _____

(B) Address for Correspondence:

Pin code: _____ Telephone No: _____

E-mail: _____ Fax No: _____

(C) Addresses of Branch Offices:

(D) Name and Designation of the Principal Officer

2. ORGANISATION - STRUCTURE

2.1 Status of the Applicant:

(e.g. limited company-Private/Public, partnership, others. If listed, names of Stock Exchanges and latest share price to be given)

2.2. Date and Place of Incorporation:

Day	Month	Year	Place
-----	-------	------	-------

2.3. Scope of business as described in the Memorandum of Association

(To be given in brief along with copy of Memorandum and Articles of Association or Partnership Deed).

2.4. List of major shareholders (holding 5% and above of applicant directly or along with associates-applicable only to limited companies)

Shareholding as on: _____

Name of shareholder	No. of Shares held	% age of total paid up capital of the company	Foreign Direct Investment Yes or No

2.5. Particulars of all Directors/Partners/Proprietor:-

Name	Qualification	Experience in Insurance Broking services and related areas	Share in applicant firm /company	Directorship in other companies

2.6. Name and activities of associate companies/concerns

Name of Company/ Firm	Address	Type of activity handled	Nature of Interest of Promoter/ Director	Nature and interest of applicant company

Whether any one or more persons of the associate companies/ concerns are interested in the applicant's business?

2.6. Name and Address of the Principal bankers of the applicant

2.8. Name and address of the statutory auditors:

3. BUSINESS INFORMATION

3.1. Three years business plan document with projected volume of activities and income (including anticipated) for which licence sought is to be specifically given.

3.2. Organization Chart separately showing functional responsibilities to be enclosed.

3.3. Particulars of Key Management Personnel

Name	Qualification	Experience with particular reference to Insurance Broking/insurance consulting activities	Date of appointment	Functional areas

3.4. Details of infrastructure like office space, equipment and manpower available with the applicant

3.5. Details of experience in insurance broking/ insurance consulting/risk management and other services: (History, major events and present activities (Experience outside India may also be indicated):

3.6 Business handled during the last three years and list of reinsurers with whom more than ten percent of the total reinsurance premium handled, was placed.

Sl. No.	Name	Premium handled		Services Rendered
		Amt.	Percentage of total premium handled by broker	

3.7 Any other information considered relevant to the nature of services rendered by the applicant.

4. FINANCIAL INFORMATION

4.1 Capital Structure (Rs. in lakhs)

Capital Structure	Year prior to the preceding year of current year	Preceding year	Current year
a) Authorized Capital			
b) issue capital			
c) Paid-up capital			
d) Free reserves (excluding re- valuation reserves)			
e) Total (c) + (d)			
Note: - 1. In case of LLPs, please indicate capital minus drawings and/or loans to partners. 2. In case of LLPs, please indicate the financial position, means and net worth of the partners.			

4.2 Deployment of Resources (Rs. in lakhs)

Particulars	Year prior to the preceding year of current year (mention the relevant FY)	Preceding year (mention the relevant FY)	Current year (mention the relevant FY)
a) Fixed Assets			
b) Plant & Machinery			
c) Office Equipment			
d) Quoted Investments			
e) Unquoted Investments			
f) Details of Liquid Assets			
f) Others			

(Details of Investments, Loans & Advances made to Associate Companies/Firms where Promoters/Directors have an interest is to be separately given).

4.3 Major Sources of Income: (Rs. in lakhs)

Particulars	Year prior to the preceding year of current year (mention the relevant FY)	Preceding year (mention the relevant FY)	Remuneration received as % of premium(mention the relevant FY)
a) Direct Insurance remuneration			
b) Reinsurance remuneration			
c) Advisory fees			

d) Insurance consultancy			
e) Investment Income			
f) Others			

As remuneration received by the insurance broker may vary from risk to risk, please indicate range within which remuneration has been received.

4.4 Income and Profit before Tax (PBT) (Rs. lakhs)

Particulars Income Profit Before Tax	Year prior to the preceding year of current year (mention the relevant FY)	Preceding year (mention the relevant FY)	Current year (mention the relevant FY)

4.5 Dividend (Rs. In lakhs)

Particulars	Year prior to the preceding year of current year (mention the relevant FY)	Preceding year (mention the relevant FY)	Current year (mention the relevant FY)
Amount			
Percentage			

Note: Please enclose three years audited annual accounts. Where unaudited reports are submitted, give reasons. If minimum capital requirement has been met after last audited annual accounts, audited statement of accounts for the period ending on a later date should also be submitted.

5. OTHER INFORMATION, IF ANY

5.1 Details of all settled and pending disputes:

Nature of dispute	Name of the party	Pending/settled	Date of settlement

5.2 Details, if any of any economic offences by the applicant or any of the Partners/ Directors, or key managerial Personnel in the last three years.

6.0 Documents attached:

7. Fee Payment:

Note: A non-refundable fee (depending on the category applied for) and specified in Regulation 14 of IRDA (insurance Brokers) Regulations, 2013

Details of Payment: Demand Draft No: ----- Date: -----

Name of the Bank:

Other modes of payment:

8 : Undertaking

8.1 WHETHER ANY PERSON directly or indirectly connected TO APPLICANT HAS BEEN REFUSED FOR THE LICENCE IN THE PAST OR NOT

Name of the Persons	Relationship with the Applicant	Training Details

For the purpose of this sub-clause, the expression “directly or indirectly connected” means a relative in the case of any individual, and in the case of a firm or a Company or a body Corporate- an associate, a subsidiary, an interconnected undertaking or a group Company of the applicant.

8.2 QUALIFICATION & EXPERIENCE DETAILS OF THE PRINCIPAL OFFICER OF THE APPLICANT

Name	Address	Qualifications (including insurance broking exam passing)	Prior Experience (including Insurance Industry)	Previous Employment	Employment Details

8.3 LIST OF EMPLOYEES WHO WILL BE RESPONSIBLE FOR SOLICITING AND PROCURING INSURANCE BUSINESS

Name	Address	Designation	Qualification (including insurance broking exam passing)	Details of the responsibilities

8.4 DETAILS OF THE FIXED DEPOSIT FOR RENEWAL OF LICENCE

Name of the Bank	Address	F.D. Number	Amount held in Deposit	Percentage to initial Capital	Maturity Date

9. DECLARATION

THIS DECLARATION IS TO BE SIGNED BY TWO OF THE DIRECTORS, TWO OF THE PARTNERS AS THE CASE MAY BE.

I/We hereby apply for licence.

I/We have gone through the Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2013 and am/are satisfied that

I/We am/are eligible to apply for the insurance broker's licence.

I/We state that I/We have truthfully and fully answered the questions above and provided all the information which might reasonably be considered relevant for the purposes of my/our licence.

I/We declare that the information supplied in the application form is complete and correct.

I/We undertake that I/We shall not allow or offer to allow, either directly or indirectly, as an inducement to any person, any rebate of the whole or part of the remuneration earned by me/us during the licence period.

I/We undertake to service the run-off business on the books at the time of cancellation or non-renewal of licence.

I/We declare that I/we do not possess an insurance agent licence under section 42 of the Act.

For and on behalf of

(Signature & Name)

{Block Letters}

Director

(Signature & Name)

{Block Letters}

Name of the Applicant

Name of the Applicant

Place:

Date:

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
(Insurance Brokers) Regulations, 2013
FORM B
[See regulations 5 & 15]
LICENCE

Licence No:

1. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a licence to

_____ to act as _____ broker

(Mention details of category)

under that Act.

2. Licence Code for the insurance broker is

2. This licence shall be valid from _____ to _____

3. This licence is subject to the Act, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2013 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

Place :

By Order

Date : _____

For and on behalf of

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
(Insurance Brokers) Regulations, 2013
FORM C

[see regulation 18]

CERTIFICATE OF RENEWAL LICENCE

Licence No:

1. The Licence of M/S ----- Category-----
 -----Broker is hereby renewed under section ---- of the IRDA(Insurance Brokers) regulations, 2013, and the Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) for the period -----
 to-----
2. Issued at Hyderabad on----- day of -----Two thousand-----
3. This licence shall be valid from _____ to _____
4. This licence is issued subject to the condition that the applicant shall comply with all the provisions of the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) the, Rules or regulations made thereunder and the Guidelines, Circulars & Directions issued by the Authority from time to time.

Place:

By Order

Date : _____

For and on behalf of

Insurance Regulatory and Development Authority

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
(Insurance Brokers) Regulations, 2013
FORM R
[See regulations 21]
DUPLICATE LICENCE

Licence No:

1. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42D of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938) the Authority hereby grants a licence to

_____ to act as _____ broker
 (Mention details of category)

under that Act.

2. Licence Code for the insurance broker is

3. This licence shall be valid from _____ to _____

4. This licence is subject to the Insurance Act, 1938, Insurance Regulatory and Development Authority Act, 1999 (4 of 1999) and Insurance Regulatory and Development Authority (Insurance Brokers) Regulations, 2013 and shall not be construed to be in compliance with or in conformity to any other Act, rules or regulations.

Place:

By Order

Date : _____

For and on behalf of

Insurance Regulatory and Development Authority

Insurance Regulatory and Development Authority

Application for Duplicate Licence

1. I agree to inform you that my/our Licence No----- has been

1. Lost
2. Destroyed
3. Mutilated

By the following reasons-----

2. Fee payment:

A non-refundable fee of Rs. 1000/ will need to be paid to IRDA

Payment details:

Demand Draft No: ----- Date: ----- Name of the bank: -----

Other modes of payment:

3. Declaration

I hereby apply for the duplicate licence under regulation 21

I/we therefore request the authority to kindly issue a duplicate licence in light of the circumstances explained above.

I ----- solemnly declare and confirm that the particulars given above are true to the best of my knowledge and belief.

Signature of Director 1

Date:

Signature of Director 2

Annexure-I**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY****(Insurance Brokers) Regulations, 2013****Documentation & Procedural requirements for obtaining Fresh Broker Licence****[See regulation 5]****A. Submission of Completed Application.**

- a) Submission of relevant information as required in the FORM A.
- b) Remittance of requisite fee as per category of insurance broker applied by demand draft payable at Hyderabad, as prescribed under Regulation 14 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013.
- c) Submission of printed copy of applicant's Memorandum and Articles of Association. The main objects of the Memorandum and Articles of Association should be as per Regulations.
- d) Ensure compliance of the training requirements as specified in regulation 8 of the IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013. This is a requirement to be complied with before any application could be considered for grant of licence.
- e) Principal Officer: Data pertaining to the Principal Officer as mentioned in Annexure II-A along with the FIT and Proper criteria format as mentioned in Annexure II-B to be submitted, refer to Regulation 8 for details.
- f) Principal Officer to submit an affidavit, duly notarized certifying to the effect that the applicant (directors/partners, principal officer and key management personnel of the company) are not suffering from any of the disqualifications specified under sub-section 42 D of the Insurance Act, 1938.
- g) Details of Directors/Partners, Shareholder, Promoter and Key Management Personnel are to be provided in the Form prescribed in Annexure II-A with the FIT and Proper criteria format as mentioned in Annexure –II-B.
- h) List of employees who will be responsible for soliciting and procuring insurance business along-with their qualifications are to be provided in the Form prescribed in Annexure-II-A.
- i) Details of statutory auditors and Principal Bankers along with the Bank Account Number of applicant.
- j) Details of infrastructure along with supporting evidence thereof like ownership/lease agreement papers with regard to office space/ equipment/ trained manpower, etc. for the registered office and the future planning for opening branch offices at various locations in the country and the estimated time frame with photographs of premises.
- k) Projections of administrative expenses, salaries and wages and other expenses, draw the revenue account, the profit and loss account and the balance sheet for the projected 3 years.
- l) Organization chart giving a complete picture of the company's activities like IT, underwriting, risk assessment, claims settlement, marketing, accounts, back office etc.
- m) List of experienced personnel inducted from and life insurance background with good knowledge and experience of working in the areas of risk assessment, underwriting and claims management etc. Submit detailed CV, copies of educational qualifications along with their appointment/joining letters of the people, so selected, to the Authority.
- n) Bring on record any other information, which is relevant to the nature of services rendered by the applicant for the growth and promotion of insurance business.
- o) Any other requirements as deemed necessary by the authority.

B. Signatories.

- a) Two Directors and the Principal Officer should sign the Application Form and the various formats mentioned above.
- b) The Auditors in addition to the signatories mentioned in-above should sign the Accounts statements.

The above list of documents/requirements is indicative only and not exhaustive. The additional documents will be advised based on the category of licence applied, pattern of shareholding, any other compliance matter required as per IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013 and views of the Authority.

C. Personal Presentation

The applicant on fulfilling the given requirements to the satisfaction of the Authority will be required to appear before the Authority for a presentation of business plans in connection with the application.

Annexure –II-A**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY****(Insurance Brokers) Regulations, 2013****Particulars of Principal Officer/Directors/Partners/Promoters/Shareholders/Key Management Personnel**

[See regulation 8]

Personal details of Principal Officer			
Full Name		Mention Mr. / Mrs.	
Address			
Date of Birth		Phone No.	
Nationality		Cell No.	
Position in the Organisation		FAX No.	
Current Position held from		Email id	
		Web Address	
Description of Duties / Responsibilities			
Qualifications Experience and Achievements			
Name of the Institute	Country	Qualifications	Year of Study / Graduation
Professional Qualification. (See Section 1 below for Mandatory Professional Qualifications)			
Present Shareholding in this Company – Position as on _____			
Name of the Company	No of shares held	% of shares held in the company	
Equity Interest in other Companies / Shareholding held in other companies			
Name of the Company	No of shares held	% of shares held in the company	
Directorship / Partnership / Proprietor positions held in other companies			
Name of the company	Position held in the	Period (from ___ to ___)	

	Organisation			
Working Experience				
Name of the employer	Nature of Business	Designation	Description of duties	Period

1) I declare that all information given in this application above is true and correct.

2) I declare that I have filled in the FIT and Proper statement and enclosed it along with this form

Signature

Name:

Date:

Annexure-IIB

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(Insurance Brokers) Regulations, 2013

FITNESS AND PROPRIETY CRITERIA

(See regulations 8)

The applicant should satisfy the Authority that:—

- The Principal Officer is a fit and proper person to be licensed;
- The CEO as defined in section 2 of these Regulations, is fit and proper person to hold the office; The Directors as defined in section 2 of these Regulations, are fit and proper persons to hold the office;
- All of its substantial shareholders/partners are fit and proper persons;
- All persons having effective control on the applicant are fit and proper persons to carry out the business.
- All Key Management Personnel of the applicant are fit and proper

Declaration and Undertaking for Principal Officer/Directors/Partners/Promoters/Shareholders/Key Management Personnel.

'Declaration and Undertaking' prescribed for the purpose of conducting due diligence to determine the 'fit and proper' status of Principal Officer/Directors/Partners/Promoters/Shareholders/Key Management Personnel is given below. Henceforth, insurance brokers should use the format for obtaining declaration and undertaking from existing Principal Officer and Directors/Partners as well as the person to be appointed as Principal Officer / Director/Partner.

A separate form needs to be submitted by each individual.

Name of Insurance Broker: _____	
I.	Personal Details
	a. Full Name
	b. Position in the Broking entity
	c. Date of Birth
	d. Educational Qualifications
	e. Relevant Background and Experience

	f.	Permanent Address	
	g.	Present Address	
	h.	E-mail Address / Telephone Number	
	i.	PAN under the Income Tax Act Name and address of Income Tax Circle	
	k.	Relevant knowledge and experience in Insurance	
	j.	Any other information relevant to position	
	Relevant FIT & Proper Criteria		
	If answer is YES to any of the questions; please give full details.		
	a.	Have you ever registered or obtained licence from any of the regulatory authorities under any law such as SEBI, RBI, IRDA, PFRDA, FMC etc.	
	b.	Have you carried on business under any name other than the name stated in this application	
	c.	Have you ever been refused or restricted by any regulatory authority to carry on any business, trade or profession for which a specific licence registration or other authorization is required by law.	
	d.	Have you been ever censured or disciplined or suspended or refused permission or licence or registration by any regulatory authority to carry on any business activity	
	e.	Have you been subject to any investigations or disciplinary proceeding or have been issued warning or reprimand by any regulatory authority	
	f.	Have you been convicted of any offence or subject to any pending proceedings under any law	
	g.	Have you been banned from entry at any profession / occupation at any time.	
II	h.	Details of prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past for violation of economic laws and regulations	
	i.	Details of criminal prosecution, if any, pending or commenced or resulting in conviction in the past against you	
	j.	Do you attract any of the disqualifications envisaged under Section 164 of the Companies' Act 2013?	
	k.	Have you been subject to any investigation at the instance of Government department or agency?	
	l.	Have you at any time been found guilty of violation of rules / regulations / legislative requirements by customs / excise / income tax / foreign exchange / other revenue authorities, if so give particulars	
	m.	Have you at any time come to the adverse notice of a regulator such as SEBI, IRDA, DCA. (Though it shall not be necessary for a candidate to mention in the column about orders and findings made by regulators which have been later on reversed / set aside in toto, it would be necessary to make a mention of the same, in case the reversal / setting aside is on technical reasons like limitation or lack of jurisdiction, etc. and not on merit. If the order of the regulator is temporarily stayed and the appellate / court proceedings are pending, the same also should be mentioned).	
	n.	Has any of your group company/associate company/related party been carrying any licence issued by the IRDA	

III.	Any other explanation / information in regard to items I and II and other information considered relevant for judging fit and proper		
	Undertaking		
	I confirm that the above information is, to the best of my knowledge and belief, true and complete. I undertake to keep the Authority fully informed, as soon as possible, of all events, which take place subsequent to my appointment, which are relevant to the information provided above.		
	Place:	Signature	
	Date:	Name	

Annexure – III-A**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY****(Insurance Brokers) Regulations, 2013****(See Regulation 18)****Documents to be attached with the Renewal Application Form**

1. Form-A (Application form) duly filled in.
2. DD towards renewal fee.
3. Renewal checklist duly signed by a Director/Partner and the Principal Officer of the Company.
4. Shareholding pattern of the company as of now and at the time of previous renewal duly certified by CA as per Annexure-I.
5. Printed copy of Memorandum and Articles of Association issued by Registrar of Companies.
6. Affidavit duly notarized in compliance of Sec.42D of the Insurance Act, 1938.
7. Renewal training certificate for 25 Hrs. undergone by the Principal Officer.
8. Undertaking duly signed by a Director/Partner and the Principal Officer of the Company as per Annexure-IX.
9. Copy of current lease agreement of the Principal Office of the company.
10. List of employees who solicit and procure business on behalf of the company.
11. Business premium figures and list of top 10 clients year-wise for the last three years.
12. Copy of Fixed Deposit receipt along with letter from Bank confirming lien.
13. Copies of Professional Indemnity insurance policies for last three years.
14. Copies of previous three years annual reports along with cash flow statements.
15. Certificate from CA certifying compliance of Regulation 23 in respect of Reinsurance/Composite Insurance Brokers.
16. Any other document specific to the applicant.

Annexure – III-B**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY****(Insurance Brokers) Regulations, 2013****(See Regulation 18)****Format of Share holding Pattern**

Sr. No.	Name of the Share holder	At the time of registration/last renewal whichever is later (as on.....)		At the time of renewal application		remarks
		No. of shares held	Percentage of Paid up share capital	No. of shares held	Percentage of Paid up share capital held	

Note: The names of the share holders who do not hold/never held more than 5% should be shown in 'Others' unless they are associated or part of Dominant share holders

Details of Share holders who are not appearing above but held more than 5% of paid up capital since the date of registration/latest renewal date.

Sr. No.	Name of share holder	No. of shares held	Period of holding

Annexure – III-C

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(Insurance Brokers) Regulations, 2013

(See Regulation 18)

Undertaking Format

Ref. No.

Date

The Insurance Development &
Regulatory Authority
3rd Floor, Parishram Bhavan
Basheerbagh
HYDERABAD – 500004

Sir,

UNDERTAKING

We hereby submit the following undertaking and confirm as under that:

1. There is no intervention by any other Regulatory Authority on the Promoters/Management/Applicant Company as on the date (If there is any intervention, details of the intervention to be furnished).
2. The company has -- no. of persons in employment as on date and will ensure to employ a minimum of 2 qualified persons in employment, during the process of application, who have the necessary qualifications specified in Schedule II and necessary experience to conduct the business of insurance broker under Reg. 8(2)(iii).
3. No Director/Partner/Principal Officer/Shareholder/Employee/person directly or indirectly connected with the Applicant Company, has been refused in the past the grant of a licence by IRDA.
4. The Principal Officer has not violated the code of conduct as specified under Schedules VI-A and VI-B, whichever is applicable, of the IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013.
5. The Applicant Company will comply with Regulation 8(2)(xii) confining to Main Objects of the Memorandum of Association filed with the Authority.
6. The Principal Officer is appointed exclusively to carryout the functions of the Insurance Broker under Regulation 2 (1) (o) and is neither holding any Directorship/Employment/Assignment in nor represents, either on full time or on part time basis, any other Insurance related or any other entity.
7. None of the directors/partners or and employees of the company are holding any directorship/employment in or represent any other insurance related entity.

8. The Office Premises of the Insurance Broker and its branches are and will be exclusively used for Insurance Broking Business only and no other activity will be carried on.
9. None of our Associate companies/Directors/Promoters/Key Management Personnel/Principal Officer/Employees is holding Agency/Corporate Agency/TPA/Surveyors Licence.
10. We have assisted the clients in paying the premium as per sec. 64 VB of the Insurance Act, 1938 and have not paid the premium on behalf of the clients, all the times.
11. We have not given any rebates of the whole or part of the commission payable or premium shown either directly or indirectly in compliance with sec. 41 of Insurance Act, 1938.
12. We confirm that the minimum capital requirement is not diluted by its use in buying shares and securities as also keeping Inter Corporate Deposits and giving loans etc.
13. We confirm that the functions as specified in Regulation 4 of IRDA (Insurance Brokers) Regulations, 2013 have been complied with during the licence period.

We confirm that the above statements are true to the best of our knowledge and belief.

We further undertake to comply with all the applicable Regulations/Rules/Notices/circulars as prescribed by the authority from time to time.

Principal Officer

(Director, other than the PO)

Signature

Signature

Name

Name

Date

Date

Note: Strike out the declaration not applicable and attach relevant information separately.

Annexure – IV-A

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(Insurance Brokers) Regulations, 2013

(See Regulation 23)

Undertaking to be submitted by the Insurance Broker for engaging Telemarketing Services

Name of the Insurance Broker:

Address for communication:

Licence No.

Category of licence:

Validity of licence:

We, M/s. Insurance Broking Company wish to engage the services of M/s..... as telemarketer for the purpose of telemarketing of insurance products. We certify and undertake the following.

- 1) That the telemarketer being proposed to be engaged by us is registered with TRAI with registration no. And the registration is valid upto.....
- 2) That we will ensure that the telemarketer engaged undertakes to comply with the regulations/circulars/guidelines and directions issued by TRAI in this regard and in case of any breach of the said documents by the telemarketer, the insurance broker shall be held responsible for such breaches;
- 3) That the services of the Telemarketer are proposed to be engaged for years and an agreement to this effect has been entered into detailing the scope of work, payment of fee and other terms and conditions. A copy of the agreement is filed with the Authority.
- 4) That we will ensure that the telemarketer complies with the regulations/guidelines/circulars/any other directions issued by the Authority in this regard from time to time.
- 5) That we will submit recordings/documents or any other information as required by the Authority from time to time.
- 6) That we are fully aware of the activities performed by the telemarketer other than services provided to our broking company and certify that none of the activities are related to any other insurance related entity.

- 7) That none of directors/partners/ key management personnel/shareholders/employees of the insurance broker are the directors/partners/key management personnel/shareholders/employees of the telemarketer.
- 8) That the telemarketer is/not a related party or associate company to the insurance broker and the details of the related parties/associated companies/group companies of the telemarketer are attached with this document.
- 9) That we have obtained full information from the telemarketer on the activities performed by the telemarketer for other entities and also obtained the information from them on the details of activities of related parties/associated companies/group companies of the telemarketer and certify that none of the activities are of any conflict of interest in nature.

(This certificate needs to be signed by two directors/partners and Principal Officer of the broking company)

Place:

Date:

Annexure – IV-B

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(Insurance Brokers) Regulations, 2013

(See Regulation 23)

Undertaking to be submitted by the Telemarketer engaged by the Insurance Broker for telemarketing Services

Name of the Telemarketer:

Address for communication:

TRAI Licence No.

Category of licence:

Validity of licence:

We, M/s. have been engaged by M/s..... as telemarketer for the purpose of telemarketing of insurance products. We certify and undertake as follows:

- 1) That we are registered with TRAI with registration no. And the registration is valid upto.....
- 2) That we will comply with the regulations/circulars/guidelines and directions issued by TRAI in this regard and in case of any breach thereof by us, we will abide by the actions/directions initiated or issued by the Insurance Regulatory and Development Authority for such breaches;
- 3) That we are engaged for years and an agreement to this effect has been entered into with the insurance broker detailing the scope of work, payment of fee and other terms and conditions. A copy of the agreement is filed with the Authority.
- 4) That we will comply with the regulations/guidelines/circulars/any other directions issued by the Authority in this regard from time to time.
- 5) That we will submit recordings/documents or any other information as required by the Authority from time to time.
- 6) That we have not entered into any agreement with any other insurance related entity for providing any services.
- 7) That none of the directors/partners/key management personnel/shareholders/employees of our entity are the directors/partners/key management personnel/shareholders/employees of the insurance broker or any other insurance related entity.
- 8) That we are not a related party or associate company to the broking company or any other entity connected with insurance activities and the details of the related parties/associated companies/group companies are attached with this document.
- 9) That we have informed the insurance broker of the activities performed by our entity other than telemarketing services to the broking company and certify that none of the activities involves conflict of interest.
- 10) That we understand that the Authority has full powers to inspect the premises of the telemarketer or any other premises which the Authority feels necessary for verification of records/documents and has the power to seek any document/record, record statements of any employee of the telemarketer or make copies of documents/records at the discretion of the Authority.
- 11) That we will extend full cooperation and provide all assistance in connection with conduct of inspection on our premises by the Authority or any other person authorized to do so.

(This certificate needs to be signed by two directors of the telemarketer)

Place:

Date:

Annexure – V

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(Insurance Brokers) Regulations, 2013

(See Regulation 29)

APPOINTMENT OF STATUTORY AUDITORS & AUDITING OF THE FIRM

Details of the Insurance Broker			
Name of Insurance Broker			
Code Number			
Contact Address		Tel No Cell No FAX email	
Licence validity from		Licence validity to	
Category			
Name of the Principal Officer			
DETAILS OF AUDITOR			
Name of audit firm			
Date of appointment of the audit firm			
Engagement for the audit relating to Accounting period ended 1st April ____ to 31st March ____ (If operations is for a part period please mention the period)			
Name of audit partner (who will be signing the audit report) ("Signing Partner")			
Is there a change in audit firm or Signing Partner from the preceding engagement?			
If yes, state the reason for the change			

I hereby declare that the Audited Reports for the previous three years have been filed with the authority as per details given below.

Mention year	Mention Date of submission of the reports to the Authority

I hereby submit this application and declare that all information given in this application (including any annexes and appendices attached) is true and complete to the best of my knowledge and belief.

Name:

Designation: Principal Officer

Date:

Annexure – VI-A

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(Insurance Brokers) Regulations, 2013

(See Regulation 30)

(Certificate to be issued by Auditors of the broking company on maintenance of capital and networth required under regulations 9 & 11) to be submitted half-yearly

Name of the Insurance Broker:

Licence No.

Category of licence:

Validity of licence:

We the Auditors of the broking company M/s..... having its registered office at have verified the books of accounts and certify that the broking company maintains the capital of Rs..... as at We have also verified and found that the networth of the company during the said period is Rs..... We also annexe to this certificate the computation of networth for the information of the Authority.

We also certify that the foreign equity in the broking company as at the same period has not breached the limits prescribed in the IRDA(Insurance Brokers) Regulations, 2013.

We also certify that the broking company is not engaged in any other business and carrying the business of insurance broking exclusively.

During the period under review, there is a change/no change in the shareholding for which the company has obtained/not obtained the prior approval of the Authority for such change.

Name and signature of the Auditor

With seal

Date:

Place:

Annexure – VI-B

**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY
(Insurance Brokers) Regulations, 2013
(See Regulation 30)**

(Certificate to be issued by Auditors of the broking company on maintenance of Deposit required under regulation 12) to be submitted half-yearly

Name of the Insurance Broker:

Licence No.

Category of licence:

Validity of licence:

Period to which this certificate relates :

We, M/s. _____, the Auditors of the broking company M/s..... having its registered office at have verified the necessary records and certify and confirm that the broking company maintains a deposit of Rs....., which is% of the minimum capital required under the IRDA(Insurance Brokers) Regulations, 2013. We furnish below the details:

- 1) Name and address of the Bank where deposit is maintained;
- 2) Date of deposit and date of maturity;
- 3) Confirm whether any notice is given to the bank, and due acknowledgement taken from the bank, notifying that-
 - a) the deposit shall have a lien with IRDA;
 - b) the fixed deposit shall not be released to the broking company unless the prior permission of the Authority is obtained;
 - c) the deposit shall not be pledged for taking any loan or overdraft facility by the insurance broker

Name and signature of the Auditor

With seal

Date:

Place:

Annexure – VI-C**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY****(Insurance Brokers) Regulations, 2013****(See Regulation 30)**

(Certificate to be issued by Auditors of the broking company on maintenance of Professional Indemnity Insurance required under regulation 13) to be submitted half-yearly

Name of the Insurance Broker:

Licence No.

Category of licence:

Validity of licence:

We, _____, the Auditors of the broking company M/s..... having its registered office at have verified the necessary records and certify that the broking company has obtained a Professional Indemnity Insurance Policy from(name of the insurance company) as required under regulation 13 of IRDA(Insurance Brokers) Regulations, 2013. The details of the same are as mentioned below.

- 1) Name and address of the Insurance Company;
- 2) Policy No. & Date of commencement of the policy;
- 3) Date of expiry of the policy;
- 4) Limit of Indemnity and the total remuneration received during the year;
- 5) Un-insured excess;
- 6) Ratio of AOA:AOY

It is also certified that the broking company has/has not received any intimation of claim under the policy and the same has/has not been informed to the insurance company which has issued the PI Policy in writing.

Name and signature of the Auditor

With seal

Date:

Place:

Annexure – VI-D**INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY****(Insurance Brokers) Regulations, 2013****(See Regulation 30)**

(Certificate to be issued by Auditors of the broking company on Remuneration received by the broking company under regulation 25) to be submitted half-yearly

Name of the Insurance Broker:

Licence No.

Category of licence:

Validity of licence:

Period to which this Certificate relates :

We, _____ the Auditors of the broking company M/s..... having its registered office at have verified their books of accounts and certify that the broking company has not received remuneration in excess of what is prescribed in regulation 25 of IRDA(Insurance Brokers) Regulations, 2013 and circulars/regulations issued in the matter.

Name and signature of the Auditor

With seal

Date:

Place:

Annexure – VI-E

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**(Insurance Brokers) Regulations, 2013****(See Regulation 30)**

(Certificate to be issued by Auditors of the broking company on Segregation of Insurance Money required under regulation 27) to be submitted half-yearly

Name of the Insurance Broker:

Licence No.

Category of licence:

Validity of licence:

Period to which this Certificate relates :

We, _____ the Auditors of the broking company M/s..... having its registered office at have verified their records and certify and confirm the following.

- 1) That the broking company has opened the "Insurance Bank Account" with Bank, in compliance of regulation, the details of which are annexed.
- 2) That the broking company has given written notice to and received written confirmation from the bank that the broking company is not entitled to combine the account with any other account or to exercise any right of set-off, charge or lien against money in that account.
- 3) That the Insurance Bank Account/s has/have not been combined with any other accounts. The said account/s are used exclusively for the purposes outlined in the regulations and are not used for general purposes.
- 4) That the broking company has only removed charges, fees or commission earned from the Insurance Bank Account/s and transferred to their other accounts.
- 5) That the monies received from direct insurers/reinsurers as part of the reinsurance contracts are kept in the Insurance Bank Account/s and have not been diverted or transferred to any other account, except as prescribed in (4) as above. The said amounts have been transferred to insurer/reinsurer before the due date as required under the reinsurance contract.
- 6) That monies held in 'Insurance Bank Account' are not held in Fixed Deposits or invested in any other instrument.

Name and signature of the Auditor

With seal

Date:

Place:

Annexure – VII

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY**(Insurance Brokers) Regulations, 2013****(See Regulation 10)**

List of documents to be submitted for consideration of application for transfer of ownership when the transfer is exceeding 5% of the total paid up capital {as detailed in Brokers' regulation 10 (1)}

If the proposed buyer is a Corporate entity:

1. A certified copy of resolution of the Board of Directors approving the proposed change in shareholding.
2. A copy of the proposed shareholding pattern, as per the annexed format, and duly certified by CA/ CS
3. A certified copy of the Board Resolution of the transferee to acquire the shares.
4. The details of the monetary consideration for transfer of shares.
5. A certified copy of the shareholding pattern of the transferee.
6. A confirmation, if any of the proposed shareholders is an FII, NRI, PIOs or Foreign Nationals.
7. A confirmation if any of the present directors of the Broking Company are already associated with the transferee.
8. The audited accounts of the transferee for the past three years, along with the certified copies of IT returns.
9. A certificate from the auditors to the effect that the transferee is not an NBFC, if applicable. No Objection Certificate obtained from RBI for acquisition of these shares if transferee is a Non-banking financial company
10. The detailed list and activities of associate companies/ concerns of the transferee.

11. Rationale for the restructuring of the share capital of the insurance broker.
12. An undertaking from the transferee that none of the Directors and Key management personnel of the applicant company are holding any directorship/ employment in any other insurance related entity(s).
13. The details of any other proposed changes in your company.
14. Any other document, if so required by the Authority.

If the proposed buyer is an Individual:

1. A copy of the proposed shareholding pattern (as per the annexed format) and duly certified by CA/ CS
2. The net worth certificate and the Income Tax returns for the last three financial years of the transferee.
3. The details of the monetary consideration for the transfer of shares
4. A certified copy of resolution of the Board of Directors approving the proposed change in shareholding.
5. Duly Notorized Affidavit for source of funds to be invested in the Company by the transferee/s
6. Any other document, so required by the Authority.

Format of Share holding Pattern

Sr. No.	Name of the Share holder	Prior to transfer of shares (1)		After the transfer of shares (2)		remarks
		No. of shares held	Percentage of Paid up share capital	No. of shares held	Percentage of Paid up share capital held	

Note:

1. If the current shareholding pattern is not the same as the shareholding pattern at the time of registration/ last renewal (whichever is later), the details of the same should also be provided
2. The names of the share holders who do not hold/never held more than 5% should be shown in 'Others' unless they are associated or part of Promoter share holders

Annexure – VIII

INSURANCE REGULATORY AND DEVELOPMENT AUTHORITY

(Insurance Brokers) Regulations, 2013

(See Regulation 46)

List of documents for Voluntary Surrender of Licence by the Broking Company.

- a) The Company shall ensure that, as on date of making the application, annual fee for all the preceding financial years has been paid
- b) A certified copy of resolution of the Board of Directors recording reasons for surrender of licence
- c) A confirmation from the Principal Officer that no fresh business would be placed from the date of their request for surrender of licence
- d) Original Certificate of valid Licence
- e) An undertaking from Directors of the Company to service the existing clients whose policies are in force for a period of six months within which suitable arrangements shall be made by you for having the contracts attended to by another licensed broker as required under Regulation 48.
- f) To notify & inform to the Registrar of Companies and comply with their requirements under Companies Act for deletion of Main Objects of MOA/AOA or produce proof of steps taken to de-register the company with Registrar of Companies.
- g) To submit the statistics on claims, business premium for the preceding three financial years, as per annexed format

- h) To provide the details of every event that has come to the Company's notice where your company may become liable to pay damages or compensation to clients, whether covered by the professional indemnity policy or not, giving the following information:
- i) Date of period of occurrence.
 - ii) Name of client concerned.
 - iii) Nature of event likely to give rise to a claim.
 - iv) Brief description of basis of claim.
 - v) Intimated or estimated amount of claim.
 - vi) Amount provided by the insurance broker in its books for the claim.
 - vii) Present status of claim.
- i) Any other information, required by the Authority.

STATISTICS ON PREMIUM**General Classification of Business**

Month							Miscellaneous	Others	Total
	Fire	Marine Cargo	Marine Hull	Motor	Engg	PA	Health		
April									
May									
June									
July									
August									
September									
October									
November									
December									
January									
February									
March									
Total									

Life Classification of Business

Month	Non-Linked	Linked	Annuity	Group	Health	Total
April						
May						
June						
July						
August						
September						
October						
November						
December						

January						
February						
March						
Total						

STATISTICS ON CLAIMS

No. of Claims				
Year	Reported	Settled	Rejected	O/s

T. S. VIJAYAN, Chairman
[ADVT. III/161/13/Exty.]